अध्याय–15
सड़क एवं रेल
Road and Train

सड़क एवं रेल सामाजार्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है माल और यात्रियों दोनों तरह के परिवहन का सबसे अधिक लागत प्रभावी और पंसदीदा साधन माना जाता है। इस प्रकार, यह देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। आसान उपलब्धता व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अनुकूलता व लागत बचत कुछ ऐसे कारक है जो सडक परिवहन के पक्ष में है। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

15.1 उत्तराखण्ड गठन के समय सड़कें जर्ज़र और कम थी मार्च 2025 तक 33008 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही हैं। वर्ष 2025–26 हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी योजनाओं में ₹ 3457.70 करोड़ का प्राविधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2025–26 के भौतिक लक्ष्य एवं दिसम्बर 2025 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा तालिका 15.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 15.1
प्रदेश में सड़क मार्ग की लम्बाई

क्र0 सं0	मद	इकाई	लक्ष्य 2024–25	वर्ष 2024–25 की उपलब्धियां (माह मार्च 2025 तक)	लक्ष्य 2025–26	31.12.2025 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2026 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र	वाहन चलने योग्य सड़क	किमी0	235.72	289.09	196.74	154.31/196.74
	जल निकास	किमी0	235.72	289.09	196.74	154.31/196.74
	पक्की तथा विरालित सड़के	किमी0	885.88	992.45	755.32	522.09/755.32
	जीप चलने योग्य सड़क	किमी0	-	-	-	-
	पुल	सं0	42	43	31	10/31
	गाँव जुड़े	सं0	49	59	31	20/31

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

तालिका 15.2

उत्तराखण्ड में दिसम्बर 2025 तक सड़कों से जोड़े गये ग्रामों का विवरण

क्र0 सं0	सड़कों से जुड़े गॉव	31 मार्च की संख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)			31.12.2024 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2025 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	1500 से अधिक आबादी वाले गॉव	848	848	848	848/848
2	1000–1499	568	568	568	569
3	500–999	1757	1767	1783	1783/1786
4	250–499	3106	3132	3187	3192/3196
5	250 से कम	7257	7314	7506	7524/7545
कुल योग		**13536**	**13629**	**13892**	**13916/13943**

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

तालिका 15.3

राज्य में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0 में)

क्र0 सं0	मार्ग का श्रेणी	2000	2010	31 मार्च 2025 तक	2025–26 के लक्ष्य	31.12.2025 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2026 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	7	8
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	526	1345	2033	-	-
2	प्रादेशिक राजमार्ग	1233	3665	5689	-	-
3	मुख्य जिला मार्ग	1270	3040	3473	-	-
4	ग्रामीण मार्ग	5051	8954	15402	755	522/755
5	हल्का वाहन मार्ग	-	96	95	-	-
कुल योग		**8080**	**17100**	**26701**	**853**	**522/755**

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

15.1.1 राष्ट्रीय राज मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र) प्रदेश में वर्तमान तक 3595 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2033 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है।

विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यो का विवरण निम्नवत हैः–

1. ऑल वैदर रोडः– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वेदर रोड के अन्तर्गत 47 कार्य 736.994 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 10431.00 करोड़ के स्वीकृत हैं।

वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 736.994 किमी0 के सापेक्ष 596.55 किमी0 लम्बाई में 02 लेन चौड़ीकरण एवं 573.83 किमी0 लम्बाई में सतह लेपन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा ₹ 7672.60 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2. श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्वार कार्यः–

सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में कुल 47 कार्य, लागत ₹ 329.76 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 20 कार्य जिनकी लागत ₹ 189.68 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है। 07 कार्य, लागत ₹ 61.21 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें माह मई 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 20 कार्य, लागत ₹ 78.87 करोड़ के कार्यो पर अनुबंध

गठन की कार्यवाही गतिमान है।

3. श्री बद्रीनाथ धाम के कार्यः— सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम व माणा मास्टर प्लान में कुल 53 नं0 कार्य, लागत ₹ 553.20 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 09 नं0 कार्य, लागत ₹ 170.30 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 41 नं0 कार्य, लागत ₹ 353.24 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। अवशेष 03 नं0 कार्य, लागत ₹ 29.68 करोड़ पर अनुबंध गठन की कार्यवाही गतिमान है।

4. लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यः—

- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत वर्ष 1929 में निर्मित लक्ष्मणझूला सेतु के समीप 132.30 मीटर स्पान के वैकल्पिक सेतु (बजरंग सेतु) का निर्माण कार्य, लागत ₹ 68.86 करोड़ प्रगति पर है। कार्य भौतिक रूप से 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसके सापेक्ष आतिथि तक ₹ 64.59 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि माह फरवरी 2026 है।
- देहरादून शहर के अन्तर्गत भण्डारी बाग में दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य, लम्बाई 0.580 किमी0, लागत ₹ 55.65 करोड़ प्रगति पर है। वर्तमान में आर0पी0—1, आर0पी0—2 तथा ए—2 के कैप की आर0सी0सी0 का कार्य पूर्ण एवं अन्य कार्य प्रगति पर है। कार्य भौतिक रूप से 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसके सापेक्ष ₹ 33.50 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि माह अगस्त 2026 है।
- केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (सी.आर.आई. एफ.) योजना के अन्तर्गत आतिथि तक कुल 174 कार्य, लागत ₹ 2002.04 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान तक 154 कार्य, लागत ₹ 1777.53 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। अवशेष 22 नं0 कार्यो में से 18 कार्य, लागत ₹ 667.12 करोड़ के प्रगति पर है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 265/2023 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड़ बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट (पाडली) तक मोटर मार्ग में लम्बाई 11.00 किमी0 + 1 सेतु के पहाड़ कटान कार्य हेतु लागत ₹ 505.71 लाख की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मार्ग में दिवारों, कलवर्ट आदि के निर्माण हेतु दिनांक 17.10.2025 को ₹ 981.34 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है।
- टिहरी झील के चारों ओर टिहरी रिंग रोड़ का निर्माण कार्य 02 पैकेज में प्रस्तावित है। प्रथम पैकेज में कोटी कॉलोनी से डोबरा तक प्रस्तावित लम्बाई 15.77 किमी0 अनुमानित लागत ₹ 288.16 करोड़ है। उक्त भाग में वनभूमि की कार्यवाही गतिमान है। द्वितीय पैकेज में प्रस्तावित लम्बाई 29.675 किमी0 वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद देहरादून में देहरादून—मसूरी राज्य मार्ग पर मसूरी डायवर्जन से कुठालगेट तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य लम्बाई 5.275 किमी0, लागत ₹ 38.79 करोड़ (यूटिलिटी शिफ्टिंग ₹ 15.29 करोड़, निर्माण कार्य ₹ 23.50 करोड़) का प्रस्तावित है। इस कार्य की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त है।

15.2 रेल यातायातः— परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य सुंदरता सांस्कृतिक समृद्धि आध्यात्मिक महत्व, विरासत स्थलों और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के परिवहन हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनमें ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल मार्ग का कार्य बहुत तेजी से गतिमान है।

125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज (बीजी) रेल लिंक परियोजना प्रगति पर है तथा दिसम्बर 2025 तक का विवरण निम्न हैः—

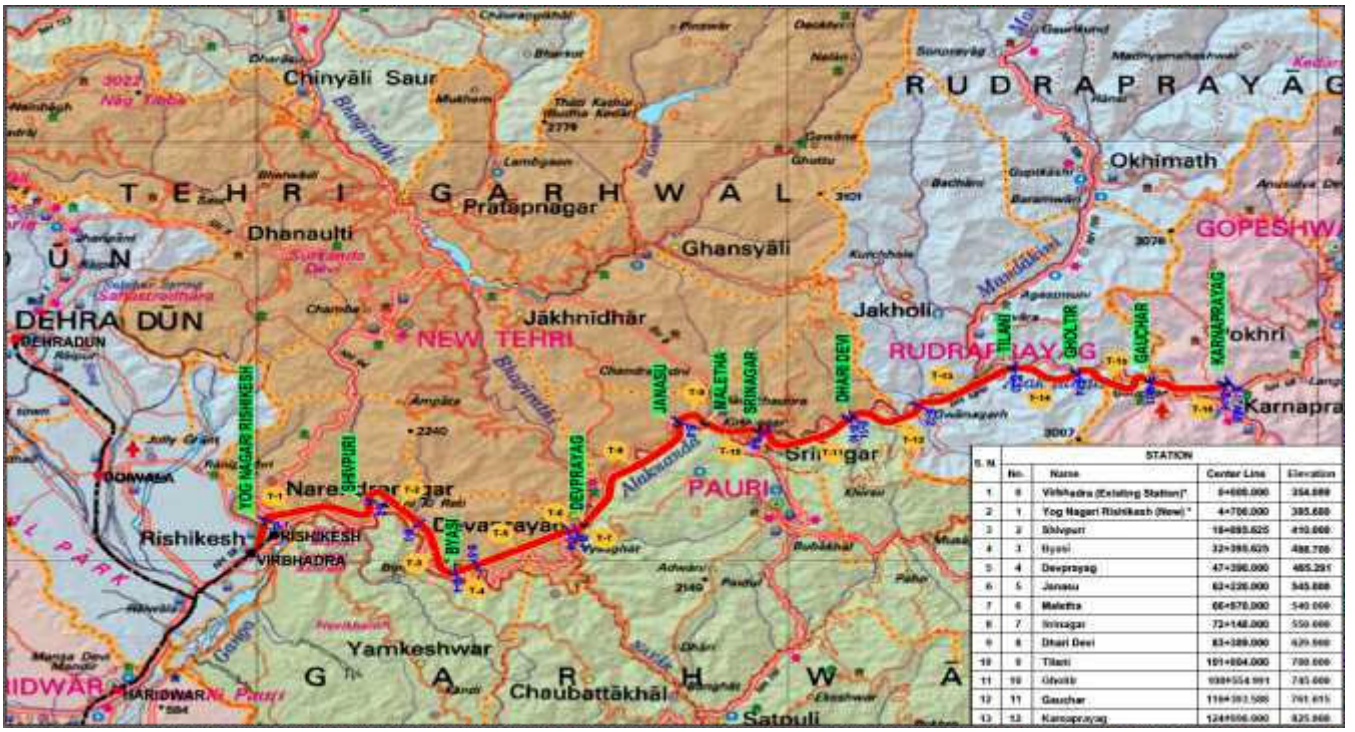

तालिका 15.4

मुख्य विशेषताएं

1	परियोजना की कुल लंबाई	125.20 (Km)
2	मुख्य सुरंगों की संख्या	16 (Nos.)
3	पलायन सुरंगों की संख्या	12 (Nos.)
4	एडिट/शाफ्ट की संख्या	08/01 (Nos.)
5	मुख्य सुरंगों की कुल लंबाई	104.00 (Km)
6	पलायन सुरंगों की कुल लंबाई	97.72 (Km)
7	एडिट/शाफ़्ट की कुल लंबाई	4.82 (Km)
8	क्रॉस–पैसेज की कुल लंबाई	7.05 (Km)
9	सुरंग निर्माण की कुल लंबाई	213.57 (Km)
10	सुरंग की अधिकतम लंबाई	14.58 (Km)
11	मार्ग सुरंग की लंबाई का प्रतिशत	83.07%
12	महत्वपूर्ण/प्रमुख रेल पुलों की संख्या	05/14 (Nos.)
13	महत्वपूर्ण और प्रमुख रेल पुलों की कुल लंबाई	3076.025 (m)
14	महत्वपूर्ण/प्रमुख रेल पुल (गौचर बीआर–15) की अधिकतम ऊंचाई	46.99 (m)
15	रेल पुल की अधिकतम लंबाई (श्रीनगर बीआर–09)	489.00 (m)
16	रेल पुल की अधिकतम लंबाई (देवप्रयाग बीआर–06)	125 (m)
17	महत्वपूर्ण प्रमुख रेल पुल की लंबाई का प्रतिशत	2.21%
18	सड़क पुलों की संख्या	06 (Nos.)
19	रोड ओवर पुलों/आर ओ बी की संख्या	02 (Nos.)
20	रोड अन्डर पुलों/एलएचएस की संख्या	03/01 (Nos.)
21	लघु पुल की संख्या	38 (Nos.)
22	नए स्टेशनों की कुल संख्या	12 (Nos.)
23	खुली कटिंग/तटबंध की लंबाई	18.43 (Km)

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट–15.1

रेल स्तर के साथ स्टेशनों की सूची

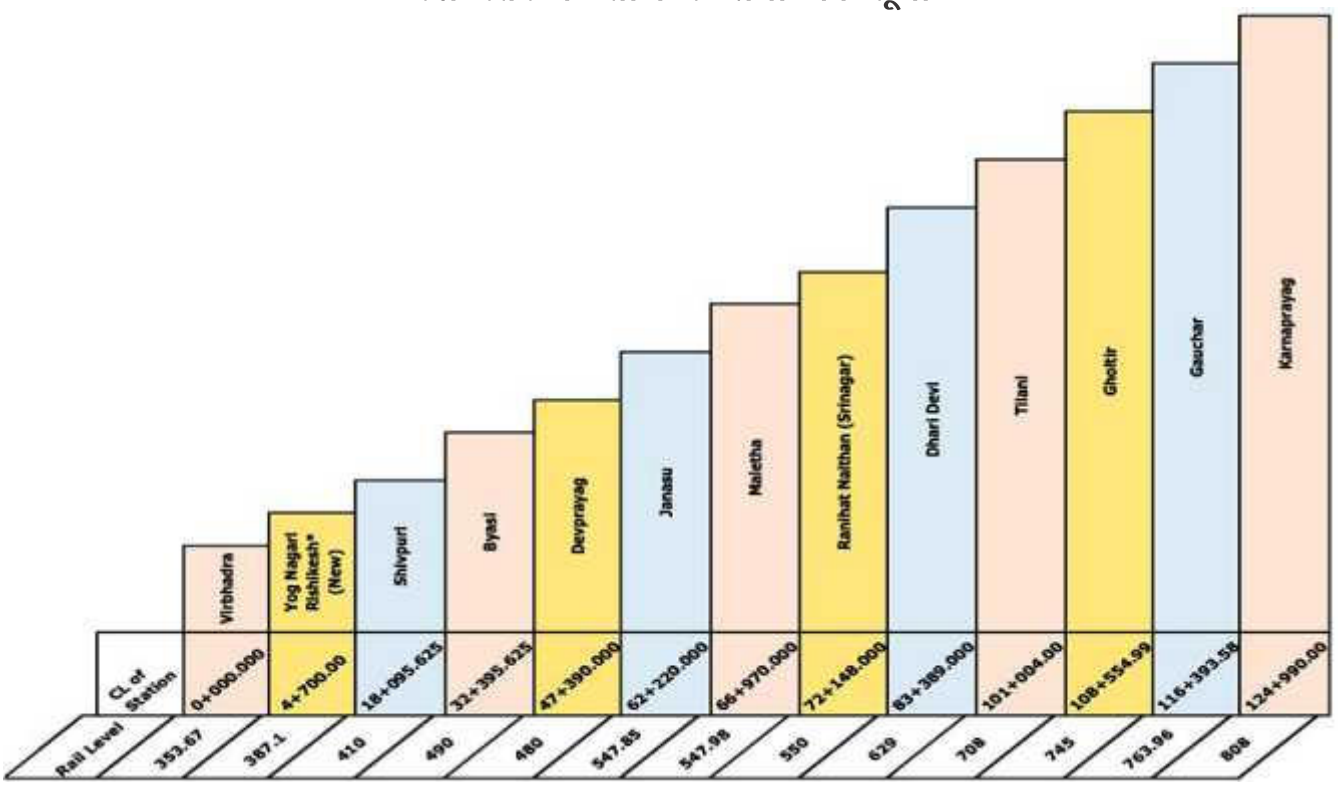

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

सुरंगों और पुलों की योजना और डिजाइनिंग के साथ–साथ साइट तक पहुंच के लिए वास्तविक सुरंग निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निम्नलिखित निर्माण के लिए साइट को तैयार करने वाले कार्य पूरे किए गए।

- संपूर्ण परियोजना के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (1:5000 स्केल) और भू–भौतिकीय अध्ययन (भूकंपीय और प्रतिरोधकता सर्वेक्षण) पूरा हो गया।
- पूरे प्रोजेक्ट के लिए भू–तकनीकी जांच (जीटीआई) पूरी की गई – 15.6 किमी रॉक ड्रिलिंग (600 मीटर तक गहराई तक) सहित 164 बोर होल।
- सभी प्रमुख पुलों के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन (राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान) और साइट विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन और एमएएसडब्ल्यू अध्ययन (आईआईटी रूड़की) पूरे हो गए।
- विभिन्न कार्य स्थलों तक 12 किलोमीटर एप्रोच रोड का निर्माण पूरा हो चुका है।
- वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश के बीच 5.7 किलोमीटर लंबाई का पहले ब्लॉक खंड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें वीरभद्र स्टेशन पर सुविधाओं का उन्नयन और ऋषिकेश में विश्व स्तरीय ग्रीन रेलवे स्टेशन का निर्माण शामिल है।
- मौजूदा वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन (पीके–1ए) के बीच 5.7 किमी का पहला ब्लॉक खंड मार्च 2020 में चालू किया गया है। इसमें ऋषिकेश तक बाईपास रोड पर एक आरयूबी और देहरादून की महत्वपूर्ण सड़क पर एक आरओबी का निर्माण भी शामिल है, जिससे दो लेवल क्रासिंग समाप्त हो गई है।
- योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर वाशिंग लाइन, शेड आदि सहित ट्रेन रखरखाव और त्वरित धुलाई की सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

15.4 सुरंग निर्माण कार्यः–

- x वीरभद्र स्टेशन से 6 किमी से आगे का संरेखण सुरंगों में है। सुरंग निर्माण कार्य में 46 ड्राइव, 8 एडिट के साथ 28 सुरंगें (16 मुख्य ओर 12 एस्केप) शामिल हैं और जंबो ड्रिल जैसी सबसे परिष्कृत आधुनिक मशीनरी का उपयोग करके प्रति माह 05 किमी की औसत प्रगति पर सभी सुरंगों (77 फेस के साथ सुरंग ड्राइव) में प्राथमिक लाइनिंग के साथ भूमिगत खुदाई जारी है। तेज़ खुदाई के लिए कम स्पंदन तकनीक वाली शॉटक्रीट मशीनें और कन्टिन्यूअस लोडर को प्रयोग में लाया जा रहा है।

- x कुल सुरंग खुदाई की प्रगति (मुख्य सुरंग, एस्केप सुरंग, एडिट और क्रॉस पैसेज सहित) 95.16 प्रतिशत है जो 213 किमी (एमटी–104 किमी, ईटी–97.7 किमी, एडिट–4.8 किमी और सीपी–7) के कुल लंबाई के मुकाबले 202.70 किमी पूरी हो चुकी है।

- x 46 ड्राइव में से 40 ब्रेकथ्रू (आर–पार) पूरे हो चुके है, जिनकी कुल लम्बाई 158.07 किमी0 है। जिससे अंतिम लाइनिंग कार्य शुरू करने के लिए रास्ता साफ हो गया है, ताकि बीएलटी कार्य शुरू किया जा सके । वर्तमान में, टीबीएम सुरंग सहित 130 किमी फाइनल लाइनिंग पूरी हो चुकी है।

15.5 रेलवे पुलः

चंद्रभागा और अलकनंदा नदियों पर 19 में से 08 महत्वपूर्ण/प्रमुख पुल पूरे हो चुके हैं, जबकि 10 पुल इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है।

सुरंग कार्यों के साथ–साथ शेष महत्वपूर्ण और प्रमुख पुलों (10 संख्या) पर कार्य प्रगति पर है।

श्रीनगर, गौचर और सिवाई में कार्य स्थलों तक पहुंच के लिए प्रमुख सड़क पुलों का निर्माण पूरे हो गए हैं।

अध्याय–16
उद्योग
Industry

राज्य गठन के समय बृहत क्षेत्र के उद्यम के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आई.डी.पी.एल. वीरभद्र ऋषिकेश, एच.एम.टी रानीबाग हल्द्वानी, आई.पी.एल. मोहॉन जैसी रूग्ण इकाइयॉ थी। बीएचईएल हरिद्वार ही एक मात्र उत्पादनरत बृहत उद्यम था। निजी क्षेत्र में कोई भी बृहत उद्योग राज्य में स्थापित नहीं था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। मा0 पूर्व प्रधानमत्री, भारत रत्न स्व० अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज वर्ष 2003 में घोषित किया गया। इस पैकेज से राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ। 9 नवम्बर, 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक होकर नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य शून्य उद्योग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2000 तक राज्य में 14 हजार के करीब एम.एस.एस.ई. इकाइयॉ स्थापित थी, जिसमें ₹ 700 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 38 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। वर्तमान में 79394 MSMEs में ₹ 16930 करोड़ का पूंजी का निवेश करते हुए 4,21,561 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य निजी निवेशकों के मध्य धीरे–धीरे स्थिर एवं आकर्षक पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसके आधार अग्रगामी नीतियॉ, सशक्त सुशासन और रणनीतिक साझेदारियाँ हैं। राज्य में मैत्रीपूर्ण व्यवसायिक वातावरण, अनुकूल निवेश कानून, सुगम नियम और आकर्षक औद्योगिक नीतियॉ इसके केन्द्र रहे हैं।

राज्य के हरिद्वार, पंतनगर, रूद्रपुर, सितारगंज तथा सेलाकुई जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सैक्टर्स के चैम्पियंस के लिए पंसदीदा क्षेत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। राज्य में औद्योगिकीकरण **टियर–2 और टियर–3 शहरों** तक पहुंचाने की कड़ी में रूड़की **एजुकेशन व तकनीक निर्माण,** सितारगंज **प्लास्टिक और पॉलीमर** क्षेत्र में, काशीपुर **एरोमा क्षेत्र** में व खुरपिया **एकीकृत विनिर्माण कलस्टर** के रूप में विकसित किये जा रहे हैं। सशक्त उत्तराखण्ड की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य की जी.एस.डी.पी. को अगले पाँच वर्षों में दो गुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की कड़ी के रूप में उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन 08–09 दिसम्बर, 2023 को किया गया, **जिसमें ₹ 3.50 लाख करोड़ के MoU हुए थे जिनके सापेक्ष ₹ एक लाख करोड़ से अधिक की ग्राउण्डिंग हो चुकी है।** इस आयोजन से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सैक्टरों में निवेशक अनुकूल 30 से अधिक नीतियों का प्रख्यापन किया गया।

निवेशकों की उत्तराखण्ड राज्य में निवेश के प्रति प्रतिबद्धता काफी अधिक है। सरकार उद्यमों की स्थापना के लिए स्वीकृतियों/अनुज्ञां/अनुमोदन हेतु एकल खिडकी व्यवस्था के माध्यम से निश्चित समय–सीमा के अन्तर्गत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। **सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम** के माध्यम से व्यापार विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने और व्यवसाय संचालन के लिए इनवेस्ट उत्तराखण्ड पोर्टल पर ऑनलाईन आवदेन तथा निकासी की प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाया गया है। राज्य के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से 260 से अधिक सेवायें, व्यवसाय हेतु आनलाईन प्रदान की जा रही हैं। यह पारदर्शिता दक्षता और निवेश मित्रता का प्रतीक है। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न रैंकिंग मानदण्डों में उत्तराखण्ड राज्य की रैंकिंग से भी पुष्टि होती है। **डी.पी.आई.आई.टी. द्वारा ईज आफ डूईंग बिजनेस में 'एचीवर्स श्रेणी', स्टार्ट–अप रैंकिंग में 'लीडर', नीति आयोग द्वारा निर्यात सूचकांक में 'अग्रणी' राज्य' है।**

उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ''**नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने**'' वाला बनने की अवधारणा पर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में शिक्षित युवाओं हेतु स्टार्ट–अप इको–सिस्टम विकसित करने के दृष्टिगत वर्ष 2018 में स्टार्ट–अप नीति प्रख्यापित की गयी है, जिसमें व्यापक परिवर्तन करते हुए मार्च, 2023 में नई स्टार्ट–अप नीति प्रख्यापित की गयी। वर्तमान में 1100 से अधिक स्टार्ट–अप कार्यरत हैं। स्टार्ट–अप की सहायता हेतु 200 करोड़ वैन्चर फण्ड की स्थापना की गयी है। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इन्क्यूवेशन सेन्टर के साथ साथ राज्य में 30 नये इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्ट–अप को इन्क्यूवेशन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए ₹ 50 करोड़ की लागत से **यू–हब** नाम से आई0टी0 पार्क में लीड इन्क्यूवेटर की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु सीमित भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत जनपद हरिद्वार, जनपद देहरादून के सेलाकुई, जनपद उधमसिंहनगर के पंतनगर व काशीपुर में **'फ्लेटेड फैक्ट्री'** का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन फ्लेटेड फैक्ट्री के माध्यम से कुल 43000 वर्गमीटर एरिया प्लग एंड प्ले सुविधा के रूप में उद्योगों को उपलब्ध होगा।

उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सस्ते एवं गरिमापूर्ण रूप से निवास एवं भोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जनपद हरिद्वार, काशीपुर व पंतनगर में **'रेन्ट बेस्ड एकोमोडेशन'** सुविधा विकसित की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से कुल 1776 श्रमिकों हेतु आवास किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। राज्य में अवस्थापना सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने तथा निजी निवेश और लोक–निजी सहभागिता (PPP) को प्रोत्साहित करने हेतु **''उत्तराखण्ड अवस्थापना तथा निवेश विकास बोर्ड (UIIDB)''** का गठन किया है जिसके अन्तर्गत सर्विस सेक्टर से जुडे निजी निवेशों व पी0पी0पी0 निवेशों को राज्य में बढाने हेतु कार्य कर रहें है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई तीव्र गति से अपनी नई पहचान बनाने में सफल रहा है। उद्योग जगत में व्याप्त विभिन्न तकनीकी तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार सृजित किये जा रहे हैं। अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु उद्योगों द्वारा उपयुक्त वातावरण, नवीन नीतियों एवं उच्च स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सतत् विकास के नित नये आयाम स्थापित किये जा रहे है। उद्योगों के संचालन की अवधारणा पर्याप्त पूँजी निवेश एवं कुशल मानव संसाधन के बिना अधूरी है, अतः वर्षवार विवेचना में यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि वर्ष 2025–26 (माह नवम्बर, 2025 तक) में औद्योगिक ईकाईयों की कुल संख्या 94595 हो गई हैं। गत 25 वर्षों में यह संख्या में 6 गुना से अधिक की वृद्धि के सापेक्ष पूँजी निवेश में 25 गुना तथा उपलब्ध रोजगार में 12 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत तथा एमएसएमईडी एक्ट के तहत ईएम पार्ट–2, उद्योग आधार ज्ञापन तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों की संख्या **94595** हो गई है, जिनमें ₹ **17743.10** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **463478** लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–16.1
उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या					पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार (संख्या)
	बृहद उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	सूक्ष्म उद्योग	योग		
2020–21	2	29	250	3990	4271	909.48	22387
2021–22	0	106	252	4715	5073	871.50	35990
2022–23	0	1	32	5451	5484	646.13	22597
2023–24	0	0	26	5284	5310	665.87	23057
2024–25	0	1	25	5598	5624	644.98	21725
2025–26 (माह नवम्बर, 2025 तक)	0	0	2	4214	4216	451.56	13668

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका–16.2

विवरण	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या		पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)		सृजित रोजगार	
	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत
08.11..2000 तक पंजीकृत लघु– लघुत्तर इकाईयां	14163	39	700.29	8369.78	38509	29197
09.11.2000 से माह नवम्बर, 2025 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	80432	290	17042.81	29588.16	424969	82254
योगः–	94595	329	17743.10	37957.94	463478	111451

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

ग्राफ–16.1

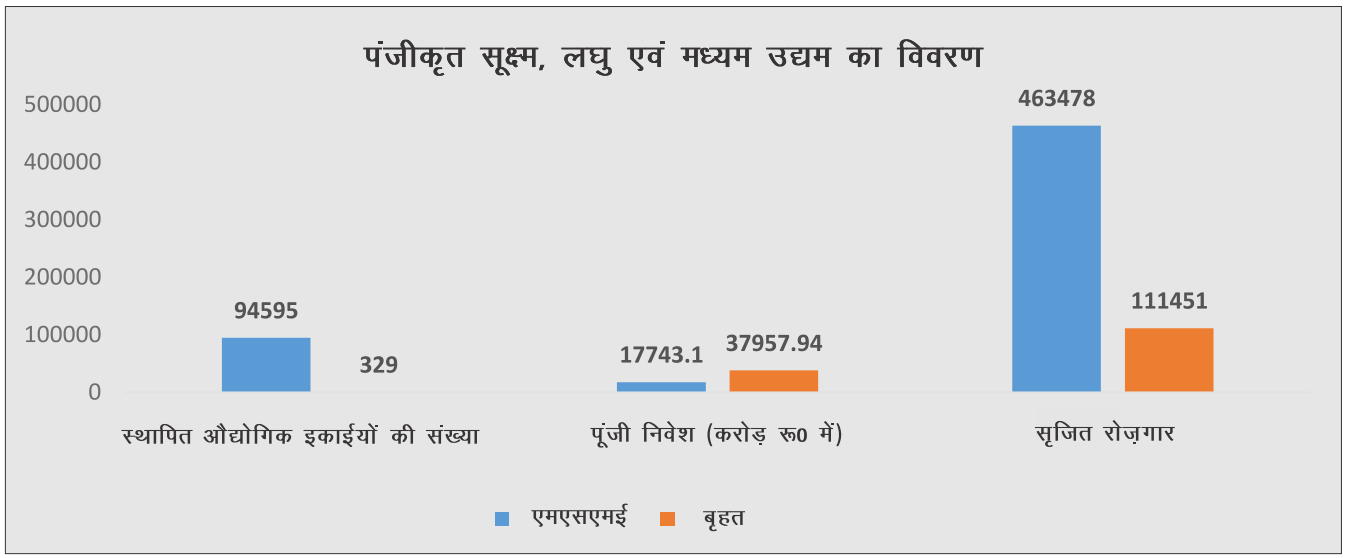

राज्य की मुख्य योजनाओं का विवरणः–

16.1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0– प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों, कुशल–अकुशल दस्तकारों–हस्तशिल्पियों, शिक्षित शहरी–ग्रामीण बेरोजगारों, छोटे उद्यमियों/व्यवसायियों/पथ विक्रेताओं जो बैंक ऋण के

माध्यम से स्वयं के उद्यम व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं, को पूंजी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0'** प्रारम्भ की गयी है। इसके अर्न्तगत उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

- **योजना में पात्र गतिविधिः**— कृषि कार्य को छोड़कर, निम्न गतिविधियां, योजनान्तर्गत पात्र गतिविधियों में सम्मिलित हैं—

i. ₹ 25 लाख तक लागत के विनिर्माणक उद्यम।
ii. ₹ 10 लाख तक लागत के सेवा उद्यम।
iii. ₹ 10 लाख तक लागत के व्यापार (ट्रेड) एवं अन्य व्यवसाय।

- **लाभार्थी का अंशदानः** 10 प्रतिशत सामान्य श्रेणी, 05 प्रतिशत विशेष श्रेणी।
- **अनुदानः**— स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष निम्न मार्जिन मनी/उपादान देय है—

तालिका—16.3

परियोजना की भौगोलिक स्थिति	परियोजना लागत के सापेक्ष उपादान की मात्रा		
	₹ 2 लाख तक	**₹ 2 लाख से अधिक, ₹ 10 लाख तक**	**₹ 10 लाख से अधिक, ₹ 25 लाख तक**
श्रेणी ए व बी के क्षेत्र	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत	20 प्रतिशत
श्रेणी सी व डी के क्षेत्र	25 प्रतिशत	20 प्रतिशत	15 प्रतिशत

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

अतिरिक्त मार्जिन मनी/उपादान—

- **भौगोलिक बूस्टर**— ग्रामीण क्षेत्र एवं अधिसूचित नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित परियोजना पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी/उपादान देय होगा।
- **सामाजिक बूस्टर**— महिला एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों को 05 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी/उपादान देय होगा।
- **उत्पाद बूस्टर**— राज्य के ओ.डी.ओ.पी./ओ.डी.टी.पी./जी.आई. टैग के तहत जनपद विशेष में चिन्हित उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित परियोजना को 05 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी/उपादान देय होगा।

किसी लाभार्थी/परियोजना को उक्तानुसार वर्णित भौगोलिक बूस्टर, सामाजिक बूस्टर तथा उत्पाद बूस्टर में से मात्र किसी एक श्रेणी का लाभ ही देय होगा।

तालिका—16.4
पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्षवार प्रगति निम्नवत् हैः—

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	सृजित रोजगार
2020—21	3129	7425
2021—22	4812	9489
2022—23	7347	13741
2023—24	9466	14897
2024—25	10311	19457
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की प्रगति **(31 दिसम्बर, 2025 तक)**	5505	10741

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

ग्राफ–16.2

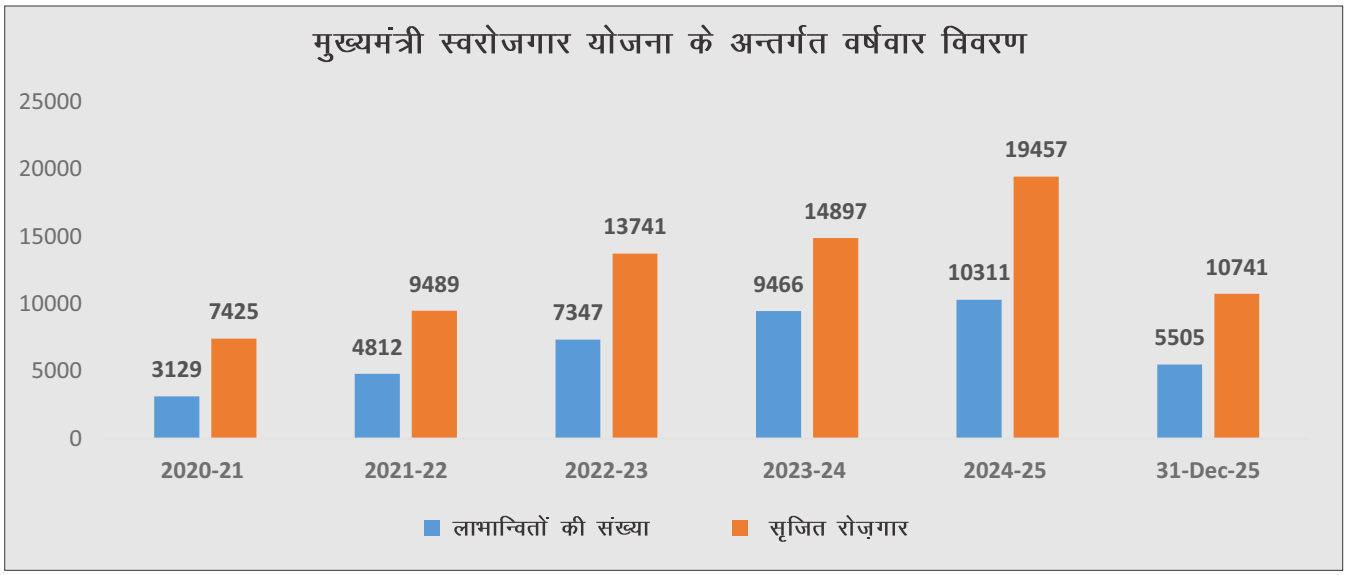

16.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)– देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिगत 2008 से प्रारम्भ इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जनपद के जिला उद्योग केन्द्र तथा जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है।

- विनिर्माण क्षेत्र के लिये 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिये 20 लाख तक की विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना के लिये ऋण सुविधा का प्राविधान है।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15, 25 एवं 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है।
- अभ्यर्थी द्वारा www.kviconline.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है।

तालिका–16.5

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार प्रगति निम्नवत् है:–

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वितरित मार्जिन मनी (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार
2020–21	2237	45.13	4744
2021–22	1832	39.60	4076
2022–23	1803	46.32	4909
2023–24	1346	41.40	4361
2024–25	732	24.05	2497
2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक)	508	20.17	2080

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

ग्राफ–16.3

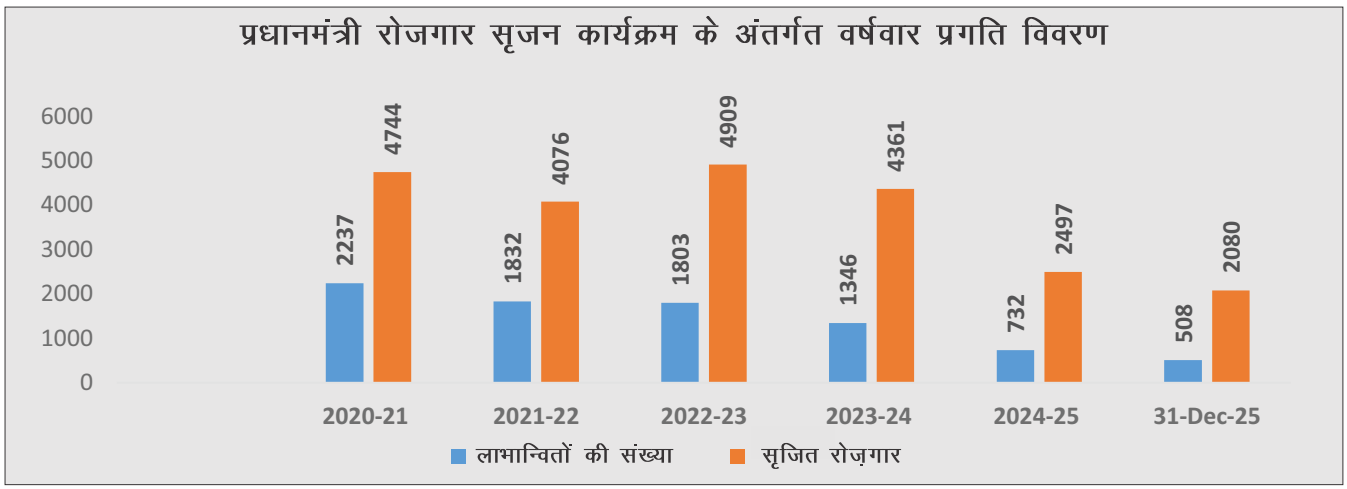

16.3 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्थाः–

ऑनलाईन संयुक्त पोर्टल (www. investment uttarakhand.com) के अन्तर्गत **''निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र''** के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं उन्हें राज्य विधियों के अधीन प्राप्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों/ अनुमोदनों/ अनुज्ञापनों /अनुज्ञप्तियों/अनुमतियों में शिथिलीकरण करते हुये तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

तालिका–16.6

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था की प्रगति विवरण निम्नानुसार है–

	Unit Type	Total Unit Approved	Investment (INR. Crore)	Employment
April - 2016 To March - 2017	MSME	468	631.96	5422
	LARGE	15	1539.64	3109
April - 2017 To March - 2018	MSME	549	1144.81	9195
	LARGE	17	1412.16	3809
April - 2018 To March - 2019	MSME	1075	3201.08	24354
	LARGE	48	5554.96	8823
April - 2019 to March - 2020	MSME	1560	4352.50	35725
	LARGE	56	7656.65	8448
April - 2020 to March, 2021	MSME	1495	2768.73	26390
	LARGE	41	1888.46	4417
April - 2021 to March, 2022	MSME	1793	4796.72	32905
	LARGE	63	4088.38	13911
April - 2022 to March, 2023	MSME	2013	8220.47	38188
	LARGE	17	3172.50	3849
April - 2023 to	MSME	2062	10863.85	42696

March, 2024	LARGE	21	14980.81	6821
April - 2024 to	MSME	2193	13490.77	46392
March, 2025	LARGE	14	2656.99	3799
April - 2025 to	MSME	1453	36198.58	54698
December, 2025	LARGE	12	4253.54	4772
GRAND TOTAL FOR MSME UNITS		**14661**	**85669.47**	**315965**
GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS		**304**	**47204.09**	**61758**
GRAND TOTAL (MSME + LARGE)		**14965**	**132873.56**	**377723**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.4 ईज ऑफ डूईंग बिजनेसः– निवेशकों के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमतियों, अनुमोदनों हेतु **ईज आफ डूईंग बिजनेस** के सुधार कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड **टॉप अचीवर्स श्रेणी** में सम्मिलित हुआ है। राज्य में **एकल खिड़की व्यवस्था ''वन स्टॉप शॉप''** व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित सभी लाईसेंस और अनुमोदनों हेतु प्रारम्भ की गयी है।

16.5 जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED):– भारत सरकार ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने, उन्हें टिकाऊ बनाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियन के रूप में बदलने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पहल की शुरूआत की गई। एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) अभियान के अर्न्तगत जेड प्रमाणन के माध्यम से, एमएसएमई ईकाईयां अपने नुकसान को काफी हद तक कम और उत्पादकता बढा सकती हैं। इसके माध्यम से ही पर्यावरण चेतना बढा कर प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं और अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं। जेड योजना में एमएसएमई को कार्य संस्कृति, उत्पादों के मानकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

तालिका–16.7

वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसम्बर, 2025) तक राज्य की प्रगति निम्नानुसार हैः–

जेड प्रमाणन की श्रेणी	राज्य की एमएसएमई ईकाईयां
गोल्ड	18
सिल्वर	63
ब्रॉज	1146
योगः–	**1227**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.6 राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रय वरीयताः– प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एवं स्टार्टप्स सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं के (Public Procurement) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने हेतु **क्रय वरीयता नीति–2019** उन सूक्ष्म व लघु उद्यमों तथा स्टार्टप्स पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग विभाग से तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से उद्योग आधार प्राप्त किया हो या जिनको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप कॉउंसिल से स्टार्टअप के रूप में मान्यता मिली हो।

संव्यवहार लागत में कमी– संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को निःशुल्क निविदा

प्रपत्र उपलब्ध कराकर निविदा हेतु निश्चित अग्रिम राशि **(EMD)** में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी।

तालिका–16.8

क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत पंजीकृत ईकाईयों की जनपदवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	जनपद का नाम	पंजीकृत ईकाईयॉ
1.	देहरादून	46
2.	हरिद्वार	5
3.	ऊधमसिंहनगर	10
4.	टिहरी	1
5.	नैनीताल	24
6.	अल्मोड़ा	4
7.	बागेश्वर	5
8.	पिथौरागढ़	1
9.	रूद्रप्रयाग	2
10.	पौडी गढवाल	1
योगः–		**99**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.7 उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2023ः– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से निकटता, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अनन्य जलवायु परिस्थितियों के साथ, उत्तराखण्ड को खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल, वेलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ड्रोन, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिये सामरिक हब के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिये मैत्रीपूर्ण वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा व राज्य को देश में स्टार्टप्स के लिये सर्वाधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2023 के मुख्य प्राविधान निम्नवत हैं–

लक्ष्यः

- आगामी 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों सहित 1000 स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना।
- नवोन्मेशी प्रौद्योगिकी, कार्यविधि या प्रक्रियाओं, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, सामाजिक प्रभाव या स्थिरता पर काम करने वाले स्टार्टअप उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना, जो जटिल समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रोजगार सृजन और धनोत्सर्जन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
- प्रदेश में नवोन्मेशकों, स्टार्टअप्स, इच्छुक छात्र उद्यमियों, महिला उद्यमियों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की स्थापना करना।
- प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इन्क्यूबेशन सेन्टर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित करना।
- राज्य में स्टार्टअप उद्यमों के विकास के लिए पूंजी, प्रमुख बुनियादी ढांचे एवं अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करना।
- उद्यमशीलता, नवाचारों एवं इसके व्यवसायीकरण तथा प्रौद्योगिकी उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
- अनुकूल वातावरण का सृजन कर स्र्टाटअप उद्यमों का एक अत्यधिक सफल उद्यम के रूप में विकास या रूपान्तरण।

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए वित्तीय प्रोत्साहनः— केवल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उचित मूल्यांकन और उनके स्टार्टअप आइडिया के मूल्यांकन के बाद, स्टार्टप्स की स्थापना के बाद से हुई प्रगति तथा स्टार्टप्स द्वारा विभिन्न चरणों में प्रस्तुत वित्त पोषण की आवश्यकता के बाद वित्तीय प्रोत्साहन किश्तों में स्वीकृत किये जाएंगे।

तालिका—16.9
जनपदवार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का विवरण

क्र.सं.	जनपद का नाम	उत्तराखण्ड स्टार्टअप में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप
1.	अल्मोड़ा	6
2.	चमोली	2
3.	देहरादून	129
4.	हरिद्वार	24
5.	नैनीताल	16
6.	पौड़ी गढ़वाल	11
7.	पिथौरागढ	4
8.	टिहरी गढ़वाल	2
9.	उधमसिंह नगर	15
10.	रुद्रप्रयाग	1
योगः—		**210**

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.8 निर्यात एवं आयात की स्थितिः— राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिये **निर्यात नीति** में लॉजिस्टिक सुविधायें विकसित करने हेतु पृथक लॉजिस्टिक नीति लागू की गई है। पंतनगर और काशीपुर में 02 आईसीडी (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) तथा पंतनगर मे 01 मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक संपदा विकसित की है। बनबसा चम्पावत में 01 लैण्ड कस्टम स्टेशन को लैण्ड पोर्ट अथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा एक एकीकृत चैक पोस्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स ईज एक्रास डिफ्रेन्ट स्टेटस रैकिंग में उत्तराखण्ड राज्य एचीवर्स श्रेणी में शामिल है। नीति आयोग की **एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स** में वर्ष 2022 की रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान, जबकि सम्पूर्ण देश में नौवें स्थान पर है। औद्योगिकी, पुष्पकृषि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हैल्थ टूरिज्म, संगन्ध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों, जैव—प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि राज्य के लिए निर्यात सम्भावनाओं हेतु अन्य थ्रस्ट सेक्टर हैं।

16.9 उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति—2023:— विभिन्न जनपदों को उनकी भौगोलिक परिस्थिति तथा उनके औद्योगिक विकास के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित चार श्रेणियों ए, बी, सी, एवं डी में वर्गीकृत किया गया है।

ग्राफ–16.4

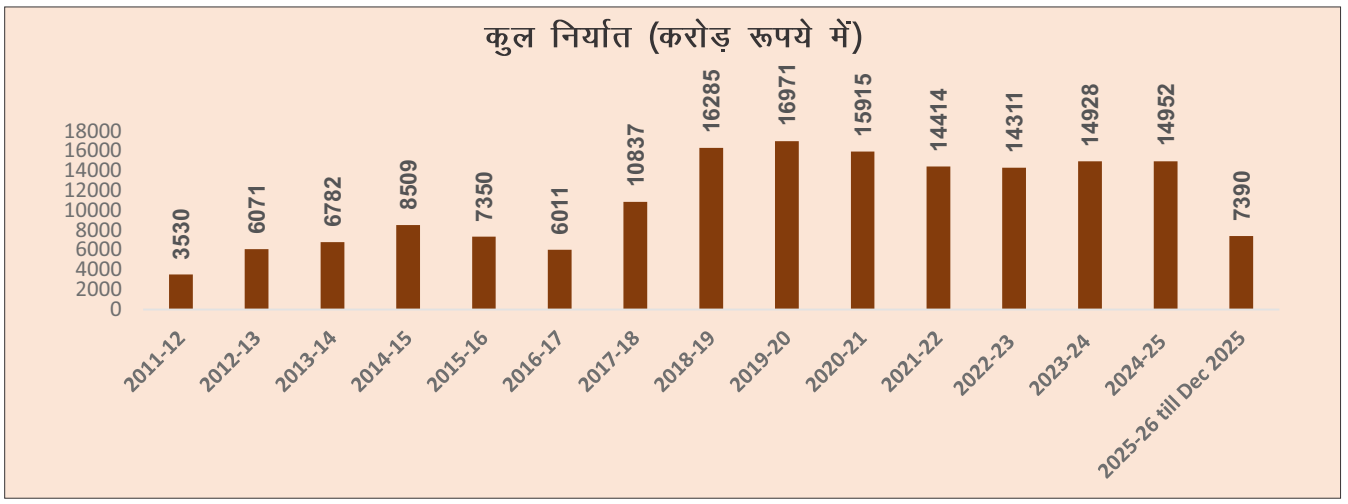

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

X **अनुमन्य गतिविधियां**– प्राथमिकता श्रेणी तथा अति–प्राथमिकता श्रेणी के उद्यमों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य है। अन्य गतिविधिया निम्न प्रकार हैः–

(I) निषेध सूची में दिये गये उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के अन्य सभी विनिर्माणक उद्यम।

(ii) गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन।

- **वित्तीय प्रोत्साहन सहायताः–**

(I) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सहायता– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, व्यय शुल्क की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बंधित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त देय होगी।

(II) स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति– भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, प्रतिपूर्ति 100% प्रत्येक श्रेणी पर देय होगी–

(III) पूंजीगत उपादान– नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को, उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजीगत उपादान सहायता देय होगी।

(IV) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान– विशिष्ट श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा। पूंजीगत उपादान सहायता/अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दावा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से **एक वर्ष** के भीतर निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(V) ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति– नये उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर निर्धारित ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगी

(VI) विद्युत ड्यूटी पर छूट– ऐसे नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि0वा0 तक हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगी।

(VII) गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति– नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई. एस.आई./बी.आई.एस./पेटेंट/ क्वालिटी मार्किंग/ट्रेडमार्क/कॉपीराई/एफ.एस. एस.ए.आई./प्रदूषण नियंत्रण/जेड– **Zero Effect Zero Defect** आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।

(VIII) मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति– श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक 50 प्रतिशत श्रेणी–ए में अधिकतम ₹ 5 लाख तथा श्रेणी–बी में अधिकतम ₹ 3 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई देय होगी।

(IX) जेड प्रमाणित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार– जेड योजनान्तर्गत गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज श्रेणी में प्रमाणन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र तथा धनराशि क्रमशः ₹ 75000, 50000, 25000 प्रति इकाई प्रदान की जायेगी।

16.10 कलस्टर विकास योजना:– उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023 की लागू अवधि में प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के 50 क्लस्टर विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लस्टर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सतत् विकास के प्रोत्साहन हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अधिकतम ₹ 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पात्र होंगे। पात्र प्रोजेक्ट को 70 प्रतिशत की दर से, अधिकतम ₹ 5 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय होगा।

क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के प्रोजेक्ट वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे–

i. सामान्य सुविधा केन्द्र का विकास– इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रोजेक्ट अनुमन्य होंगे–

- सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण/अर्द्ध–प्रसंस्करण केन्द्र।
- डिजाईन/इन्क्यूवेशन केन्द्र।
- परीक्षण/गुणवत्ता प्रमाणन/गुणवत्ता प्रवर्द्धन केन्द्र।
- अनुसंधान एवं विकास केन्द्र।
- कौशल प्रशिक्षण केन्द्र।
- प्लग एण्ड प्ले सुविधा।
- सामान्य कच्चा माल संग्रह एवं विपणन केन्द्र।
- सामान्य पैकेजिंग केन्द्र।
- इण्डस्ट्री 4.0 एवं अन्य नवीन डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र।
- सामान्य उत्पाद विपणन केन्द्र।
- टूल रूम।
- सामान्य वेस्ट मैनेजमेन्ट केन्द्र।
- अन्य सामान्य सुविधायें, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सुगम संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में उपयोगी हों।

ii. आधारभूत संरचना का विकास– इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रोजेक्ट अनुमन्य होंगे–

- सामान्य इफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (CETP)।
- सामान्य वाटर पम्प हाउस।
- जल संरक्षण सुविधा (वाटर हार्वेस्टिंग)।
- सामान्य पॉवर सब स्टेशन।
- सामान्य सड़क/चाहर दीवारी/ड्रेनेज।
- अन्य आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट जो क्लस्टर में स्थापित इकाईयों हेतु अनिवार्य हों।

निषेध सूची

- सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।
- केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।
- प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद, 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण।
- ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स।
- आरा मिल।
- पटाखों का विनिर्माण।
- खनन तथा स्टोन क्रशर की इकाईयां (सोप स्टोन, सिलिका प्रसंस्करण को छोड़कर)।
- थर्मल पॉवर प्लाण्ट।
- स्टील एवं स्टील इंगट विनिर्माण।
- भट्ठी (Furnace) का उपयोग करने वाली समस्त इकाईयां।
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रतिषिद्ध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद।
- पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।
- भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।
- पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र की समस्त गतिविधियां।

प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम

- नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्यम।
- 'एक जनपद दो उत्पाद' योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण उद्यम।
- राज्य के 'जी आई टैग' प्राप्त उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम।
- विनिर्माणक क्षेत्र के स्टार्टप्स।
- जैव–प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद।
- सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद विनिर्माणक उद्यम।

अति–प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम

- खाद्य प्रसंस्करण उद्यम।
- फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यम।
- फ्रूट आधारित वायनरी।
- पिरूल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माणक उद्यम।
- औषधीय हर्ब्स एवं सगन्ध पौध पर आधारित विनिर्माणक उद्यम।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023 के प्रमुख प्राविधान निम्नवत है–

उद्देश्यः

- राज्य में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना।
- उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक भूखण्डों/भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राज्य में मिनी/बृहत औद्योगिक आस्थानों एवं क्षेत्र विशिष्ट पार्कों की स्थापना।
- औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास कर संतुलित व नियोजित विकास सुनिश्चित करना।

पात्रताः

- औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा मैदानी क्षेत्र (श्रेणी–सी एवं डी के जनपद/क्षेत्र) के लिए 30 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी–ए एवं बी के जनपद/क्षेत्र) के लिए 02 एकड़ निर्धारित है।
- आईटी पार्क/बायोटैक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए सीडा के प्रचलित भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम 18000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है।
- सेक्टर विशेष के उद्योगों, जैसेः परिधान/वस्त्र उद्योग पार्क, फूड पार्क, अरोमा पार्क, ऑटामोबाइल एंसिलरी उद्योग पार्क, आईटी/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क, नॉलेज पार्क, फिल्म सिटी/क्षेत्र, मेडिसिटी, एजुसिटी आदि के लिए औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना अनुमन्य है।
- निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के लिए निवेशक अपने श्रोतों से स्वयं भूमि की व्यवस्था करेगा।

वित्तीय प्रोत्साहनः

बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादानः– किसी भी निजी क्षेत्र के निवेशक, व्यवसायिक संस्था आदि द्वारा प्रवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क/आस्थान की अवसंरचना लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में उस औद्योगिक पार्क/आस्थान के बिक्री योग्य क्षेत्रफल पर ₹ 10 लाख प्रति एकड़ (₹ 250 प्रति वर्ग मीटर/अनुपात आधार पर) की दर से पूंजीगत अनुदान प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में क्रमशः 10 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत देय होगी–

X **सीईटीपी की स्थापना पर उपादानः**– निजी औद्योगिक आस्थान/पार्क/क्षेत्र में संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र **(CETP)** की स्थापना हेतु अधिष्ठापित संयंत्र में किये गये अचल पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत, अधिकतम ₹1 करोड़ तक का पूंजीगत उपादान देय होगा।

X **सिडकुल औद्योगिक अवसंरचना विकास कोषः**–

I. औद्योगिक क्षेत्र से बाहर बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष **(SIIDF)** बनाया जायेगा। निजी प्रवर्तकों द्वारा औद्योगिक आस्थान के लिए सृजित अचल परिसम्पत्तियों पर किए गए कुल स्थिर पूंजी निवेश के सापेक्ष 02 प्रतिशत धनराशि, प्रति पार्क/औद्योगिक आस्थान, बाह्य ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत की जाएगी।

ii. कोष हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रबंधन सिडकुल द्वारा किया जाएगा।

iii. कोष से वित्तीय सहायता हेतु बाहरी बुनियादी ढांचे के सभी प्रस्तावों को एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से परिचालित कर राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुछ राशि का योगदान कर सकता है।

X **स्व–टिकाऊ मरम्मत और रखरखाव हेतु पूंजीगत व्यय कोषः**– औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/पार्क में सृजित आंतरिक बुनियादी अवसंरचना की मरम्मत और रखरखाव के लिए आस्थान के प्रवर्तक द्वारा पूंजीगत व्यय कोष बनाया जाएगा। भूखण्डों की बिक्री से प्रवर्तक द्वारा एकत्र की गई राशि का 2 प्रतिशत मियादी जमा खाते **(Fixed Deposit Account)** के रूप में जमा किया जाएगा। इस पूंजीगत व्यय कोष में भूखण्ड आवंटियों से मेंटीनेंस चार्ज के रूप में लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क भी जमा किया जायेगा। खाते का प्रबंधन और संचालन के लिए एक सोसाइटी/समिति (सोसाइटी एक्ट 1928 के तहत) का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रमोटर तथा आस्थान में स्थापित इकाइयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

16.11 उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2025:– उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यम में पूंजी निवेश एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन हेतु उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2025 प्रख्यापित की गयी है, जिसके प्रमुख प्राविधान निम्नवत है–

उद्देश्यः

X राज्य को वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों में पूजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

X राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में सतत् वृद्धि करना।

X संतुलित, सतत् एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।

X उद्यमशीलता, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।

X पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना।

X विनिर्माण क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजित करना।

X उद्यमों की उत्पादन क्षमता का अधिकतम प्रयोग करना।

वैधता अवधिः

X यह नीति जारी होने की दिनांक से प्रभावी तथा आगामी 05 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि इसमें संशोधन अथवा इसे अधिक्रमित नहीं किया जाता है।

X नीति की वैधता अवधि में सिगल विण्डो पोर्टल पर कैफ (CAF) आवेदन करते हुये, लाभ प्राप्त करने का आशय (Intent) व्यक्त करने वाली इकाईयों को, वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के अनुरूप अनुमन्यतानुसार वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ, निर्धारित भुगतान अवधि तक देय होगा।

पात्र उद्यम एवं शर्तेः

X वैधता अवधि में सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ (CAF) आवेदन कर, नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आशय (Intent) व्यक्त करने वाली, वे इकाईयां जिसने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से पूर्व कैफ (CAF) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा नीति अंतर्गत पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करती हैं, अनुमन्य लाभ हेतु पात्र होंगी।

X नीति अंतर्गत निषेध उद्यमों को छोड़कर राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थापित होने वाले वृहत श्रेणी (संयंत्र व मशीनरी में ₹ 50 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश स्थापित हो) के नये एवं

पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाले विनिर्माण उद्यम, वित्तीय प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगे।

X नीति अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता निर्धारण हेतु वृहत उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निम्नवत वर्गीकृत किया गया है–

तालिका–16.10

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी	स्थायी पूंजी निवेश (करोड़ ₹)		न्यूनतम थ्रेसहोल्ड		मानक निवेश अवधि
	न्यूनतम	अधिकतम	पूंजी निवेश (करोड़ ₹)	स्थायी रोजगार	
1	2	3	4	5	6
लार्ज	50 करोड़ से अधिक	200 करोड़	50	50	3 वर्ष
अल्ट्रा लार्ज	200 करोड़ से अधिक	500 करोड़	200	150	4 वर्ष
मेगा	500 करोड़ से अधिक	1000 करोड़	500	300	5 वर्ष
अल्ट्रा मेगा	1000 करोड़ से अधिक	–	1000	500	7 वर्ष

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

- वृहत उद्यम को वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये इकाई को, सम्बन्धित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–4 के अनुसार निर्धारित 'न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश' (कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी) एवं स्तम्भ–5 के अनुसार 'न्यूनतम स्थायी रोजगार' उपलब्ध कराते हुये स्तम्भ–6 के अनुसार मानक निवेश अवधि के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन में आना अनिवार्य होगा।

- वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ, सम्बन्धित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश स्थापित कर, न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हुये इकाई के वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की दिनांक के उपरान्त, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत करने पर देय होगा।

- उद्यम द्वारा पात्रता के लिये सम्बन्धित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी हेतु निर्धारित थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार, सम्बन्धित श्रेणी के लिये निर्धारित भुगतान अवधि तक सतत् रूप से बनाये रखना अनिवार्य होगा।

- मानक निवेश अवधि के अन्तर्गत किये गये स्थायी पूंजी निवेश एवं सृजित स्थायी रोजगार को ही वृहत उद्यम निवेश श्रेणी निर्धारण के लिये संज्ञान में लिया जायेगा।

- इस नीति के अन्तर्गत किसी इकाई द्वारा मात्र एक बार ही लाभ लिया जा सकेगा।

वित्तीय प्रोत्साहनः

- **स्टॉम्प ड्यूटी प्रतिपूर्तिः**– वृहत श्रेणी के नये विनिर्माण उद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान विनिर्माण उद्यमों के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रय विलेख/लीज डीड (भवन पर देय नहीं) के निष्पादन पर देय स्टॉम्प ड्यूटी के 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 50 लाख, प्रति इकाई) की प्रतिपूर्ति, इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने उपरान्त पात्रता शर्तें पूर्ण करने पर की जा सकेगी।

- **पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy):**– वृहत श्रेणी के नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश सापेक्ष वृहद उद्यम की श्रेणी के अनुसार

पूंजीगत उपादान निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 3 की अधिकतम सीमा के अधीन, स्तम्भ 4 में उल्लिखित भुगतान अवधि में, वार्षिक किश्तों में पात्रता के अनुसार देय होगा–

तालिका–16.11
पूंजीगत उपादान

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी	पूंजीगत उपादान दर (संयंत्र, मशीनरी व कार्यशाला भवन में नये स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)	कुल अधिकतम पूंजीगत उपादान	भुगतान अवधि
1	2	3	4
लार्ज	10 प्रतिशत	20 करोड़	8 वर्ष
अल्ट्रा लार्ज	12 प्रतिशत	60 करोड़	10 वर्ष
मेगा	15 प्रतिशत	150 करोड़	12 वर्ष
अल्ट्रा मेगा	20 प्रतिशत	400 करोड़	15 वर्ष

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

- **पर्वतीय प्रोत्साहन (Hill Incentive):** वृहत श्रेणी के नये विनिर्माण उद्यमों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में स्थापना के प्रोत्साहन हेतु पर्वतीय श्रेणी ए व बी के जनपदों एवं क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को पात्रता की शर्ते पूर्ण करने पर संयंत्र, मशीनरी व कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश के प्रतिशत के रूप में, निम्नवत अतिरिक्त पूंजी निवेश उपादान निर्धारित भुगतान अवधि में, वार्षिक किस्तों में देय होगा–

तालिका–16.12

जनपद/क्षेत्र श्रेणी	अतिरिक्त पूंजीगत उपादान (स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)	कुल अधिकतम उपादान मात्रा			
		लार्ज	अल्ट्रा लार्ज	मेगा	अल्ट्रा मेगा
पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र (श्रेणी–ए)	2 प्रतिशत	4 करोड़	10 करोड़	20 करोड़	40 करोड़
जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण क्षेत्र। जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भू–भाग (ढालवाला, मुनि की रेती तथा इससे सम्बद्ध मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)। जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)। (श्रेणी–बी)	1 प्रतिशत	2 करोड़	5 करोड़	10 करोड़	20 करोड़

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.12 विश्व बैंक सहायतित रैम्प योजना (Raising and Accelerating MSME Productivity Programme):—एमएसएमई के सुधार हेतु सेन्ट्रल सेक्टर योजना के रूप में योजना के प्रमुख उद्देश्यः

- बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार।
- केन्द्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना।
- केन्द्र राज्य सम्बन्धों और साझेदारियों को बेहतर करना।
- विलंम्बित भुगतान और पर्यावरण अनुकुल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से सम्बन्धित मुद्दों को सुलझाना।

योजना के घटकः

- RAMP का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना (Strategic Investment Plan) तैयार करना है। भारत सरकार द्वारा SIP तैयार करने में ₹ 5.00 करोड़ तक का अनुदान दिया जाना है। यह अनुदान 20 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों में प्राप्त होगा।
- SIP और RAMP के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना, विशेष उपलब्धियों एवं परियोजना का निर्धारण तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर–कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, महिला उद्यम आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये आवश्यक बजट पेश करना शामिल है।
- समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा।
- इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित MSME मंत्रालय के मंत्री शामिल होंगे। इस योजना के तहत MSME मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति गठित होगी।

योजना के लाभः

- MSMEक्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान।
- RAMP कार्यक्रम प्रतिस्पर्द्धा के मामले में मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि कर MSME क्षेत्र की सामान्य एवं कोविड से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करेगा।
- MSME में अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।
- यह कार्यक्रम अन्य बातों के अलावा क्षमता निर्माण, हैंडहोल्डिंग, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्द्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण, आउटरीच और मार्केटिंग प्रमोशन जैसे अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेगा।

16.13 हथकरघा एवं हस्तशिल्प सेक्टर

- राज्य के परंपरागत शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्परत्न पुरस्कार"** योजना के अंतर्गत अब तक 75 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किये गये।
- राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के ऐसे शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे है को प्रोत्साहित किये जाने हेतु **"शिल्पी पेंशन योजना"** के अंतर्गत अब तक 256 शिल्पियों को शिल्पी पेंशन दी जा रही है।
- **''थारू बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विषेश प्रोत्साहन योजना''** में उन्हें दो माह का विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों** में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन एवं पर्यटन के साथ शिल्पों के विपणन को सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् के माध्यम से कई

कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों को **''हिमाद्रि''** नाम के साथ विपणन किया जा रहा है।

- राज्य के 5 हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों भोटिया दन, ऐंपण, रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जी0आई0) प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2021 में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जी0आई0 प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में नेटल (बिच्छू घास), पिछौड़ा, नैनीताल की आर्टिस्टिक कैण्डल, जनपद चमोली से मुखौटा एवं रूद्रप्रयाग से मन्दिर प्रतिकृति को जी0आई0 प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतांक (जी0आई0) प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने एवं उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होती है।

16.14 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2025:– माह नवम्बर, 2025 में भारतमण्डपम, प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2025 (IITF) में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा इस वर्ष की थीम Ek Bharat Shreshtha Bharat निधारित की गयी। उत्तराखण्ड राज्य से स्टार्टअप, हथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं लघु उद्यम उत्पादों के 29 स्टॉलों के अतिरिक्त हिमाद्रि इम्पोरियम, देहरादून उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून के 05 विभागीय स्टॉल सहित कुल 34 स्टॉल स्थापित किये गये। शिल्पियों/बुनकरों/उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों की कुल बिक्री ₹ 1.80 करोड़ रही।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2025 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक से पुरस्कृत किया गया।

16.15 उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड:– कपास, रेशम या ऊन के हाथ से कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र खादी है। ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूँजी निवेश (संयत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी मैदानी क्षेत्र मे ₹ 3.00 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 4.50 लाख से अधिक न हो, इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र में) समस्त राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, ग्रामोद्योग कहलाता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उददेश्य खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा उनका संगठन करना है। बोर्ड द्वारा सम्पादित महत्तवपूर्ण कार्य निम्नानुसार है–

- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना, जो बोर्ड की राय मे उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उत्पादन, प्रचार तथा क्रय–विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों मे अनुसंधान करना, स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण और अनुरक्षण में सहायता एवं सम्बन्धित समस्याओं हेतु समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग मे लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ भी हैं, से समन्वय करना एवं प्रोत्साहित करना।
- बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों; जैसे– सर्वेक्षण, मार्केटिंग, पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजाईनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के

विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

16.16 उत्तराखण्ड ऊन योजनाः— राज्य में ऊनी व्ययसाय की असीम संभावनाओं को देखते हुये पारम्परिक काश्तकारों के संरक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों (विशेषकर महिलाओं) को ऊनी कताई—बुनाई प्रशिक्षण प्रदान कर उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका—16.13
वर्ष 2025 — 26 में उत्पादन एवं बिक्री की प्रगति

(धनराशि लाख में)

क0 सं0	केन्द्र का नाम	तागा उत्पादन(किग्रा0)		वस्त्र उत्पादन		बिक्री	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य (धनराशि)	पूर्ति	लक्ष्य (धनराशि)	पूर्ति
1.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), अल्मोड़ा	6000.00	3815.500	85.00	35.74	100.00	32.50
2.	लोक वस्त्र इकाई, जसपुर (ऊ0 सिं0 नगर)	9000.00	5905.550	90.00	77.46	100.00	52.19
3.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), चम्बा	6000.000	3899.246	85.00	65.76	100.00	49.02
4.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), श्रीनगर गढ़वाल	6000.00	2355.600	85.00	28.88	100.00	7.09
	योग —	27000.00	15975.896	345.00	207.84	400.00	140.80

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.17 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):— छोटे—छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र हेतु ₹ 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु ₹ 50.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका—16.14
मार्जिन मनी/सब्सिडी का स्तर निम्नवत हैः—

पीएमईजीपी के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणियाँ	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	25 प्रतिशत
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पहाडी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा अधिकृत) आदि।	5 प्रतिशत	25 प्रतिशत	35 प्रतिशत

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका—16.15
वर्ष 2025—26 (माह दिसम्बर 2025) तक की प्रगति

जनपद	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय (मा0म0)	रोजगार	इकाई संख्या	मार्जिन मनी(लाख में)	रोजगार संख्या
अल्मोड़ा	19	70.81	209	16	46.39	115
बागेश्वर	4	14.90	44	3	10.47	15
चमोली	11	40.99	121	11	28.38	69
चम्पावत	4	14.90	44	10	28.34	88
देहरादून	19	70.81	209	11	35.28	46
हरिद्वार	18	67.07	198	22	132.24	164
नैनीताल	17	63.34	187	12	49.41	173

पौड़ी	8	29.81	88	5	9.82	68
पिथौरागढ़	16	59.62	176	15	46.70	133
रूद्रप्रयाग	11	40.99	121	14	36.14	50
टिहरी	9	33.53	99	14	39.38	52
ऊधमसिंहनगर	13	48.44	143	3	19.60	44
उत्तरकाषी	8	29.81	88	10	30.58	66
योग	**157**	**585.02**	**1727**	**146**	**512.73**	**1083**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.18 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः– बेरोजगार युवक /युवतियों को स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रेरित एवं प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹ 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत ₹ 10.00 लाख तक ऋण स्वीकृत किया जाता है।

तालिका–16.16
वर्ष 2025–26 (दिसम्बर 2025) तक की प्रगति

जनपद	लक्ष्यांक ईकाई संख्या	बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र	बैंकों द्वारा स्वीकृत	बैंकों द्वारा वितरित	मार्जिन मनी दावा
अल्मोड़ा	130	60	27	22	20
बागेश्वर	90	113	62	62	62
चम्पावत	90	138	78	77	75
चमोली	130	99	34	33	33
देहरादून	130	68	25	25	25
हरिद्वार	130	455	137	132	132
नैनीताल	145	222	91	९1	83
पौड़ी	145	117	72	69	68
पिथौरागढ़	130	91	47	46	46
रूद्रप्रयाग	90	112	55	54	53
टिहरी	130	140	77	77	71
ऊधमसिंह नगर	130	63	17	17	16
उत्तरकाशी	130	201	69	69	69
योग–	**1600**	**1879**	**791**	**774**	**753**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.19 खादी वस्त्रों की बिकी पर छूट :– 108 कार्यकारी दिवसों हेतु श्री गॉधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा पंजीकृत 60 संस्थाओं के लगभग 200 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

तालिका–16.17
कतकर–बुनकर (श्रेणीवार) का विवरण

कतकर	बुनकर	अन्य	योग	सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	पिछड़ी जाति	पुरूष	महिला
14842	**1846**	**434**	**17122**	**7385**	**1451**	**768**	**7518**	**2168**	**14954**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.20 भूतत्व एवं खनिकर्मः— राज्य में मुख्य खनिज के रूप मे मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन, बेस मेटल (सोना, चांदी, लेड आदि) इत्यादि एवं उपखनिज के रूप मे स्वस्थानें चट्टानें किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट आदि तथा नदी तल उपखनिज के रूप मे बालू, बजरी, बोल्डर आदि का भण्डार प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वन क्षेत्रान्तर्गत नदी तल खनन क्षेत्रों मे खनन/चुगान का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम तथा राजस्व नदी क्षेत्रों मे गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा तथा निजी नाप भूमि क्षेत्रों मे निजी व्यक्तियों के द्वारा खनन कार्य किया जाता है। राज्य मे मैग्नेसाईट की 04 खदानें, लाईमस्टोन की 02 खदानें, सिलिका सैण्ड की 01 खदान, खनिज सोपस्टोन की 173 खदानें व उपखनिज आर0बी0एम0 190 खदानें वर्तमान मे स्वीकृत हैं। उपखनिज आर0बी0एम0 पर आधारित 384 स्टोन क्रेशर व 50 स्क्रीनिंग प्लांट्स स्वीकृत/संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2025—26 मे निर्धारित ₹ 950.00 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक कुल ₹ 601.16 करोड़ का राजस्व अर्जन हुआ है।

16.21 मुख्य कार्यः— खनिज अन्वेषण, भू—अभियांत्रिकी कार्य एवं खनिज प्रशासन है। खनिज अन्वेषण एवं भूअभियांत्रिकी सम्बन्धी कार्य भूविज्ञान विधा के भूवैज्ञानिकों एवं खनन प्रशासन से सम्बन्धित कार्य खनन विधा के खनन अभियंताओं के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। खनिज अन्वेषण से सम्बन्धित कार्य प्राईवेट एक्सप्लोरेशन एजेन्सी, जो कि भारत सरकार मे पंजीकृत हैं, के द्वारा भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों हेतु मुख्य खनिज के पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/ अंशदान जमा कराया जाने के प्राविधान है, जिसमें नवम्बर, 2025 तक उक्त कोष में ₹ 7.95 लाख की धनराशि जमा हो चुकी है, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के अनुसार खनिज अन्वेषण कार्यों मे किया जायेगा।

खनिज परिवहन/खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई—रवन्ना वैब एप्लीकेशन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के दृष्टिगत ई—रवन्ना पोर्टल को उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य समय—समय किया जाता रहा है। राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश/रोकथाम लगाये जाने/ई—रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग रोकने तथा राजस्व हित में खनिजों के परिवहन हेतु पूर्व में साधारण पेपर पर ई—रवन्ना प्रपत्र प्रिन्ट/निर्गत किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई—रवन्ना प्रपत्र को प्रिन्ट कर प्रयुक्त किये जाने की व्यवस्था माह अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दी गयी है।

अध्याय–17
श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास
Labour-Employment and Skill Development

राज्य की अर्थव्यवस्था में अवैतनिक कार्य करने वाले लोगों के योगदान को मौद्रिक रूप में मापने एवं बाल श्रम के निषेध और तत्काल उन्मूलन के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

17.1 रोजगारः– जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या में 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर लगभग 34.09 प्रतिशत थी, जो कई राज्यों की तुलना में अधिक है। वर्तमान में आर्थिक विकास हेतु कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के दृष्टिगत महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया हैं।

तालिका 17.1
राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

क्र0सं0	मद	श्रेणी	दैनिक मजदूरी दर ₹ में
1	**2**	**3**	**4**
1	57 अनुसूचित नियोजन	अकुशल	482.27
2		अर्द्धकुशल	510.77
3		कुशल	539.35
4		अतिकुशल	587.50
5	कृषि नियोजन	अकुशल	352.30
6	अभियन्त्रण नियोजन (50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	438.31
7		अर्द्धकुशल	481.50
8		कुशल	534.23
9	अभियन्त्रण नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	459.92
10		अर्द्धकुशल	505.73
11		कुशल	551.53

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

चार्ट–17.1

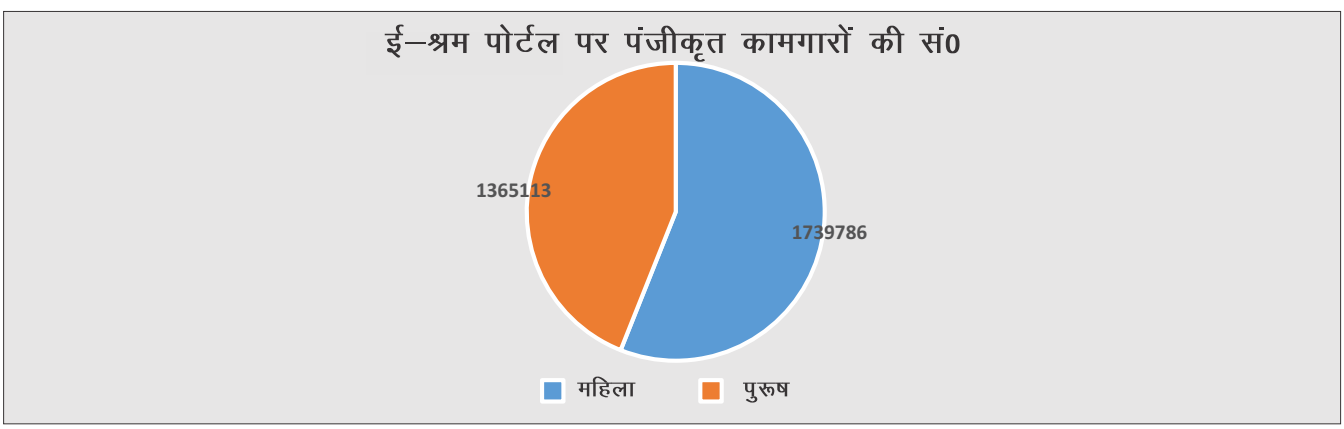

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

चार्ट–17.2

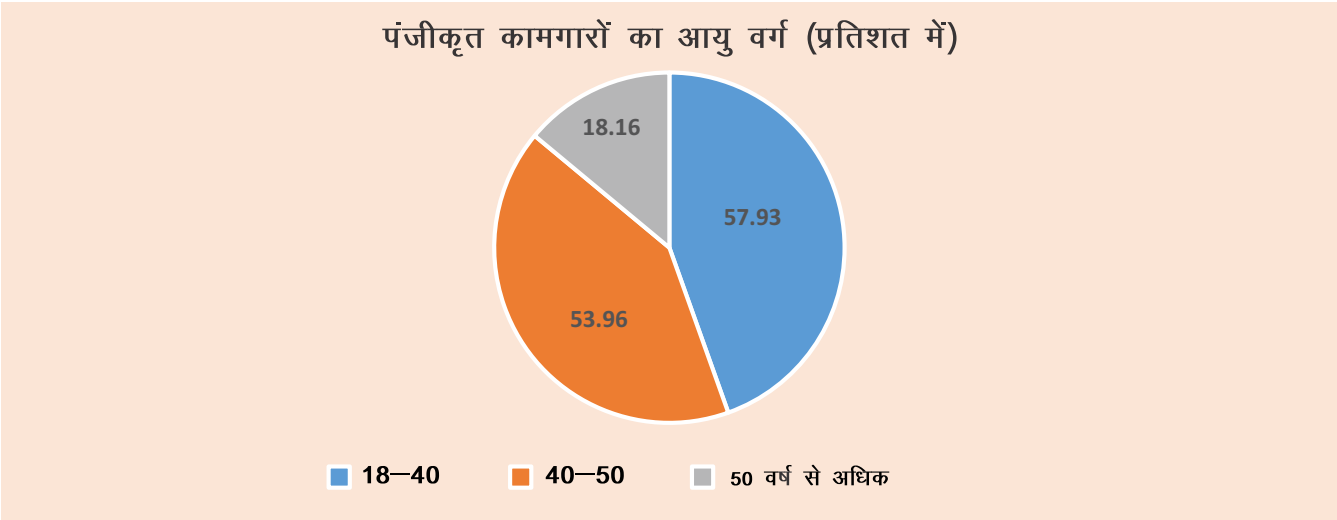

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

17.1.1 बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजनाः– बंधुवा श्रम अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बंधुवा श्रमिकों को अवमुक्त करने एवं उनका पुर्नवास किए जाने तथा नियोजकों के विरूद्ध दण्ड का प्राविधान है। अधिनियम में बंधुवा श्रमिकों के प्रकरण पर सजग दृष्टि रखने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय सतर्कता समिति तथा परगनाधिकारी की अध्यक्षता में परगना स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बंधुवा श्रमिक स्थाई समिति का गठन किया गया है।

बंधुवा श्रम संबंधी शिकायतों पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं श्रम विभाग के द्वारा संयुक्त जॉच कर दोषी पाये जाने की दशा में उल्लंघनकर्ता सेवायोजक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए बंधुवा श्रमिकों के अवमुक्त कराने एवं पुनर्वासन की व्यवस्था की जाती है।

वर्तमान में बंधुवा श्रम से संबंधित योजना 'Central Sector Scheme for Rehabiltation of Bonded Labour-2016' का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजना हेतु 100 प्रतिशत अनुदान (अनुमन्य धनराशि) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत जनपदीय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी को अवमुक्त की जाती है। वर्तमान में राज्य के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी गठित है।

राज्य के प्रत्येक जनपद में राज्य सरकार द्वारा रू0 10 लाख की धनराशि से Bonded Labour Rehabilitation कार्य हेतु Corpus fund का उपयोग अवमुक्त बंधुवा श्रमिकों को तत्काल सहायता तथा पुनर्वास किये जाने हेतु किया जाता है, बंधुवा श्रमिकों के नियोजकों के दोषी पाये जाने पर उनसे वसूल की गई दण्ड की धनराशि भी इस निधि में जमा की जाती है। इस निधि से बंधुवा श्रम के मामलों में लाभार्थियों को तत्काल आर्थिक सहायता ₹ 20,000/– सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त की जाती है।

17.1.2 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM):– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (**PM-SYM**) प्रारम्भ की गई है। असंगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोजनों एवं कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹ 15,000/– है, अपना नामांकन कराते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 40 वर्ष हो, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। श्रमिक द्वारा न्यूनतम ₹ 55 से

अधिकतम ₹ 200 का मासिक नियमित योगदान करने पर अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) पूर्ण होने के उपरांत श्रमिक को न्यूनतम धनराशि ₹ 3,000/–की मासिक पेंशन प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। श्रमिक पति एवं पत्नी दोनों द्वारा नामांकन कराया जा सकता है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर नामित उत्तराधिकारी (पति/पत्नी) द्वारा नियमित योगदान करने पर योजना को जारी रखा जा सकता है। माह जनवरी, 2026 तक **PM-SYM** में **39777** श्रमिकों द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।

17.1.3 ई–श्रम योजनाः– भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का नेशनल डाटा बेस तैयार किये जाने हेतु ई–श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोजनों यथा–घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट–भट्टा मजदूर, मछुवारे, लघु एवं खुदरा दुकानदार आदि द्वारा, जिनकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा अधिकतम आयु 59 वर्ष के मध्य हो, अपना पंजीकरण करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी आय प्रतिमाह ₹ 15000/– से कम है, जो पी0एफ0 अथवा ई0एस0आई0 के लाभार्थी नहीं है तथा आयकर नहीं देते है, जन सुविधा केन्द्रो के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं, इसके अतिरिक्त श्रमिक (www.eshram.gov.in) तथा मोबाईल ऐप (उमंग) द्वारा भी स्व–पंजीकरण कर सकते है। माह जनवरी, 2026 तक कुल **3104917** असंगठित श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है।

ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामित को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ₹ 02 लाख की दुर्घटना सहायता राशि प्रदान करने का प्राविधान है। असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाते है। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियों में इस डेटाबेस का उपयोग विभिन्न प्रकार की सहायता दिए जाने के लिए किया जा सकता है।

तालिका 17.2
पंजीकृत कामगारों की स्थिति

क्र0स0	कामगार	कामगारों की सं0	कामगारों का प्रतिशत
1	महिला	1739786	56.03
2	पुरूष	1365113	43.97

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

तालिका 17.3
पंजीकृत कामगारों का आयु वर्ग

क्र0स0	कर्मकारों का आयु वर्ग	कर्मकारों का प्रतिशत
1	18–40	57.93
2	40–50	53.96
3	50 वर्ष से अधिक	18–16

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

17.1.4 एन0पी0एस0–ट्रेडर्स :– लघु एवं खुदरा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को उनकी वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन योजना (**NPS-Traders**) प्रारम्भ की गई है। वे समस्त व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर ₹ 1.50 करोड़ से कम है, योजना से आच्छादित होंगे। अंशदाता द्वारा न्यूनतम ₹ 55 से अधिकतम ₹ 200 का मासिक नियमित योगदान करने पर अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) पूर्ण होने के उपरांत न्यूनतम धनराशि ₹ 3,000/–की मासिक पेंशन का प्राविधान है।

योजना में पति एवं पत्नी दोनों द्वारा नामांकन कराया जा सकता है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर नामित उत्तराधिकारी (पति/पत्नी) द्वारा नियमित योगदान करने पर योजना को जारी रखा जा सकता है। **NPS-Traders** में माह जनवरी, 2026 तक 916 लाभार्थियों का नामाकंन कराया गया है।

तालिका 17.4
विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों का नामांकन

जनपद	प्रधानमंत्री श्रम–योगी मानधन योजना में नामांकन	ई–श्रम योजना में पंजीकृत कामगार	एन0पी0एस0–ट्रेडर्स योजना में नामांकन
अल्मोड़ा	2210	199901	17
बागेश्वर	890	89176	7
चमोली	1917	126648	10
चम्पावत	2926	93152	105
देहरादून	6704	417529	295
हरिद्वार	6126	546481	66
नैनीताल	4586	287349	55
पौड़ी गढ़वाल	2730	178231	41
पिथौरागढ़	2965	135701	7
रूद्रप्रयाग	1077	80246	2
टिहरी गढ़वाल	2925	228750	15
ऊधमसिंह नगर	3618	599765	288
उत्तरकाशी	1103	121988	8
योग	**39777**	**3104917**	**916**

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

17.1.5 औद्योगिक सम्बन्ध :– औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण श्रम विभाग औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति तथा समन्वय आदि हेतु कार्यरत है। समझौता प्रकिया असफल होने पर विवादों/मामलों को श्रम न्यायालयों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में 01 औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार तथा काशीपुर में स्थित है।

राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनः– राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविदा श्रम अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, ब्वायलर अधिनिमय 1923, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961,वेतन संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम 1972, स्थाई आदेश अधिनियम 1946, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधि. 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधि0 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, मातृका हितलाभ अधिनियम 1961 तथा उ0प्र0. औद्योगिक विवाद अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त माह नवम्बर, 2025 से केन्द्र सरकार द्वारा 04 श्रम संहितायें लागू की गई, जिसके क्रम में राज्य सरकार के द्वारा नियमावली प्राख्यापन की कार्यवाही गतिमान है।

17.2 सेवायोजन (Employment):—

बेरोजगार अभ्यर्थियों को सवैतनिक रोजगार एवं स्वरोजगाार के अधिकतम अवसर प्रदान करने हेतु रोजगार मेलों/कैरियर वार्ताओ तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में आउटर्सोसिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिये जाने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल का संचालन किया जा रहा है तथा विदेशो में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा सहसपुर में विभिन्न भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने तथा युवा बेरोजागरों के प्रतिशत को कम करने हेतु सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं जिसकी सक्रिय पंजिका **(Live Register)** में कुल 511899 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 57 रोजगार मेलों में 14897 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा 1299 युवाओं का चयन किया गया।

17.2.1 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme):- विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी स्कूल/कालेज के छात्र–छात्राओं को उनकी योग्यता/अभिरूचि के अनुसार कैरियर चयन में सहायतार्थ कैरियर काउसिंलिग वार्ताओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रत्येक जनपद में सभी ब्लाकों में स्थित कालेजों/शिक्षण संस्थानों में कैरियर कार्नर स्थापित है। वर्ष 2025–26 में 227 कैरियर वार्तायें में 15139 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया गया।

17.2.2 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive Examinations):- वर्ष 2025–26 में 16 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, कम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान, सचिवालय पद्धति, बुक कीपिंग एवं एकाउन्टेन्सी तथा सामान्य गणित आदि विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस वर्ष 443 छात्र–छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

17.2.3 रोजगार पंजीयन सेवायें (Employment Registration Services):- पंजीयन, नवीनीकरण एवं शैक्षिक योग्यता अपडेट किये जाने सम्बंधी सेवायें "अपणि सरकार" पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन कार्य से दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को **Common Service Center** से पंजीयन हेतु विभागीय सेवाऐं सुलभता से उपलब्ध है।

17.2.4 व्यवसायिक मार्ग निर्देशन/स्वतः नियोजन (Vocational Guidance/Self-Employment):- सेवायोजन कार्यालयों में आने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित रोजगार चुनने हेतु मार्ग दर्शन दिया जाता है तथा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु जानकारी दी जाती है।

17.2.5 विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, सहसपुर :— युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर से जोड़े जाने हेतु ''विदेश रोजगार प्रकोष्ठ'' सहसपुर में संचालित किया जा रहा है। विभिन्न विदेशी भाषा प्रशिक्षण व्यय की कुल लागत का 20 प्रतिशत भुगतान किये जाने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को स्किल लोन की व्यवस्था व लोन के ब्याज का 75 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। प्रशिक्षणरत् युवाओं को निशुल्क छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था की गयी है। प्रकोष्ठ के माध्यम से जापान, जर्मनी, यू0के0 आदि देशो में राज्य के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

17.2.6 विभागीय उपलब्धियां:—

- Navis HR द्वारा जापान में केयर गिवर जॉबरोल हेतु 33 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से 23 प्रशिक्षणार्थियों को जापान में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा चुके है।

- केयर गिवर जॉबरोल हेतु 02 अभ्यर्थियों को निःशुल्क बैंगलौर में प्रशिक्षण प्रदान कर जापान में सेवायोजित किया गया है।

- LEARNET Skills For Life द्वारा जापान में केयर गिवर जॉबरोल हेतु 26 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है जिसमे 14 युवाओं द्वारा जापानी भाषा (N4) की परीक्षा उर्त्तीण की है, 10 युवाओं को जापान में सेवायोजित किया जा चुका है।

- Genrise Global Staffing Ltd. द्वारा जर्मनी में नर्स एवं अस्सिटेंट नर्स हेतु 15 अभ्यर्थियों का जर्मन भाषा का प्रशिक्षण गतिमान है।

- NSDC International द्वारा रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में 15 अभ्यर्थियों को जापान में आतिथ्य के क्षेत्र में एवं 27 अभ्यर्थियों को केयर गिबर जॉब रोल में सेवायोजित किये जाने हेतु जापानी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 13 युवा आतिथ्य एवं 08 युवाओं ने केयर गिवर जॉब हेतु जापानी भाषा परीक्षा उर्त्तीण की है। वर्तमान में 07 युवाओं को आतिथ्य के क्षेत्र में सेवायोजित किया जा चुका है।

- 2025 में प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश के आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं पास 21 युवाओं को सउदी अरब में वेयर हॉउस वर्कर के रूप में सेवायोजित किया जा चुका है।

- विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा आतिथि तक जापान में केयर गिवर जॉब रोल हेतु 35 एवं आतिथ्य के क्षेत्र में 07 युवाओं को में सेवायोजित किया जा चुका है।

- वर्तमान में प्रकोष्ठ द्वारा जापान में केयर गिबर जॉब रोल हेतु 25, आतिथ्य के क्षेत्र में 27 एवं जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में 26 युवाओं को विदेशी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

17.2.7 रोजगार प्रयाग पोर्टलः— समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थानों में आउटसोंसिंग के माध्यम से सभी वर्ग के कार्मिकों की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से **''रोजगार प्रयाग पोर्टल''** विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से कुल **73571** युवाओं द्वारा अपना पंजीकरण किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा **2887** रिक्तियों के सापेक्ष **1004** अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है।

17.2.8 वर्ष 2025—26 में योजनाओं की वित्तीय स्थितिः—

1— रोजगार अधिष्ठान (Employment Establishment):- सेवायोजन कार्यालयों हेतु ₹ 1554.99 **लाख** की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 981.33 **लाख** की धनराशि माह दिसम्बर 2025 तक व्यय की गयी।

2—शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre):— राज्य के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं में उनकी सेवा योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 08 नगरों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जाता है। वर्ष **2025—26** में स्वीकृत **₹120.20 लाख** की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष **₹ 57.90 लाख** की धनराशि माह दिसम्बर 2025 **तक** व्यय की गयी।

3— कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों परामर्श कार्य:- 22 सेवायोजन कार्यालयों/विश्वविद्यालयों एवं मंत्रणा केन्द्रों को विकसित कर रोजगार दिशा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2025—26 में **₹ 8.30 लाख** की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष **₹ 3.33 लाख** की धनराशि दिसम्बर 2025 तक व्यय की गयी।

4— विदेश रोजगार प्रकोष्ठ— आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कैरियर सेन्टर (**MCC**) सहसपुर, देहरादून में स्थापना की गई है। **इस हेतु ₹ 75.50 लाख़ की** स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष

₹ **30.42** लाख की धनराशि दिसम्बर 2025 तक व्यय की गयी।

5– स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लानः- शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र टिहरी, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत का संचालन अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2025 में 176 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ₹ **79.78 लाख** की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ **47.19 लाख** की धनराशि माह दिसम्बर 2025 तक व्यय की गयी।

6–ट्राइबल सब प्लानः- शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र कालसी, धारचूला, दिनेशपुर का संचालन ट्राइबल सब प्लान योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2025 में 58 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 में ₹ **50.50 लाख** की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ **33.36 लाख** की धनराशि माह दिसम्बर 2025 तक व्यय की गयी।

7–जनजाति अभ्यर्थियों के लिये विशेष सेवायोजन कार्यालय, कालसीः- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, कालसी में माह दिसम्बर 2025 तक 9696 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वर्ष 2025–26 में ₹ **63. 65 लाख** की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ **31.28 लाख** की धनराशि माह दिसम्बर 2025 तक व्यय की जा चुकी है।

17.3 कौशल विकास एवं सेवायोजन (प्रशिक्षण प्रखण्ड):–

17.3.1 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission)

पलायन रोकने तथा युवाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु दिसम्बर 2018 से गठित उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन **(UKSDM)** द्वारा आर्थिक सुधार एवं स्वरोजगार हेतु निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

17.3.2 राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर से जोड़े जाने के उद्देश्य से "विदेश रोजगार प्रकोष्ठ" सहसपुर में संचालित है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से **"मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना"** के अन्तर्गत युवाओं को "भारत–जापान तकनीकी इंटर्न कार्यक्रम" के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में केयर गिवर जॉब रोल हेतु जापानी भाषा में प्रथम बैच के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 33 युवाओं को विदेश रोजगार प्रकोष्ठ/स्किल हब, सहसपुर में एवं पूरे प्रदेश से चयनित 01 अभ्यर्थी (बीपीएल धारक) को Navis Hr Bangalore द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र Bangalore में प्रशिक्षित किया गया।

17.3.3 सिद्ध पोर्टल पर अभी तक 24412 युवाओं ने 52 कौशल गतिविधियों में पंजीकरण कराया है। प्रशिक्षण हेतु 995 युवाओं द्वारा सहमति प्रदान की गई है, जिन के आनलाइन टेस्ट दो फेज़ज में किये गये। प्रदेश के कुमायू क्षेत्र में कौशल क्षेत्रीय प्रतियोगिता में 37 पंजीकृत युवाओं में से 29 युवाओं द्वारा 07 कौशल गतिविधियों में तथा गढवाल क्षेत्र में 114 पंजीकृत युवाओं ने 34 कौशल गतिविधियों में एवं 54 युवाओं द्वारा 26 कौशल गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया।

राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड भारत कौशल प्रतियोगिता का आयोजन माह दिसम्बर, 2025 में किया गया। कुल 65 अभ्यर्थियों को 28 कौशल गतिविधियों हेतु प्रथम दौर में चयनित किया गया, जिसमें से 61 अभ्यर्थियों ने 26 गतिविधियों हेतु प्रतिभाग किया गया। अन्ततः 38 अभ्यर्थियों को अगले दौर के लिये 26 गतिविधियों हेतु चयनित किया गया।

17.4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः–

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कुल 153 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 71 निजी संस्थान एवं 06 गैर विभागीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत 89 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नेशनल

काउंसिल फॉर वोकेशनल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग (एनसीवीईटी) भारत सरकार नई–दिल्ली से मान्यता प्राप्त संचालित है जिनमें विभिन्न 40 इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग आधुनिकतम व्यवसायों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन संस्थानों की कुल प्रवेश क्षमता 16580 है। उक्त के अतिरिक्त 23 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0वी0टी0) के अन्तर्गत भी संचालित हो रहे हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 10 प्रतिशत महिला प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।

17.4.1 उद्योग 4.0 की मॉग के अनुरूप 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा युवक देहरादून, हरिद्वार, पिरानकलियर, बड़कोट, चम्बा, गोपेश्वर, काशीपुर, सितारगंज, हल्द्वानी, कालाढूँगी, पिथौरागढ, चम्पावत व अल्मोड़ा का उन्नयन (Upgradation) सम्बन्धी कार्य विभिन्न शर्तो के अधीन टाटा टैक्नोलॉजी प्रा0लि0 के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा चिन्हित 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यशाला एवं टेक्नोलॉजी लैब के निर्माण का कार्य गतिमान है।

आई0टी0आई काशीपुर में Schneider Electric के तकनीकी सहयोग से तथा आई0टी0आई0 हरिद्वार में Philips के सहयोग से Manufacturing के क्षेत्र में Centre of Excellence (COE) स्थापित किया गया है जिसमें आई0टी0आई उत्तीर्ण युवाओं को निःशुल्क उच्च प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे विभिन्न प्रतिष्ठित उद्यागों में उच्च मानदेय पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रथम बार राज्य के 32 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु Dual System of Training (DST) के अन्तर्गत प्रतिष्ठित औद्योगिक आस्थानों यथाः टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के साथ एमओयू किया गया है, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी आई0टी0आई0 तथा इन्डस्ट्री में बराबर अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। Dual System of Training (DST) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। एमओयू करने वाले अधिष्ठानों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेंड लगभग ₹ 8000 से ₹ 10000 प्रतिमाह दिये जाने हेतु विचार किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 928 सीट के सापेक्ष 791 प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया है। संस्थानों में प्रवेश लेने वाले नव–प्रवेशार्थियों को वित्तीय सहायता की धनराशि ₹ 787/–(रू0 सात सौ सत्तासी मात्र) उपलब्ध करायी जायेगी।

सुशासन, पारदर्शिता और दक्षता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों में 18 प्रधानाचार्यों, 37 कार्यदेशकों एवं 24 सहायक भण्डारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 370 अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

17.4.2 वर्तमान में शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में 2209 अधिष्ठान पंजीकृत है, जिनमें 28536 शिशिक्षु अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना मे समस्त एन0सी0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0 मान्य व्यवसायों के प्रशिक्षण में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक या दो वर्ष का शिशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियोजित कराया जाता है, जिससे वह उद्योगों की आवश्कतानुसार वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त कर कुशल शिल्पकार बन जाता है।

वर्ष 2025–26 में ToT Programmes on Pedagogy (Foundation) & Assessement (Foundation) World Skill Center भुवनेश्वर उड़ीसा में 03 प्रधानाचार्य, 10 कार्यदेशकों एवं 17 अनुदेशकों सहित कुल 30 कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया एवं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 8 कार्यदेशकों एवं 17 अनुदेशकों सहित कुल 25 कार्मिकों को प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र (आई0टी0ओ0टी0) अलीगंज, लखनऊ भेजा गया।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग एवं विभिन्न औद्योगिक इकाईयों/संस्थाओं के मध्य

Memorandum of Understanding (MoU) किये गये। Tata Community Initiatives Trust के सहयोग से टाटा स्ट्राईव बी0एम0एस0 परियोजना (बजाज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम) के अन्तर्गत टी0पी0एम0 (Total Productive Maintenance) के सिद्धान्तों पर आधारित प्रशिक्षणार्थियों/अनुदेशकों हेतु एक विकसित कार्यक्रम तैयार किया गया है:–

- टाटा स्ट्राईव व सीमेन्स द्वारा अनुदेशकों को Safety & Pedagogy Training, प्रशिक्षणार्थियों के मध्य प्रोजेक्ट कम्पटीशन, औद्योगिक आस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षणार्थियों के ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाना।
- बाधवानी फाउण्डेशन के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के कैरियर काउसिंलिंग कर उनके रोजगार में सहायता करना।
- मेधा फाउण्डेशन के सहयोग से प्रशिक्षणार्थियों के उत्थान और प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम प्रभावी कार्यान्वयन कराये जाने व रोजगार के लिये तैयार करना।
- प्रशिक्षणार्थियों के डीएसटी में सहयोग प्रदान करना।
- Wonnovation Education Services Pvt. Ltd. के सहयोग से युवाओं के पलायन व बेरोजगारी की तात्कालिक दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने के लिये नवाचार और शैक्षिक विकास को बढ़ावा दिये जाने में सहयोग प्रदान करना।
- नन्दी फाउण्डेशन के सहयोग से सामाजिक और आर्थिक रूप से युवाओं को कौशल प्रदान कर आजिविका और आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाना।

REACHA फाउन्डेशन एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा माह जनवरी 2025 Uttarakhand Youth Upskilling Programme (UYUP) कार्यक्रम के संचालन हेतु एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक उद्योगों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कराना है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी एवं SGBS Unnati Foundation, Bengaluru के मध्य एमओयू के माध्यम से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षार्थियों को व्यक्तिगत गुण, इन्टरव्यू कौशल से सम्बन्धित निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे अध्ययनरत प्रशिक्षार्थियों को भविष्य में उचित रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगें।

17.4.3 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रमुख उद्योगों द्वारा सी0एस0आर0 के माध्यम से सहभागिता का विवरण :–

- **हयून्डाई मोटर्स-** राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून में प्रशिक्षण हेतु आधुनिक मशीनरी स्थापित की गयी।
- **मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड, जैगुआर, आयशर, वाल्बो एवं होन्डा–** राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी में बुनियादी ढॉचे और प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु मारूति सुजुकी एवं जैगुआर द्वारा योगदान दिया गया तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरजंनपुर में बुनियादी ढॉचे और प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड, जैगुआर, आयशर, वाल्बो एवं होन्डा द्वारा योगदान दिया गया।
- **सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड–** राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला, देहरादून के साथ साझेदारी की गयी है

जिसके अर्न्तगत छात्रों को उनके मूल ट्रेडों के अलावा नवीनतम सैमसंग इलैक्ट्रानिक उपकरणों, उभरती प्रौद्योगिकियों और वास्तविक समय के औद्योगिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला, देहरादून में इलैक्ट्रानिक्स और आईसीटीएसएम की छात्राओं को टेबलेट, मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच, टैलीविजन और होम आडियो सिस्टम का प्रशिक्षण एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर में आरएसी और इलैक्ट्रीशियन के छात्रों को रैफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वांशिग मशीन, माइक्रोवेव ओवन का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सैमसंग पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् छात्राओं, बीपीएल एवं दिव्यांग छात्राओं को रू0 15000 और प्रत्येक बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ₹ 20000 की छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

- **अरनोवा टैक्नोलॉजी-** राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर में उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक इलैक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकी कार्यशाला स्थापित की गयी।
- **ट्योटा किर्लोसकर मोटर्स लिमिटेड–** राज्य सरकार के साथ सह–विकास मॉडल के माध्यम से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी में ऑटो बॉडी रिपेयर और ऑटो बॉडी पेटिंग लैब की स्थापना की गई है।

Periodic Labour Force Survey (PLFS)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा अप्रैल, 2017 से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख त्रैमासिक और वार्षिक सर्वेक्षण है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) के विश्वसनीय आंकड़ें प्रदान करता है। जनवरी, 2025 से, इसे अधिक सटीक, मासिक, और त्रैमासिक रिपोर्टिंग के लिए संशोधित किया गया है।

PLFS के मुख्य विवरण:

- **उददेश्य:** देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का समय–समय पर (त्रैमासिक/वार्षिक) आकलन करना।
- **आंकड़े:** यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) और सामान्य स्थिति (PS+SS) पर आंकडे जारी करता है।
- **संशोधित संरचना (2025):** जनवरी, 2025 से, सर्वेक्षण पद्धति में बदलाव किया गया है। जिसमें अब अधिक परिवार शामिल है और मासिक बुलेटिन जारी किये जाते हैं।
- महत्वपूर्ण संकेतकों का अर्थः
- **LFPR (श्रम बल भागीदारी दर):** काम कर रहे या काम की तलाश कर रहे लोगों का प्रतिशत।
- **WPR (श्रमिक जनसंख्या अनुपात):** काम कर रहे व्यक्तियों का प्रतिशत।
- **UR (बेरोजगारी दर):** काम न पाने वाले या बेरोजगार लोगों का प्रतिशत।

तालिका 17.5

Labour Force Participation Rate (in per cent) in CWS all india									
Survey period	rural			urban			rural + urban		
	male	female	person	male	female	person	male	female	person
age: 15 years and above									
April-June, 2025	78.4	37	57.1	75.1	25.6	50.6	77.3	33.4	55
July-Sept, 2025	78.2	37.5	57.2	75.3	25.8	50.7	77.2	33.7	55.1
age : all ages									
April-June, 2025	57	27.9	42.3	58.5	20.4	39.9	57.5	25.6	41.5
July-Sept, 2025	56.7	28.2	42.3	59.1	20.7	40.2	57.5	25.9	41.6
Worker Population Ratio (in per cent) in CWS all india									
Survey period	rural			urban			rural + urban		
	male	female	person	male	female	person	male	female	person
age: 15 years and above									
April-June, 2025	74.5	35.4	54.4	70.5	23.3	47.1	73.1	31.6	52
July-Sept, 2025	74.6	36	54.7	70.7	23.5	47.2	73.2	32	52.2
age : all ages									
April-June, 2025	54.1	26.7	40.3	55	18.6	37.2	54.4	24.2	39.3
July-Sept, 2025	54.1	27.1	40.4	55.4	18.8	37.5	54.5	24.5	39.5
UnemploymentRate (in per cent) in CWS all india									
Survey period	rural			urban			rural + urban		
	male	female	person	male	female	person	male	female	person
age: 15 years and above									
April-June, 2025	5	4.3	4.8	6.1	8.9	6.8	5.4	5.4	5.4
July-Sept, 2025	4.7	4	4.4	6.2	9	6.9	5.2	5.2	5.2
age : all ages									
April-June, 2025	5	4.3	4.8	6.1	8.9	6.8	5.4	5.4	5.4
July-Sept, 2025	4.7	4	4.4	6.2	9	6.9	5.2	5.2	5.2

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

चार्ट–17.3

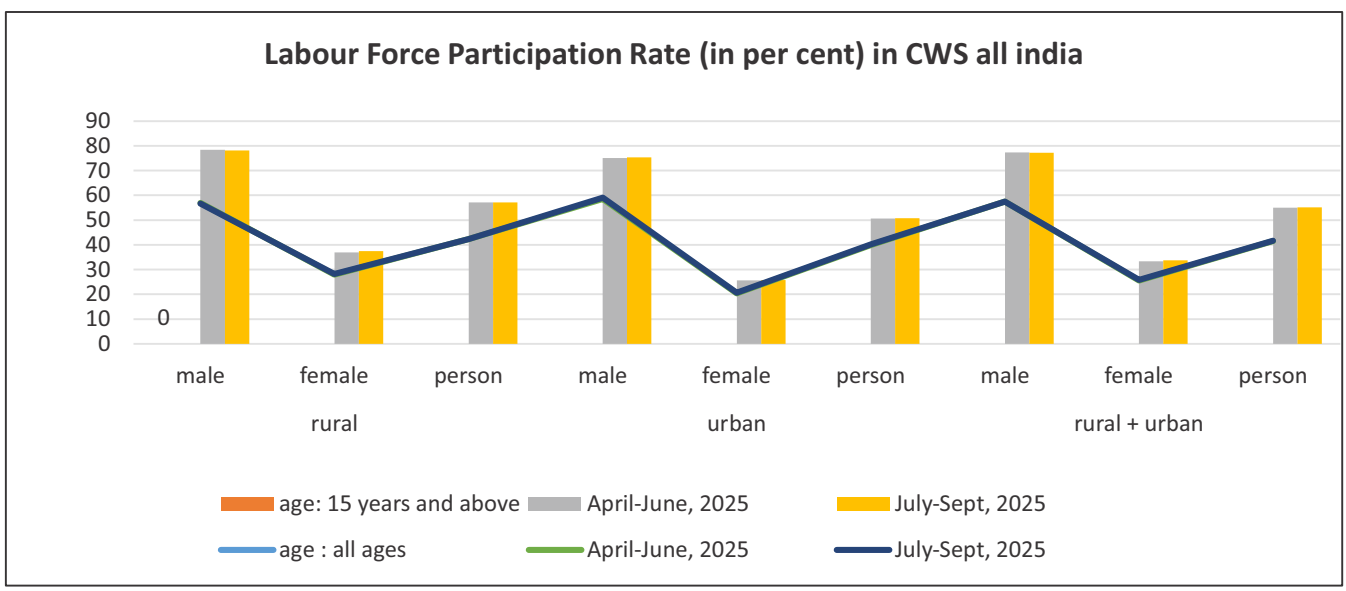

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

चार्ट–17.4

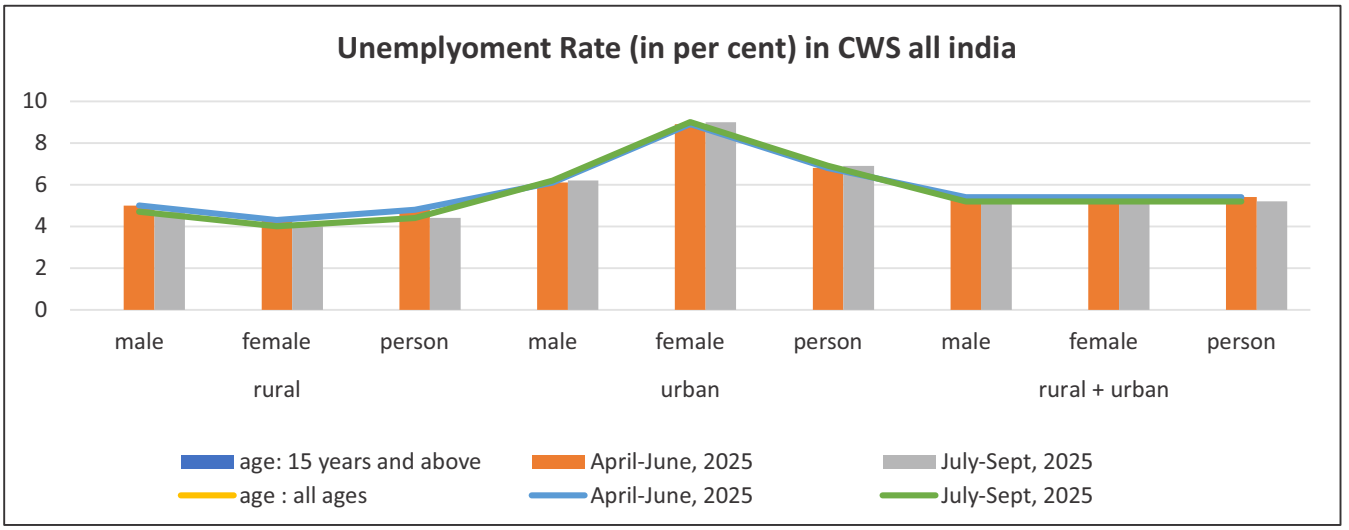

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

चार्ट–17.5

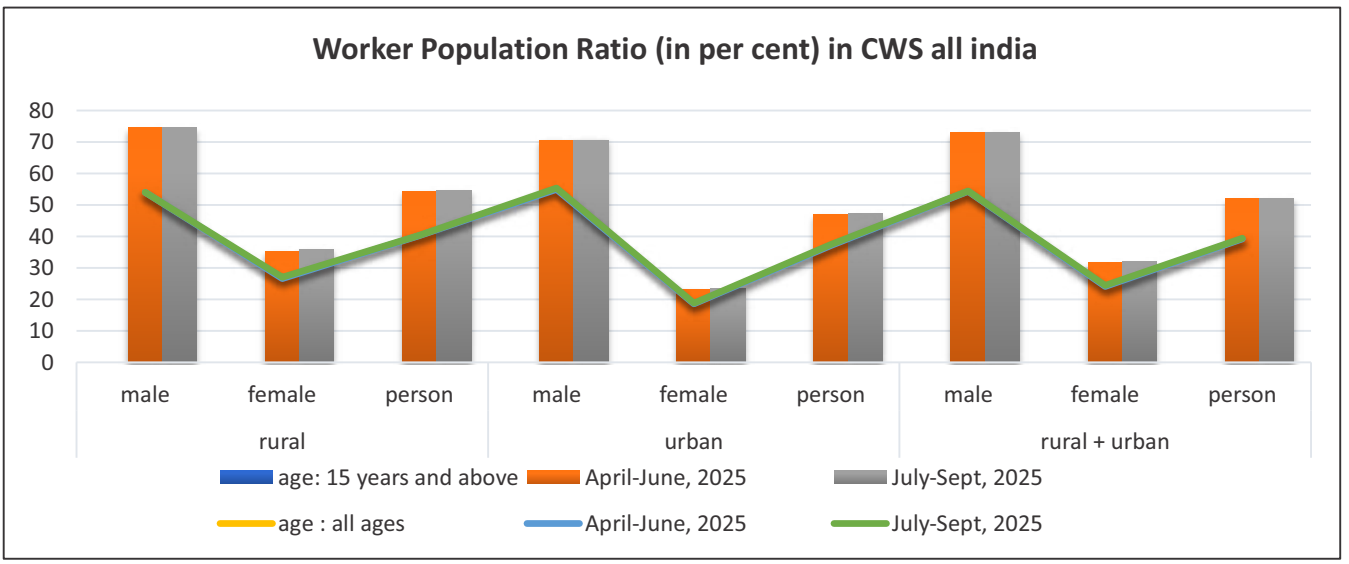

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मत्रालय द्वारा जुलाई, 2025 से सितम्बर, 2025 तक की अवधि के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट अनुसार देश में श्रम बल भागेदारी दर मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से अधिक आयु वर्ग में श्रम बल भागेदारी दर 57.1 प्रतिशत से बढकर 57.2 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में सभी आयु वर्ग में श्रम बल भागेदारी दर 39.9 से बढकर 40.2 हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से अधिक आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 54.4 से बढकर 54.7 हो गया है तथा शहरी क्षेत्रों में 47.1 प्रतिशत से बढकर 47.2 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत हो गयी है तथा सभी क्षेत्रों में सभी आयु समूह में बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत हो गई है।

टेबल 1: लेबर फोर्स पार्टिसपैशन रेट (एलएफपीआर) (प्रतिशत में)							भारत		
आयु वर्ग	ग्रामीण			नगरीय			ग्रामीण + नगरीय		
	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएलएफएस (2023–24)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	80.2	47.6	63.7	75.6	28	52	78.8	41.7	60.1
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	57.9	35.5	46.8	59	22.3	41	58.2	31.7	45.1
पीएलएफएस (2022–23)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	80.2	41.5	60.8	74.5	25.4	50.4	78.5	37.0	57.9
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	55.5	30.5	43.4	58.3	20.2	39.8	56.2	27.8	42.4
पीएलएफएस (2021–22)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	78.2	36.6	57.5	74.7	23.8	49.7	77.2	32.8	55.2
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	56.9	27.2	42.2	58.3	18.8	39.00	57.3	24.8	41.3
पीएलएफएस (2020–21)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	78.1	36.5	57.4	74.6	23.2	49.1	77.0	32.5	54.9
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	57.1	27.7	42.7	58.4	18.6	38.9	57.5	25.1	41.6
पीएलएफएस (2019–20)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	77.9	33.0	55.5	74.6	23.3	49.3	76.8	30	53.5
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	56.3	24.7	40.8	57.8	18.5	38.6	56.8	22.8	40.1
पीएलएफएस (2018–19)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	76.4	26.4	51.5	73.7	20.4	47.5	75.5	24.5	50.2
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	55.1	19.7	37.7	56.7	16.1	36.9	55.6	18.6	37.5
पीएलएफएस (2017–18)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	76.4	24.6	50.7	74.5	20.4	47.6	75.8	23.3	49.8
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	54.9	18.2	37.00	57	15.9	36.8	55.5	17.5	36.9
2022–23 जुलाई, 2022 जून, 2023 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19 और 2017–18 के लिए									

टेबल 2: कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)									भारत
आयु वर्ग	ग्रामीण			नगरीय			ग्रामीण + नगरीय		
	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषो में	महिलाओं में	व्यक्तियों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएलएफएस (2023–24)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	78.1	46.5	62.1	72.3	26	49.4	76.3	40.3	58.2
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	56.3	3434.8	45.6	56.4	20.7	38.9	56.4	30.7	43.7
पीएलएफएस (2022–23)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	78	40.7	59.4	71.0	23.5	47.7	76.0	35.9	56.0
सभी उम्रके व्यक्तियों के लिए	54	30	42.3	55.6	18.7	37.7	54.4	27	41.1
पीएलएफएस (2021–22)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	75.3	35.8	55.6	70.4	21.9	46.6	73.8	31.7	52.9
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	54.7	26.6	40.8	55	17.3	36.6	54.8	24	39.6
पीएलएफएस (2020–21)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	75.1	35.8	55.5	700	21.2	45.8	73.5	31.4	52.6
सभी उम्र के व्यक्तियों केलिए	54.9	27.1	41.3	54.9	17.0	36.3	54.9	24.2	39.8
पीएलएफएस (2019–20)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	74.4	32.2	53.3	69.9	21.3	45.8	73	28.7	50.9
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	53.8	24	39.2	54.1	16.8	35.9	53.9	21.8	38.2
पीएलएफएस (2018–19)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	72.2	25.5	48.9	68.6	18.4	43.9	71.0	23.3	47.3
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	52.1	19.0	35.8	52.7	14.5	34.1	52.3	17.6	35.3
पीएलएफएस (2017–18)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	72.0	23.7	48.1	69.3	18.2	43.9	71.2	22.0	46.8
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	51.7	17.5	35	53	14.2	33.9	52.1	16.5	34.7

2022–23 जुलाई, 2022 जून, 2023 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19 और 2017–18 के लिए

टेबल 3: बेरोजगारी दर (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में									भारत
आयु वर्ग	ग्रामीण			नगरीय			ग्रामीण + नगरीय		
	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएलएफएस (2023–24)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	2.7	2.1	2.5	4.4	7.1	5.1	3.2	3.2	3.2
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	2.7	2.1	2.5	4.4	7.1	5.1	3.2	3.1	3.2
पीएलएफएस (2022–23)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	2.7	1.8	2.4	4.7	7.5	5.4	3.3	2.9	3.2
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	2.8	1.8	2.4	4.7	7.35	5.4	3.3	2.9	3.2

पीएलएफएस (2021–22)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	3.8	2.1	3.2	5.8	7.9	6.3	4.4	3.3	4.1
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	3.8	2.1	3.2	5.8	7.9	6.3	4.4	3.3	4.1
पीएलएफएस (2020–21)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	3.8	2.1	3.3	6.1	8.6	6.7	4.5	3.5	4.2
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	3.8	2.1	3.3	6.1	8.6	6.7	4.5	3.5	4.2
पीएलएफएस (2019–20)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	4.5	2.6	3.9	6.4	8.9	6.9	5.0	4.2	4.8
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	4.5	2.6	3.9	6.4	8.9	7.00	5.0	4.2	4.8
पीएलएफएस (2018–19)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	5.5	3.5	5.0	7.0	9.8	7.6	6.00	5.1	5.8
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	5.6	3.5	5.0	7.1	9.9	7.7	6.0	5.2	5.8
पीएलएफएस (2017–18)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	5.7	3.8	5.3	6.9	10.8	7.7	6.1	5.6	6.0
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	5.8	3.8	5.3	7.1	10.8	7.8	6.2	5.7	6.1

2022–23 जुलाई, 2022 जून, 2023 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19 और 2017–18 के लिए

टेबल 1: लेबर फोर्स पार्टिसपैशन रेट (एलएफपीआर) (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) में उत्तराखण्ड

आयु वर्ग	ग्रामीण			नगरीय			ग्रामीण + नगरीय		
	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएलएफएस (2023–24)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्रके व्यक्तियों केलिए	76.9	52.6	64.5	75.0	24.4	49.5	76.4	45.6	60.7
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	56.6	41.8	49.3	55.6	18.6	37.2	56.4	35.9	46.2
पीएलएफएस (2022–23)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	73.8	45.7	59.4	72.8	16.8	46.2	73.5	38.7	56.0
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	56.0	35.0	45.3	55.5	12.5	34.7	55.7	29.4	42.5
पीएलएफएस (2021–22)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	72.3	38	55.3	70.2	18.8	45.5	71.7	33.1	52.8
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	54	29.7	42.3	55.3	15.1	36.1	54.3	26.1	40.8
पीएलएफएस (2020–21)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	68.3	35.3	51.8	64.0	16.9	41.4	66.9	29.9	48.7
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	50.0	27.5	39.1	50.7	13.6	33.1	50.2	23.5	37.4
पीएलएफएस (2019–20)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों केलिए	74.6	37.3	56.1	74.5	17.5	46.1	74.6	31.8	53.4

सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	56.5	28.8	43	56.5	13.9	35.9	56.5	24.8	41
पीएलएफएस (2018–19)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	71.3	20.8	45.4	72.7	15.5	45.6	71.6	19.4	45.4
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	52.3	16.1	34.2	54.6	11.8	34.3	53	15	34.3
पीएलएफएस (2017–18)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	69.1	20.3	44.5	71.3	12.3	42.5	69.8	18.1	43.9
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	51.1	15.4	33.3	55.3	9.5	32.9	52.3	13.7	33.2

2022–23 जुलाई, 2022 जून, 2023 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19 और 2017–18 के लिए

टेबल 2: कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) में उत्तराखण्ड

आयु वर्ग	ग्रामीण			नगरीय			ग्रामीण + नगरीय		
	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएलएफएस (2023–24)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	73.2	51.2	61.9	72.4	21.2	46.6	73.0	43.7	58.1
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	53.9	40.7	47.3	53.7	16.2	35.1	53.8	34.4	44.2
पीएलएफएस (2022–23)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	70.7	44.1	57.1	68.6	15.1	43.2	70.1	37.0	53.5
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	53.7	33.8	43.5	51.6	11.2	32.3	53.1	28.2	40.6
पीएलएफएस (2021–22)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	65.6	36.9	51.4	63.7	15.8	40.7	65.1	31.6	48.7
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	49.1	28.9	39.3	50.0	12.7	32.3	49.3	24.9	37.6
पीएलएफएस (2020–21)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	73.1	36.5	54.8	71.1	19.3	46.3	72.5	31.5	52.3
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	53.5	28.4	41.4	56.3	15.6	37.0	54.3	24.7	40.1
पीएलएफएस (2019–20)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	68.7	35.8	52.4	68.8	14.8	41.9	68.8	30.1	49.5
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	52.1	27.7	40.1	52.2	11.8	32.6	52.1	23.4	38.1
पीएलएफएस (2018–19)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	67.6	18.1	42.1	65.3	10.8	39.5	66.9	16.2	41.4
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	49.6	14	31.8	49.1	8.2	29.7	49.4	12.5	31.2
पीएलएफएस (2017–18)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	64.5	18.8	41.5	66.2	9.4	38.5	65	16.1	40.6
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	47.7	14.2	31	51.4	7.3	29.8	48.8	12.3	30.7

2022–23 जुलाई, 2022 जून, 2023 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19 और 2017–18 के लिए

टेबल 3: बेरोजगार दर (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) में						उत्तराखण्ड			
आयु वर्ग	ग्रामीण			नगरीय			ग्रामीण + नगरीय		
	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में	पुरूषों में	महिलाओं में	व्यक्तियों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएलएफएस (2023–24)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	4.8	2.7	3.9	3.5	13	5.8	4.5	4.1	4.3
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	6.1	4.6	5.6	3.6	16.9	6.6	5.4	6.6	5.8
पीएलएफएस (2022–23)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	4.1	3.5	3.9	5.8	10.2	6.6	4.6	4.2	4.5
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	4.1	3.5	3.9	6.2	10.2	6.9	4.7	4.2	4.5
पीएलएफएस (2021–22)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	9.2	2.8	7.0	9.2	16.4	10.6	9.2	4.7	7.8
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	9.2	2.8	7.0	9.2	16.4	10.6	9.2	4.7	7.8
पीएलएफएस (2020–21)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियें के लिए	6.6	3.3	5.5	10	12.5	10.5	7.7	5.0	6.9
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	6.6	3.3	5.5	10	12.5	10.5	7.7	5.0	6.9
पीएलएफएस (2019–20)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	7.9	3.9	6.5	7.6	15.5	9.1	7.8	5.6	7.1
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	7.8	3.9	6.5	7.6	15.5	9.1	7.8	5.6	7.1
पीएलएफएस (2018–19)									
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए	5.2	13.3	7.1	10.2	30.2	13.4	6.7	16.8	8.9
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	5.3	13.3	7.2	10.2	30	13.4	6.7	16.8	8.9
पीएलएफएस (2017–18)									
15 वर्ष औरउससे अधिक उम्रके व्यक्तियों के लिए	6.7	7.6	6.9	7.1	23.8	9.5	6.8	10.7	7.6
सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए	6.7	7.6	6.9	7.1	23.8	9.5	6.8	10.7	7.6

2022–23 जुलाई, 2022 जून, 2023 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19 और 2017–18 के लिए

ग्रामीण एवं शहरी विकास

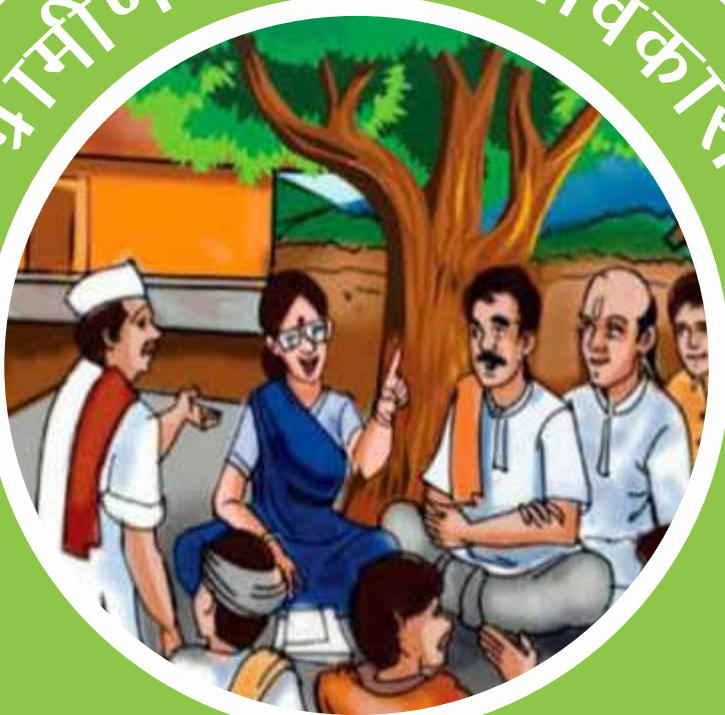

अध्याय–18
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
Rural Development & Panchayati Raj

सशक्त गाँव, सशक्त उत्तराखंड ग्रामीण विकास के बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के साथ ग्राम विकास विभाग के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य गठन उपरान्त तत्समय संचालित स्वण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000–01 में कुल आठ हजार पांच स्वयं सहायता समूह गठित कर सैंतालीस हजार नवासी परिवारों को योजना से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2013–14 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रूपांतरित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू की गयी। राज्य में अढ़सठ हजार चार सौ इक्यावन स्वयं सहायता समूह गठित कर पाँच लाख से अधिक महिलाएं जोड़ी गई हैं।

वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत सत्तावन हजार नौ सौ चार समूहों को छियासी करोड़ एक लाख रुपये रिवॉल्विंग फंड, चवालीस हजार नौ सौ तैंतीस समूहों को तीन सौ बारह करोड़ चौबीस लाख रुपये सामुदायिक निवेश निधि और पचपन हजार दो सौ इकसठ समूहों को ग्यारह सौ अठानबे करोड़ उन्तालीस लाख रुपये बैंक लिंकेज ऋण प्रदान किया गया है। आज राज्य में 49 ग्रोथ सेंटर, 17 सरस सेंटर, 08 बेकरी यूनिट, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 110 यात्रा आउटलेट सक्रिय हैं। इन पहलों से राज्य के स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे हैं।

राज्य मे एक लाख तिरसठ हजार महिलाएं एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय अर्जित कर लखपति दीदी के रूप में स्थापित हुयी हैं। राज्य में महिलाओं के उत्पादों के विपणन हेतु लोकल से ग्लोबल की सोच को साकार करते हुए **हाउस ऑफ हिमालयाज** की स्थापना की गई, जिससे ग्रामीण महिलाओं को विश्वस्तरीय मंच पर अपने उत्पादों के विपणन का अवसर मिला।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा इको–सिस्टम को विकसित करने के उद्देश्य से "राज्य पोषित मुख्यमंत्री उद्यमशाला" योजना प्रारम्भ की गयी। वर्तमान तक दो जनपदों में हब तथा शेष ग्यारह में इन्क्यूबेटर्स स्थापित किये गये। अब तक बीस करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करते हुए राज्य के छह हजार पांच सौ से अधिक युवाओं/महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। एक हजार तीन सौ से अधिक उद्यमों को आनलाइन व आफलाइन बाजार से जोड़ा गया। आठ हजार चार सौ से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये गये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की गई है। वर्तमान तक छत्तीस करोड़ छः लाख मानव दिवस सृजित किये गये,जिसमें सत्रह करोड़ उन्नासी लाख मानव दिवस महिलाओं के सम्मलित हैं। मिशन अमृत सरोवर के तहत राज्य को आवंटित नौ सौ पचहत्तर के लक्ष्य के सापेक्ष एक हजार तीन सौ बाईस सरोवरों को पूर्ण किया गया है जो एक सौ छत्तीस प्रतिशत है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक कुल पच्चीस हजार तीन सौ पचहत्तर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करते हुये इक्कीस हजार दो सौ पिचासी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य गठन से वर्ष 2015–16 तक भारत सरकार से इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत आवासों को पूर्ण कराया गया।

18.1 केंन्द्र पोषित योजनायें

18.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)–

यह योजना उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों का क्षमता एवं कौशल विकास कर उन्हें सतत आजीविका संवर्द्धन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

- स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के बाजारीकरण हेतु 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेन्टरों को जनपद स्तर पर आउटलेट के रुप में तैयार किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 से एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत 24 ग्रोथ सेन्टर संचालित किये जा रहें हैं।
- राज्य में ग्रोथ सेन्टरों का संचालन कर समूहों एवं संगठनों द्वारा राज्य के विभिन्न उत्पादों का प्रोसेसिंग कर विपणन किया जा रहा है।
- राज्य में योजना प्रारम्भ से 1.63 लाख लखपति दीदी तैयार की गयी है।

मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक 68830 स्वयं सहायता समूह की 5.03 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 7831 ग्राम संगठन तथा 569 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 57980 समूहों को अब तक कुल ₹ 8616.00 लाख परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। 45330 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0 फण्ड) के रूप में ₹ 31527.00 लाख आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए ₹ 213.32 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें कुल 23000 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कुल ₹ 500 करोड ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2025 तक कुल 19717 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 26920.47 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2025 तक जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

तालिका–18.1

एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
अल्मोड़ा	2010	1389	3230	1740.22
बागेश्वर	580	683	1780	1037.74
चमोली	2070	1245	4270	1353.61
चम्पावत	1370	1168	2200	1158.83
देहरादून	1510	1646	5820	3618.43
हरिद्वार	1100	1442	3430	2747.03
नैनीताल	2190	1449	5470	2068.71
पौड़ी	3350	2015	5450	2596.99
पिथौरागढ़	1600	1374	2730	1642.31
रूद्रप्रयाग	880	863	2320	1228.33
टिहरी	1520	1637	2270	1734.38
उधमसिंह नगर	3300	2676	8210	3079.91
उत्तरकाशी	1520	2130	2820	2913.98
कुल योग	**23000**	**19717**	**50000**	**26920.47**

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के प्रोसेसिगं एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 17 सरस सेन्टर, 33 नैनो पैंकेजिंग यूनिट, 2 राज्य स्तरीय आउटलेट स्थापित किये गये हैं।

USRLM के अंतर्गत मिशन का मुख्य फोकस संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वित्तीय समावेशन, आजीविका विविधीकरण, वैल्यू–चेन विकास तथा आय संवर्धन पर रहा है। SHG–VO–CLF आधारित त्रि–स्तरीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से राज्य में सामुदायिक नेतृत्व एवं सुशासन को सुदृढ़ किया गया है।

वर्तमान (क्यूम्युलेटिव) परफॉर्मेंस/आउटकम संकेतक–

- 68,830 स्वयं सहायता समूह एवं 5.03 लाख ग्रामीण परिवार आच्छादित।
- 7831 ग्राम संगठन, 569 क्लस्टर स्तरीय संघ एवं 200 मॉडल CLF.
- 57980 SHG को रिवाल्विंग फण्ड (RF), 45330 SHG को सामुदायिक निवेश निधि (CIF)
- 54307 SHG का बैंक लिंकेज व NPA मात्र 1. 96% है।
- 396832 महिला किसान, 354387 पोषण वाटिकाएँ
- 615 CHC/FMB, 66 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर
- 2274 प्रोड्यूसर ग्रुप, 15 FPO
- 4810 SVEP उद्यम, 1400 माइक्रो एंटरप्राइज

योजनाओं/परियोजनाओं की प्रमुख उपलब्धियाँ–

- राज्य में ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत एवं आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है। 68,000 से अधिक SHG के माध्यम से 5 लाख से अधिक परिवार संगठित हुए हैं। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में 54,000 से अधिक SHG को बैंक CCL से जोड़ा गया है तथा NPA को 1.96% तक सीमित रखा गया है।
- कृषि एवं पोषण आधारित आजीविका के अंतर्गत 3.9 लाख महिला किसान एवं 3.5 लाख पोषण वाटिकाएँ विकसित की गई हैं। 615 कस्टम हायरिंग सेंटर एवं 66 IFC के माध्यम से आधुनिक एवं लागत–कुशल कृषि को बढ़ावा मिला है।
- गैर–कृषि क्षेत्र में 4,800+ SVEP, 1,000+ माइक्रो एंटरप्राइज तथा PMFME योजना के अंतर्गत 14,000+ खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित हुए हैं।

आगामी वर्ष (2026–27) हेतु संकल्पीकरण बिन्दुः–

वर्ष 2026–27 में मिशन का संकल्प गुणवत्ता, स्थायित्व एवं परिणाम–आधारित विस्तार पर केंद्रित रहेगा, जिससे महिला–नेतृत्वित आजीविका को और अधिक सशक्त किया जा सके।

प्रमुख संकल्प बिंदु–

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण :** 500 नए समूह, 95 ग्राम संगठन, 10 सी0एल0एफ0
- **वित्तीय समावेशनः** RF–5,000 SHG, CIF–8,000 SHG, CCL–20,000 (SHG NPA ≤ 2%)
- **आय संवर्धनः** 1,20,000 नई 'लखपति दीदी'
- **कृषि एवं पोषणः** 50,000 महिला किसान, 30,000 पोषण वाटिका, 95 CHC. 29 IFC
- **उद्यमिताः** 1,000 SVEP, 1,200 MED, 1,000 PG **राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025–26 की उपलब्धियाँ/प्रतिष्ठित सम्मान**

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए जनपद पौड़ी के **'साधना'** CLF को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित कर ₹ 2.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

- उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को ₹ 35. 55 करोड़ की बोनस किश्त प्राप्त हुई, जो ग्रामीण आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति को दर्शाती है।

USRLM के प्रमुख विभागीय नवाचार

- **ग्रोथ सेंटर (मूल्य संवर्धन केंद्र):** राज्य में 24 ग्रोथ सेंटर स्थापित; एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण की क्लस्टर स्तरीय सुविधाएँ।

- **सरस केंद्र (स्थायी विपणन मंच):** 17 सरस केंद्र क्रियाशील SGSY के अंतर्गत नवीनीकृत भवन एवं SHG उत्पादों हेतु स्थायी बिक्री केंद्र।

- **मिलेट आधारित बेकरी इकाइयाँ:** 08 इकाइयाँ कार्यरत; स्थानीय मोटे अनाजों का बेकरी उत्पादों में प्रसंस्करण एवं विपणन।

- **यात्रा आउटलेट्स एवं नैनो पैकेजिंग:** चारधाम यात्रा के दौरान 163+ स्थायी /अस्थायी आउटलेट्स मानकीकृत एवं उपभोक्ता–अनुकूल पैकेजिंग।

- **मुख्यमंत्री बहना उत्सव योजना:** 95 ब्लॉकों में 3,669 स्टॉल ब्लॉक–जिला–राज्य स्तर पर त्योहार आधारित विपणन ₹ 9.86 करोड़ संचयी बिक्री।

18.1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना– दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास करना और उन्हें न्यूनतम मजदूरी या इससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार दिलाना है। योजना की मुख्य गतिविधियाँ एवं कौशल मूल्य श्रृंखला के अन्तर्गत मोबिलाइज़ेशन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्लेसमेंट आदि मुख्य घटक है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है। योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना 2019–25 तक समग्ररूप से 26474 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है, जबकि 16865 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है।

18.1.3 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम:–

वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर राज्य क्षेत्र में चिन्हित गांवों का व्यापक विकास करना है, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके जिससे उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके और सीमा सुरक्षा में सुधार हेतु इन गांवों से पलायन को रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ के कुल 51 गावों का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा कुल 523 योजनायें ₹ 520.13 करोड़ की लागत की एम0आई0एस0 पोर्टल पर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, जिनमें से वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 196 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें 118 योजनायें वी0वी0पी मद में एवं 78 योजनायें कनवर्जेन्स मद के अंतर्गत स्वीकृत है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वी0वी0पी0 के अंतर्गत जनपदों हेतु स्वीकृत योजनाओं के लिये हेतु ₹ 8.49 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वी0वी0पी0–।। के अंतर्गत जनपद चम्पावत के 11 गांव, पिथौरागढ के 24 गांव, उ0सि0नगर के 05 गांव सम्मिलित किये गये

हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 04 थीमेटिक ऐरिया में संबंधित मंत्रालयों की योजनाओं के माध्यम से सीमान्त विकासखंडों के सभी गावों को संतृप्त किया जाना है– All weather-road connectivity (PMGSY of MoRD, GoI), 4 G telecom connectivity (Digital Bharat Nidi of DoT, GoI), Television connectivity (BIND Scheme of Ministry of I&B), On-grid electrification (RDSS, Ministry of Power)

18.1.4 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण

योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु आवास प्लस की स्थाई प्रतीक्षा सूची शत–प्रतिशत संप्तृतिकरण के फलस्वरूप आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। वर्ष 2025–26 में आवास प्लस सूची के गत वर्षों के निर्माणाधीन 273 आवासों के सापेक्ष 39 आवास पूर्ण कराये जा चुका हैं,

अभिनव प्रयास

- पीएम–जनमन के तहत पात्र पाये गये पीवीटीजी (राजी एवं बुक्सा) को पीएमएवाई–जी के तहत बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
- पीएम–जनमन अन्तर्गत 2140 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 2140 आवास स्वीकृत करते हुए कुल 1564 आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।
- पीएम–जनमन अन्तर्गत प्राप्त कुल धनराशि रू. 2932.20 लाख के सापेक्ष ₹ 3950.50 लाख व्यय किया जा चुका है (आधिक व्यय की धनराशि का वहन पीएमएवाई–जी से भारत सरकार के निर्देशानुसार किया गया है)।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत किचन सामग्री/बर्तन आदि की खरीद हेतु ₹ 6000/– की अतिरिक्त सहायता धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।

तालिका 18.2
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवास

क्र0 सं0	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण आवास	व्यय धनराशि(लाख में)
1	2020–21	13156	13156	13106	131.99
2	2021–22	2997	2997	2992	13703.30
3	2022–23	17819	17819	17739	17630.34
4	2023–24	21998	21998	21899	36240.11
5	2024–25	–	–	–	7360.464
6	2025–26 दिसम्बर, 2025	–	–	–	203.427
योग		55970	55970	55736	775269.631

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.1.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act- MGNREGA):–ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकने हेतु यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी केन्द्र पोषित योजना है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक भारत सरकार द्वारा ₹ **54278.69** लाख तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश के रूप में ₹ **5351.17** लाख अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष ₹ 35116.44 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 3269 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 77.44 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 10.07 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डो की संख्या 6.73 लाख है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2024–25 में माह मार्च, 2025 तक प्रति परिवार औसत लगभग 43.95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 18.3
मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस का विवरण

क्रं0 सं0	वर्ष	कुल व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य की मांग की गयी	कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया	कुल सृजित मानव दिवस	कुल सृजित मानव दिवस (महिला)
1	2017–18	735423	662630	22304235	12146439
2	2018–19	707138	639054	22182135	12232764
3	2019–20	734557	661269	20625216	11677147
4	2020–21	874484	791092	22067314	11997614
5	2021–22	864523	792160	24322052	13445270
6	2022–23	743485	682235	20672951	11709065
7	2023–24	691394	638301	19692289	11194745
8	2024–25	629417	575528	19002180	10628424
9	2025–26दिसम्बर, 2025	441826	351792	7743844	4352179

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 18.4
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

क्र0 सं0	वर्ष	सूखा प्रभावित सुधार		बाढ़ नियंत्रण		भूमि सुधार		लघु सिचाई कार्य	
		पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2017-18	1531	1133.53	9987	11817.63	9424	11647.42	3325	4109.41
2	2018-19	1785	1215.59	7629	8300.05	10153	12209.92	3798	4791.96
3	2019-20	1524	1882.82	3808	6541.69	8725	17290.54	3694	6000.80
4	2020-21	1207	3030.59	2345	6445.65	7437	19193.56	3042	6174.70
5	2021-22	1907	2997.51	2490	5858.97	9003	20467.77	2844	6252.14
6	2022–23	4115	3311.49	6261	8675.02	25527	29398.22	8367	8071.02
7	2023–24	4279	3247.53	3687	5996.99	18634	22030.20	5940	6561.73
8	2024–25	5607	3136.99	3462	4396.29	15874	20974.30	4037	4067.46
9	2025–26 दिसम्बर, 2025	2453	1548.99	1833	1562.64	9267	10328.37	1542	2579.62

क्र0 सं0	वर्ष	पारम्परिक जलस्रोतो का सुधार		ग्रामों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2017-18	125	1129.56	10499	11931.6	34266	3824.38
2	2018-19	1146	921.14	6789	6787.08	8809	1005.87
3	2019-20	770	975.85	3280	6583.59	1899	619.46
4	2020-21	589	865.10	3336	8302.64	1049	360.34
5	2021-22	509	845.22	3755	8609.55	1130	289.95
6	2022–23	1306	1678.76	9277	13615.35	1472	248.45
7	2023–24	836	1271.49	6468	10480.70	814	141.68
8	2024–25	756	915.86	5901	9351.04	871	76.47
9	2025–26 दिसम्बर, 2025	373	333.32	3302	5209.27	240	30.23

क्र0 सं0	वर्ष	जल संरक्षण एवं सुधार कार्य		व्यक्तिगत भूमि सुधार		अन्य	
		पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	17	18	19	20	21	22
1	2017-18	6404	5163.33	30890	8772.72	1958	827.71
2	2018-19	5859	4693.31	34354	9008.25	534	182.95
3	2019-20	4534	7344.93	17263	5693.17	42	18.96

4	2020-21	4648	8837.79	8041	4597.48	11	7.83
5	2021-22	5709	8018.77	8698	7212.33	246	1539.67
6	2022–23	12422	13052.67	33897	11485.99	661	2427.19
7	2023–24	8163	8713.39	32221	11930.40	685	2037.19
8	2024–25	7159	6788.82	41452	12344.10	734	3174.17
9	2025–26 दिसम्बर, 2025	3157	3360.26	14631	7292.37	438	1606.63

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

अभिनव प्रयोग

आजीविका पैकेज मॉडल : निर्धन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष दैनिक रोजगार के साथ आजीविका के सत्त साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को पैकेज के रुप में उपलब्ध कराने हेतु आजीविका पैकेज मॉडल प्रारम्भ किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से परिवार को एक से अधिक आजीविका परक परिसम्पत्ति उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आजीविका पैकेज में वर्तमान तक 37847 परिवारों का चयन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 36605 कार्य प्रारम्भ एवं 32886 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

अमृत सरोवर : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जल संरक्षण के साथ–साथ जल स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से पूरे देश में प्रत्येक जनपद हेतु 75 सरोवर के निर्माण/पुनरुद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में कुल लक्ष्य 975 (75 सरोवर प्रति जनपद) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 1322 अमृत सरोवर निर्मित किये जा चुके हैं। इन सरोवरों में 2638550.38 Cu. metre जल संग्रह किया जा रहा है। इन सरोवरों का निर्माण ग्राम्य विकास, वन विभाग और अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है।

SARRA **के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यः** महात्मा गांधी नरेगा एवं SARRA के सहयोग से राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को वर्ष 2024 में प्रारम्भ किया गया है। Spring and River Rejuvenation Authority के अंतर्गत 1959 क्रिटिकल जल श्रोतो को चिह्नित करते हुए ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर एवं जनपद स्तर पर जल संरक्षण कार्य किये जा रहे है।

18.1.6 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंयोजित गांवों को बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में 500+ आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 + आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। नवीन तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 से दिसम्बर, 2025 तक कुल 13920 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है।

तालिका–18.5
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

Financial Year	Financial Status (Rs. in Cr.)		Physical Progress					
			Works in Nos.		Length in Km.		Habitations in Nos. (250+)	
	Sanctioned Cost from GoI	Expn.	Sanctioned Works	Completed Works	Sanctioned Length	Constructed Length	Sanctioned	Connected
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	1070.08	607.33	218	135	1766.86	1839.11	242	207
2018-19	3665.71	698.43	857	130	6209.05	1756.29	330	202
2019-20	566.45	1080.48	112	148	905.83	2036.49	0	154
2020-21	0.00	1493.50	0	223	0.00	3365	0	144

2021-22	1077.81	1218.45	284	296	1156.77	2061	0	150
2022-23	856.84	1350	104	485	1090.74	905	0	28
2023-24	967.73	800	108	270	1197.21	594	0	06
2024-25	40.77	934	09	88	0.00	969	0	15
2025-26 Dec., 2025	1706.94	312	184	61	122820	394	309	0
Total	**9952.33**	**8494.19**	**1876**	**1836**	**135146.46**	**13919.89**	**881**	**906**

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

नोट–व्यय धनराशि में गत वर्ष की अवशेष धनराशि सम्मिलित है तथा पूर्ण कार्यो में बैकलॉग भी जुडा है।

18.1.7 सांसद आदर्श ग्राम योजना–

ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत सभी माननीय सांसद गण ने अपने संसदीय क्षेत्र से चरण 1 से चरण 8 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का चयन किया है।

18.2 राज्य पोषित योजनायें

18.2.1 मेरा गांव मेरी सड़क योजना –

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में गत अवशेष सहित कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2600.72 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 641.30 लाख व्यय किया गया। योजनान्तर्गत गत अवशेष सहित कुल स्वीकृत 88 सड़कों की लम्बाई 90.10 कि.मी. के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक 25 सड़कें पूर्ण एवं 37.95 कि.मी. सड़क निर्मित तथा 26 पर कार्य प्रगति पर है।

18.2.2 इन्दिरा अम्मा भोजनालय–राज्य के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 60.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 42.73 लाख व्यय किया गया। 672797 थालियाँ वितरित की गयी।

18.2.3 आइफैड द्वारा वित्त पोषित ''ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना–''ग्रामोत्थान'' (Rural Enterprise Acceleration Project-REAP)'' का शुभारम्भ करते हुये राज्य के 13 जनपदों के सभी 95 विकास खण्डों में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) के अन्तर्गत 50,000 SHGs तथा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) अन्तर्गत गठित 10,000 उत्पादक समूहों, कुल 60,000 समूहों तथा 601 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 5,60,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका में वृद्वि करना।

परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

- परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2022 को किया गया।
- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत गठित 151 आजीविका संघ को बिजनेस सहयोग हेतु ₹ 9.20 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।
- कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबोझ कम करने हेतु आधुनिक कृषि उपकरण (फार्म मशीनरी बैक) 67 CLF स्तर पर भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत दिलाये गये जिसमें ₹ 5.36 करोड़ भारत सरकार से अनुदान तथा ₹ 1.34 करोड़ की धनराशि रीप परियोजना अंतर्गत प्रदान की गई।
- 13,718 अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जा चुका जिन्हें एकीकृत आजिविका सुधार योजना तैयार करवाकर ₹ 35,000.00 प्रति परिवार की दर से बिना ब्याज के ऋण के रूप में ₹ 48.01 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

- परियोजना क्षेत्र हेतु 25 Value Chains को चिन्हित किया गया है। जिसमें से 6 Value Chains (1. मिलेट वैल्यू चैन 2. अदरक वैल्यू चैन 3. आलू वैल्यू चैन 4. मटर वैल्यू चैन 5. दालों की वैल्यू चैन 6. Red Rice Value Chain) का Detailed Survey व Analysis किया जा चुका है। उक्त 6 Value Chains के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार स्तर से शासनादेश निर्गत किए गए हैं।

- परियोजना अंतर्गत 3,86,670 परिवारों को चिन्हित कर शेयर धन राशि ₹ 500 प्रति परिवार की दर शेयर अंश के रूप में ₹ 21.32 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

- परियोजना अन्तर्गत 6261 व्यक्तिगत उद्यम एवं 453 सामुदायिक उद्यम स्थापित किये जा चुके है।

- समूहों द्वारा आधुनिक एवं कलाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक, फोडर एवं साइलेज निर्माण हेतु कृषि तकनीक अपनाने हेतु 150 परियोजना स्टाफ को मास्टर ट्रेनर के रूप में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

- क्लस्टर लेवर फेडरेशनों पर 928 प्रशिक्षण के माध्यम से 18,560 किसानों को आधुनिक एवं कलाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक अपनाने हेतु 150 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- परियोजना अतर्गत प्रत्येक जनपद में यात्रा मार्गों पर जहां पर्यटक अधिकांश संख्या में भ्रंमण करते है उन स्थानों का चयनित किया जा रहा है और Way-side Aminity बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

योजनान्तर्गत व्यय– वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 150.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष ₹ 174.41 करोड़ की धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृत कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) एवं जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) को योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी। कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 138.84 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है, अवशेष धनराशि शीध्र ही व्यय की जायेगी।

18.2.4 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तराष्ट्रीय सीमा से सटे पांच जनपदों क्रमशः चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी एवं उ0सि0नगर के 09 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सामुदायिक /समग्र विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्य संर्वधन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें ससमय उपलब्ध कराना है ताकि सीमान्त क्षेत्रों में पलायन को भी रोका जा सके। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है, योजनान्तर्गत अब तक जनपदों को अवमुक्त कुल ₹ 94.26 करोड़ के सापेक्ष ₹ 84.85 करोड़ की धनराशि जनपदों द्वारा व्यय की जा चुकी है। कुल स्वीकृत 622 कार्यों के सापेक्ष 553 कार्य पूर्ण किये गये शेष पर कार्य गतिमान है।

18.2.5 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना
योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास निवारण आयोग द्वारा चिन्हित गांवों में आवासित परिवारों/बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रूप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम पलायन रोकना तथा रिर्वस पलायन को बढावा देना है। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है, योजनान्तर्गत अब तक जनपदों को अवमुक्त कुल ₹ 95.79 करोड़ के

सापेक्ष ₹ 89.14 करोड़ की धनराशि जनपदों द्वारा व्यय की जा चुकी है। कुल स्वीकृत 1889 कार्यों के सापेक्ष 1762 कार्य पूर्ण किये गये शेष पर कार्य गतिमान है।

- **वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेशी (Innovative) योजना का विवरणः–**
- **अमृत सरोवर** : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जल संरक्षण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य द्वारा लक्ष्य 975 के सापेक्ष 1322 सरोवरों को पूर्ण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण किये जाने के मानक में राज्य प्रारम्भ से ही अग्रणी राज्यों में सम्मिलित रहा है। वर्तमान में कुल 544 अमृत सरोवरों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है, जिनमें मत्स्य पालन 283, कृषि 145, पर्यटन 73 तथा उद्यानीकरण संबंधी गतिविधियाँ 43 सरोवरों में संचालित की जा रही हैं। इन गतिविधियों से कुल 2897 महिला लाभार्थी तथा 510 पुरुष लाभार्थी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं। आजीविका कार्यों से होने वाली वार्षिक अनुमानित आय मत्स्य पालन से ₹ 162.39 लाख, कृषि से ₹ 38. 12 लाख, पर्यटन से ₹ 5.10 लाख तथा उद्यानीकरण गतिविधियों से ₹ 6.45 लाख आंकी गई है। इसके अतिरिक्त शेष सरोवरों को भी चरणबद्ध रूप से आजीविका गतिविधियों से जोड़ने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण आजीविका को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके तथा राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

1. वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का विवरणः–

- प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में 200.00 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष 77. 44 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं जो कि 38.72 % है।
- अप्रत्यक्ष रोजगार (स्वरोजगार) हेतु कुल कार्य के 36.81 % कार्य व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कराये गये हैं।

2. वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन से आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरणः–

- योजनान्तर्गत श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद की धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण न ही अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा रहा है और न ही कार्मिकों को समय पर मानदेय दिया जा रहा है और न ही सामग्री मद का भुगतान समय पर हो रहा है जिस कारण योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- योजनान्तर्गत अधिकांश क्रियाकलाप यथा– मस्टररोल जारी करना, National Mobile Monitoring System, जियोटैगिंग आदि नेटवर्क आधारित हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत कार्मिक ही शासकीय एवं आउटसोर्स संस्था के माध्यम से योजनान्तर्गत तैनात हैं। कार्मिकों की कमी के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।

3. वर्ष 2025–26 में राज्य की अर्थव्यस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investments, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः–

4. विगत 06 वर्षों (2017 से 2025) के अन्तर्गत विभागीय (मुख्य क्रियाकलाप) प्रगति का संक्षिप्त विवरण।

तालिका 18.7
वर्षवार प्रगति (लाख में)

वित्तीय वर्ष	भौतिक प्रगति (मानव दिवस सृजन)		वित्तीय प्रगति	
	लक्ष्य	सृजित मानव दिवस	लक्ष्य	व्यय
2017-18	182.00	223.02	56268.94	69225.98
2018-19	200.00	221.67	61834.00	63320.16
2019-20	215.00	206.20	69129.66	55608.23
2020-21	299.00	303.71	100165.00	85383.60
2021-22	240.00	243.22	81600.00	62819.91
2022-23	200.00	206.73	71000.00	90735.16
2023-24	190.00	196.95	72833.33	72419.34
2024-25	150.00	190.02	59250.00	68141.65
2025-26	200.00	77.44	84000.00	35067.99

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

आकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रमः— आकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार (नीति आयोग) राज्य के 06 जनपदों के 06 विकासखण्ड़ो का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 09 जनपदों के 09 विकासखण्ड़ो का चयन किया गया है।

▪ **भारत सरकार द्वारा चयनित आकांक्षी विकास खण्ड**

क्र0सं0	**जिला**	**विकासखण्ड़**
1	अल्मोडा	स्याल्दे
2	पौड़ी	दुगड्डा
3	उत्तरकाशी	मोरी
4	बागेश्वर	कपकोट
5	हरिद्वार	बहादराबाद
6	ऊधमसिंहनगर	गदरपुर

▪ **राज्य सरकार द्वारा चयनित आकांक्षी विकास खण्ड**

क्र0सं0	**जिला**	**विकासखण्ड़**
1	चम्पावत	चम्पावत
2	अल्मोडा	धौलादेवी
3	नैनीताल	ओखलकाण्डा
4	टिहरी	जाखणीधार
5	पौड़ी	बीरोंखाल
6	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि
7	चमोली	जोशीमठ
8	देहरादून	कालसी
9	पिथौरागढ	धारचूला

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का संक्षिप्त विवरण

उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन की गम्भीर समस्या के समाधान तथा संतुलित ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **''ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग''** का गठन राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 1357/XI/17/56(54)2017 दिनांक 25.08.2017 के माध्यम से किया गया। इसके पश्चात आयोग का पुनर्गठन शासनादेश संख्या 1055/XI/18/56(54)2017 टी0सी0 दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा किया गया।

बाद में शासनादेश संख्या I/67810/2022 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से आयोग का नाम परिवर्तित कर **''ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग''** किया गया। आयोग की संरचना निम्नानुसार है –

1.	अध्यक्ष	मा0 मुख्यमंत्री जी
2.	उपाध्यक्ष	01 (एक)
3.	सदस्य	05 (पांच)
4.	सदस्य सचिव	अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी (पदेन)

- सदस्य क्रमांक 1 एवं 4 पदेन होंगे।
- उत्तराखण्ड शासन, गोपन (मंत्रि परिशद) अनुभाग, के शासनादेश संख्या 789/(1)/14/1/XXI/ 2012-15 T.C. 01 दिसम्बर, 2020 से आयोग के सफल संचालन हेतु 05 सदस्यों को नामित कर नियुक्ति दी गयी है।

आयोग द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप राज्य में पलायन की स्थिति के अध्ययन, कारणों के विश्लेषण, नियंत्रण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन के लिए अब तक 25 सिफारिशों युक्त विभिन्न अध्ययन रिपोर्टें राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। ये रिपोर्टें आयोग की वेबसाइट www.uttarakhandpalayanayog.com पर उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख रूप से –

1. उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट –**02**
2. प्रकृति आधारित पर्यटन (ईको टूरिज्म) विश्लेषण एवं सिफारिशें –**01**
3. राज्य के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने एवं पलायन को कम करने हेतु जनपदों (पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चम्पावत, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर) पर आधारित सिफारिशों वाली रिपोर्टें –**13**
4. ग्राम्य विकास के क्षेत्र में योजनाओं और कार्यक्रमों का विश्लेषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें –**01**
5. COVID-19 के प्रकोप के दौरान राज्य में लौटे प्रवासी–आंकड़े, विश्लेषण एवं उनके पुनर्वास पर आधारित सिफारिशें –**04**
6. राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा उनके सरलीकरण–शिथलीकरण हेतु सुझाव, मार्च 2024 –**01**
7. राज्य के भारत–चीन सीमान्त विकासखण्ड़ों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सिफारिशें, जून 2024 –**01**
8. राज्य के पलायन प्रभावित क्षेत्रों में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु सिफारिशें फरवरी 2025 –**01**

9. राज्य में रिवर्स पलायन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट, अगस्त 2025 –**01**

आयोग द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक नवीन योजनाओं एवं कार्यक्रमों (यथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि) का संचालन किया गया।

आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 27 दिसम्बर 2024 को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक एवं सतर्कता), उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संबंधित विभागों **(यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड)** के साथ अंतर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया।

गत 25 वर्षो की प्रगति का विवरण

ग्राम्य विकास विभाग

राज्य गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी– "राज्य की आधी आबादी का सशक्तिकरण"। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को महिलाओं तक पहुँचाने का ऐतिहासिक बीड़ा उठाया।

1. दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) राज्य गठन उपरान्त तत्समय संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000–01 में कुल 8005 स्वयं सहायता समूह गठित कर 47089 परिवारों को योजना से लाभान्वित गया। वर्ष 2013–14 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रूपांतरित कर **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** शुरू की गई। वर्तमान में यह **उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM)** के माध्यम से पूरे राज्य में प्रभावशाली ढंग से संचालित हो रही है।

- राज्य में 68,451 स्वयं सहायता समूह, 7,731 ग्राम संगठन, 559 क्लस्टर संगठन और 200 मॉडल क्लस्टर फेडरेशन गठित हुये जिनसे 5. 01 लाख महिलाएं जुड़ी।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 57,904 समूहों को ₹ 8,601 लाख रिवॉल्विंग फंड एवं 44,933 समूहों को ₹ 31,223.80 लाख सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की गयी।
- 55,261 समूहों को ₹ 1,19,838.59 लाख बैंक लिंकेज ऋण प्रदान किया गया है।
- कृषि आधारित आजीविका में 3.76 लाख महिला किसान, 3.35 लाख न्यूट्री गार्डन, 599 कृषि यंत्रीकरण केंद्र, 1,855 उत्पादक समूह और 15 उत्पादक संघ स्थापित किए गए हैं।
- गैर–कृषि क्षेत्र में 25,000 से अधिक उद्यम स्थापित कर महिला उद्यमिता को नई पहचान मिली है।
- आज राज्य में 49 ग्रोथ सेंटर, 17 सरस सेंटर, 8 बेकरी यूनिट, 1 सचिवालय आउटलेट, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 2 राज्य स्तरीय आउटलेट और 110 यात्रा आउटलेट सक्रिय हैं। इन पहलों से हमारे स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे हैं।
- राज्य में महिलाओं के उत्पादों के विपणन हेतु **'लोकल से ग्लोबल'** की इसी सोच को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से **हाउस ऑफ हिमालयाज** की स्थापना की गई— जिससे हमारी ग्रामीण बहनों को विश्वस्तरीय मंच पर अपने उत्पादों के विपणन का अवसर मिला।

- **लखपति दीदीः** राज्य में 1.25 लाख दीदीयों को लखपति बनाया जायेगा और सबसे गर्व की बात है– '**लखपति दीदी**' पहल में आज उत्तराखण्ड की 1.63 लाख महिलाएं ₹ 1.00 लाख से अधिक वार्षिक आय अर्जित कर लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना रही है।

- उत्तराखण्ड के 25 वर्षों की यह विकास यात्रा SGSY से लेकर NRLM तक केवल योजनाओं की कहानी नहीं है— यह उत्तराखण्ड की महिला शक्ति की गाथा है।

- आने वाले वर्षों में हमारा संकल्प है— ओर अधिक महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ना, तकनीक व नवाचार को बढ़ावा देना और उत्तराखण्ड के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। हम मॉडल क्लस्टरों को और सशक्त बनाएंगे तथा आजीविका गतिविधियों को और व्यापक रूप देंगे।

- **वर्ष 2047 तक योजनान्तर्गत 75000 समूह गठित कर 450000 लखपति दीदी तैयार की जायेगी।**

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) योजना द्वारा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की गई है, जिससे राज्य के हजारों पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका का साधन प्राप्त हुआ है।

- वर्तमान तक तक 36.06 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये जिसमें से 17.79 करोड़ मानव दिवस महिलाओं के सम्मिलित हैं। 4. 03 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हुए 9.11 लाख परिसम्पत्तियां निर्मित की गई हैं जिस पर ₹ 9546.80 करोड़ की धनराशि व्यय हुई।

- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार किये जाने के उद्देश्य से मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा अप्रैल, 2022 में प्रारम्भ किये गये मिशन अमृत सरोवर के तहत राज्य को आवंटित 975 अमृत सरोवरों के लक्ष्य के सापेक्ष 1322 सरोवरों को पूर्ण किया गया है जो 135.59% है।

- 544 अमृत सरोवरों को आजीविकापरक गतिविधियों से जोड़ा गया जिसमें मत्स्य पालन 283, कृषि 145, पर्यटन 73 एवं उद्यानीकरण 43 सरोवरों में संचालित किया जा रहा है।

- समस्त निर्मित 1322 अमृत सरोवरों को जीवंत एवं आजीविकापरक बनाने हेतु विभिन्न विभाग/प्रोड्यूसर ग्रुप/SHG को आवंटित किया गया है।

- **वर्ष 2047 तक प्रोजेक्ट उन्नति अंतर्गत 2847 अकुशल मनरेगा श्रमिकों को स्व–रोज़गार हेतु प्रशिक्षित करना।**

- **विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों को वेतनभोगी रोज़गार से स्व–रोज़गार की ओर प्रोत्साहित करना।**

- **सेवा क्षेत्र को मनरेगा के अंतर्गत शामिल करना**

3. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

- वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2015–16 तक भारत सरकार से **इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत** कुल 1,80,357 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत 1,80,357 आवास निर्मित कराये गये।

- वर्ष 2016 में इन्दिरा आवास योजना को पुर्नगठित कर **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** का शुभारम्भ किया गया है।

- स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित 68530 परिवारों के सापेक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से 2024 तक कुल 68,530 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 68201 आवास पूर्ण किये गये तथा उक्त अवधि में कुल अवमुक्त ₹ 967. 55 करोड़ के सापेक्ष ₹ 942.98 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

- राज्य सरकार द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रति लाभार्थी किचन सामग्री क्रम हेतु अतिरिक्त सहायता ₹ 6000/– दी जा रही है।

- योजनान्तर्गत 1321 भूमिहीन परिवारों में से 1321 को भूमि पट्टा तथा आवास आवंटित किये गये।

- **भावी रणनीति**–आवास प्लस सूची–2024 को अद्यतन करने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कुल 1,88,490 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनका पुष्टिकरण एवं वेरिफिकेशन पूर्ण हो चुका है।

- **2047 तक यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार (HH) बिना पक्के (स्थायी) घर के न रह जाए।**

4. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) आवास

- पीएम–जनमन की स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित 2140 परिवारों के सापेक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से 2140 आवासों के निर्माण का लक्ष्य के सापेक्ष 1494 आवास पूर्ण कराये गये। कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 29.32 करोड़ के सापेक्ष ₹ 36.87 करोड़ व्यय किया गया।

5. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

- योजना के तहत 15 से 35 आयुवर्ग के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाता है। विशेष श्रेणियों के अंतर्गत महिलाओं एवं दिव्यांगजनों हेतु आयुसीमा 15 से 45 वर्ष निर्धारित है।

- भारत सरकार से आवंटित 26800 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 25375 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करते हुये 21285 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार से जोड़ा गया तथा 15942 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है।

- कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 197.77 करोड़ के सापेक्ष ₹ 191.39 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

- भारत सरकार द्वारा DDUGKY-2.0 के अंतर्गत 2783 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

6. वाईब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम (वी.वी.पी.)

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर राज्य क्षेत्र में चिन्हित गांवों का व्यापक विकास करना है, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके जिससे उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके और सीमा सुरक्षा में सुधार हेतु इन गांवों से पलायन को रोका जा सके।

योजना के अन्तर्गत **वी0वी0पी0–I** के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ के पाँच विकासखण्डों के कुल 51 ग्रामों का चयन किया गया जबकि **वी0वी0पी0–II** के तहत भारत नेपाल सीमा से सटे 40 गांवो का चयन किया गया हैं। इस प्रकार वाइब्रेंट विलेजेज

कार्यक्रम के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुल 91 गावों का चयन किया गया है।

योजना के तहत **वी0वीपी0–I** के गावों हेतु एस0एल0एस0सी0 की बैठक में अनुमोदित कुल 523 योजनायें, ₹ 520.13 करोड़ की गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की गयी जिसके सापेक्ष 118 योजनायें ₹ 27.48 करोड़ की वी0वी0 मद के अंतर्गत एवं 78 योजनायें ₹ 187.42 करोड़ की वी0वी0पी–कनवर्जेन्स मद के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं, शेष पर भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में 250+ की जनसंख्या की सभी पात्र असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित किये जाने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गई। वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है।

- PMGSY-I, II & III के अन्तर्गत ₹ 11113 करोड़ की धनराशि व्यय कर 21296 कि0मी0 लम्बाई पर निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए 250+ जनसंख्या की 1860 बसावटों को सड़क सम्पर्क से संयोजित किया गया।

- PMGSY-IV के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250+ जनसंख्या की पात्र असंयोजित बसावटों को संयोजित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके अन्तर्गत 1490 बसावटों को चिन्हित कर सर्वे पूर्ण करते हुए लगभग 8500 कि0मी0 सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

- प्रथम चरण में 199 डीपीआर, लम्बाई–1331 कि0मी0, भारत सरकार को प्रेषित की गई हैं, जिनकी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

- Vibrant Village Programme (VVP) के अन्तर्गत 08 असंयोजित बसावटों को सड़क सम्पर्क से जोड़े जाने हेतु 05 मार्गों, निर्माण लागत ₹ 119 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिनमें 04 कार्यों में कार्य आरम्भ करा दिया गया है।

- पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 2018–19 में 2510 कि0मी0 लम्बाई के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में 1756 कि0मी0 सड़कों का निर्माण किये जाने पर देश में द्वितीय एवं Investment on Asset Management में देश में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

- उक्त के अतिरिक्त पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 2017–18 में 1500 कि0मी0 लम्बाई के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में 1839 कि0मी0 सड़कों का निर्माण किये जाने पर देश में प्रथम एवं 172 बसावटों के संयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष 207 बसावटों को संयोजित किये जाने पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2047 तकः–

- **वर्तमान में भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, 250+ जनसंख्या वाली असंयोजित बसावटें पीएमजीएसवाई–IV के अंतर्गत पात्र हैं।**

- **150 से 249 और 150 से कम जनसंख्या वाली पात्र असंयोजित बसावटों को संपर्कता प्रदान करना निवेदित है।**

- **वर्तमान में, 150 से 249 जनसंख्या वाली 407 असंयोजित एवं 150 से कम जनसंख्या वाली 1796 असंयोजित बसावटों को सडक संपर्कता के लिए चिन्हित की गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।**

8. मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना– राज्य पोषित

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा इको–सिस्टम को विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना (पूर्व नाम रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स) प्रारम्भ की गई है। योजना का क्रियान्वयन हब तथा स्पोक मॉडल के आधार पर किया जा रहा है जिसमें दो इन्क्यूबेटर्स हब क्रमशः जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग तथा जनपद पौड़ी के कोटद्वार में स्थापित किये गये हैं, तथा शेष 11 जनपदों में स्पोक स्थापित किये जा चुके हैं।

- योजना के माध्यम से अब तक राज्य के 6500 से अधिक युवाओं/महिलाओं को योजना से जुडकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। वर्तमान तक ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

- योजनान्तर्गत 4500 से अधिक उद्यमों को इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया गया, 1300 से अधिक उद्यमों को ऑनलाइन व ऑफलाइन मार्केट से जोड़ा गया, 1400 से अधिक नये उद्यम स्थापित किये गये, 8400 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये गये, ₹ 12.00 करोड़ से अधिक की धनराशि विभिन्न केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं से कनवर्जेन्स के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।

- योजना के तहत 4500 इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान करते हुये उनकी Existing आय में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्वि की गई। योजना का Social Return on Investment (SROI) 3.99:1 है।

- योजना के अंतर्गत होमस्टे, हैण्डीक्राफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण आदि सेक्टरों से जुड़े ग्रामीण उद्यमियों को marketing platform प्रदान करते हुये Amazon India, Booking.com, Make-My-Trip और ONDC जैसे, प्लेटफार्म से जोड़ा गया।

- **वर्ष 2047 तक ग्रामीण इनक्यूबेशन के लिए वन–स्टॉप समाधान और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एमयूवाई की स्थापना कर 1 लाख से अधिक ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।**

9. मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)–राज्य पोषित

- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 9 सीमान्त विकास खण्डों में आवासित परिवारों को संत्त आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है।

- वर्तमान तक ₹ 94.26 करोड़ के सापेक्ष ₹ 78.69 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी तथा कुल स्वीकृत 622 कार्यों के सापेक्ष 501 कार्य पूर्ण किये गये हैं, शेष कार्य गतिमान हैं।

10. मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना–राज्य पोषित

- वित्तीय वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग का गठन किया गया।

- ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों/बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **''मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना''** प्रारम्भ की गयी है।

- वर्तमान तक तक ₹ 95.79 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 85.73 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी, कुल स्वीकृत 1889 कार्यों के सापेक्ष 1710 कार्य पूर्ण किये गये हैं, शेष कार्य गतिमान हैं।

11.मेरा गाँव मेरी सड़क–राज्य पोषित

- योजनान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण के माध्यम से सम्पर्कविहीन बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से 1 किमी० तक की सी०सी० सड़क निर्मित की जा रही है।

- वर्तमान तक 639 स्वीकृत सड़कों के सापेक्ष 531 सड़कें निर्मित की गई एवं 76 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। कुल उपलब्ध धनराशि रु० 137.11 करोड़ के सापेक्ष ₹ 121.72 करोड़ व्यय किया गया।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS) द्वारा वर्ष, 2005 से अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- UGVS द्वारा IFAD की पहली परियोजनों को वर्ष 2005 से 2012 तक ₹ 235.00 करोड़ लागत की हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना (ULIPH) के नाम इस परियोजना को क्रियान्वित किया गया। राज्य के पांच जनपदों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी व उत्तरकाशी) के 17 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया गया। इस परियोजना में 56 फैडरेशन व 3000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रदर्शन किए गए।

- वर्ष 2013 से 2021 तक ₹ 680.00 करोड़ लागत की एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें 14,000 उत्पादक समूह और 161 आजीविका संघो का गठन किया गया। परियोजना को राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों के 44 विकास खण्ड़ों में क्रियान्वयन किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत Market Access के मॉडल स्थापित किए गए।

- ILSP की सफलता एवं इसके मॉडल को राज्य के सभी जनपदों व 95 विकास खण्ड़ों में रैपलीकेट करने हेतु वर्ष 2022 से वर्ष 2029 तक ₹ 958.00 करोड़ की ग्रामोत्थान/REAP परियोजना संचालित है। इस परियेाजना में ₹ 11,000 से ऊपर अति गरीब (अल्ट्रा पुवर) परिवारों को ₹ 35000/– ऋण आधारित सहयोग देकर सूक्ष्य उद्यमों तथा 1618 व्यक्तिगत एवं 284 सामूहिक उद्यमों की स्थापना की जा चुकी है। परियोजना द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला समूहों व कलस्टर लेवल फैडरेशनों के साथ कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय को दुगना करना और महिला समूहों की सदस्यों को लखपति दीदी बनाना है।

पंचायती राज विभाग

18.3 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरणः–

18.3.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान– इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। वर्ष 2023–24 में शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित इस योजना को रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में पुनर्गठित करते हुए प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित मदों को 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश व राज्यांश के तहत जबकि केन्द्र की पुरस्कार योजनाओं तथा ई–पंचायतीराज से सम्बन्धित योजनाओं को शत–प्रतिशत केन्द्रांश के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है।

X योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ऑनलाईन और ऑफ लाईन दोनों माध्यमों से पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, पंचायतों में लागू योजनाओं, विकास योजनाओं के निर्माण आदि के सम्बन्ध में सत्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत ₹ 179.88 करोड़ (रूपये एक सौ उनासी करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश ₹ 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) आवंटित हुआ है। राज्यांश के रूप में ₹ 2.78 करोड़ (रू. दो करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) का आवंटन हुआ है। इस प्रकार कुल आवंटन ₹ 27. 78 करोड़ (रू. सत्ताईस करोड अठहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष कुल ₹ 16.00 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ मात्र) का व्यय/उपभोग किया गया है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं, जिसमें आतिथि तकः–

- 2974 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष 2570 क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा 358 जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष 293 जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षित।

- ग्राम प्रधानों एंव वार्ड सदस्यों का दूसरे चरण (प्रथम चरण में हरिद्वार में किया गया था।) का 05 दिवसीय आवासीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम माह दिसंबर में प्रारम्भ। आतिथि तक लक्ष्य 58729 के सापेक्ष लगभग 54959 का प्रशिक्षण पूर्ण।

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चिन्हित 128 ग्राम सभाओं के लगभग 44631 जनजातीय मतदाताओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष आतिथि तक 40773 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित।

- ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु 45 गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं के 135 मास्टर ट्रेनरों हेतु ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' पूर्ण।

- स्वयं के राजस्व श्रोत विषय पर 02 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में 57 अधिकारी प्रशिक्षित।

- महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षणार्थ राज्य स्तर पर 39 तथा जनपद स्तर पर 190 प्रतिभागी मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित।

- **राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र** (SPRC)– राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित हो चुका है, जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

- आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से एस पी आर सी में 04 थिमैटिक एक्सपर्ट तैनात हैं तथा विकास खण्डों में ब्लॉक कॉर्डिनेटर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की गयी है।

- राज्य के अन्दर एवं बाहर का अध्ययन भ्रमण मद के अन्तर्गत अतिथि तक 216 पंचायत प्रतिनिधियों का भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण किया जा चुका है।

- राज्य के 97 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति उपरान्त कुल धनराशि ₹ 965.00 करोड़ का भुगतान किया गया है।

- राज्य के 100 ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति उपरान्त कुल धनराशि ₹ 250.00 करोड़ का भुगतान किया गया है।

- **18.3.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग**– राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पचांयतों हेतु 35 प्रतिशत राशि वितरण के मानक निर्धारित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गयी हैः–

तालिका 18.9
वर्ष 2024–25 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु आवंटित धनराशि (रू. लाख में) का विवरण

क्रमांक	पंचायत का नाम	आवंटित धनराशि (रू. लाख में)
1	जिला पंचायत	22550.00
2	क्षेत्र पंचायत	14100.00
3	ग्राम पंचायत	36400.00
	योग	73050.00

स्रोतः पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

18.3.3 15वाँ वित्त आयोगः– (वर्ष 2020–21 से 2025–26)

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए ₹ 471.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के सापेक्ष कोई धनराशि जारी नही की गयी है।

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को मूल अनुदान (40 प्रतिशत) एवं आबद्ध अनुदान (टाईड फण्ड) (60 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मूल अनुदान (Untied Fund)– मूल अनुदान के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सेवाओं हेतु, मानदेय अथवा अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, उपयोग कर सकेंगी।

आबद्ध अनुदान (Tied Fund)– टाईड फण्ड के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से (1) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को कायम रखने तथा (2) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण हेतु उपयोग कर सकेगे।

18.3.4 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना– इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में समस्त 7795 ग्राम पंचायतों में बैठके आहूत करते हुए योजनाएँ ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड़ कर दी गयी है।

18.3.5 ई–पंचायत– त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यो में पारदर्शिता, तकनीकी का उपयोग एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई–पंचायत के अन्तर्गत निम्न एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं।

- **ई–ग्राम स्वराज पोर्टल– इस पोर्टल के अन्तर्गत निम्न एप्लीकेशन्स को सम्मिलित किया गया है**

1. **प्रिया साफ्टः**– ई– पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज इन्स्टीट्यूशन्स एकॉउण्टिग सॉफ्टवेयर्स विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि का आवंटन एवं भुगतान करना है।
2. **प्लान प्लसः**– इसका उद्देश्य नियोजन का विकेन्द्रीकरण करना तथा जिला स्तर पर सैक्टर वार योजनाओं के निर्माण को सरल बनाना है।

3. **एक्शन–सॉफ्टः–** इसके अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों व लाईन विभागों द्वारा अनुमोदित एक्शन प्लान के अर्न्तगत करवाएं जा रहे कार्यो का भौतिक एंव वित्तीय प्रगति के आंकड़ें रखे जाते है तथा इनका अनुश्रवण किया जाता है।

4. **नैशनल एसेट डायरेक्टरीः–** इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य ग्रामीण संस्थाओं द्वारा निर्मित/संग्रहित/अनुरक्षित सम्पत्तियों का ब्योरा रखना है। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर पालिका आदि की परिसम्पत्तियों का भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्यौरा संरक्षित किया जाता है।

5. उक्त के अतिरिक्त निम्न एप्लीकेशन्स लागू हैं :–

- **एल.जी.डी.:–** लोकल गर्वनमैन्ट डायरेक्टरी का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायतो की राजस्व प्राप्तियों को आनलाईन करना है।

- **नेशनल पंचायत पोर्टलः–** राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल समस्त पंचायत वेबसाइट के समूह का नाम है जिसका कार्य सम्पूर्ण भारत की पंचायतों जैसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्यों के पंचायती राज विभागों हेतु वेबसाइट/आकड़े बनाना है।

- **ट्रैनिंग मैनेजमेण्ट पोर्टलः–** इस पोर्टल का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों/निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु मंच उपलब्ध करवाना है।

- **जी0 आइ0 एस0 :–** इसके अर्न्तगत उपरोक्त समस्त सॉफ्टवेयर्स में संग्रहित/संरक्षित डाटा/ सूचनाओं को एक लेयर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह सॉफ्ट्वेयर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान में विकसित किया जा रहा है।

18.3.6 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारः–

संविधान का अनुच्छेद 243 जी में राज्यों को अनुदेश है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें ताकि कि वे ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों सहित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए स्वसंस्थानों के रूप में कार्य कर सकें।

पंचायत स्कीम का प्रोत्साहन संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्रीय घटकों में से एक है। इस योजना के तहत विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों /विषयों के तहत उनके कार्य–निष्पादन को पहचान देने के लिए पुरस्कार विजेता पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित सर्वश्रेष्ठ कार्य–निष्पादन करने वाली पंचायतों को 'राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार' दिए जाते हैं। ये पुरस्कार आम तौर पर 24 अप्रैल को दिया जाता है, इस दिन को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू किया गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 9 विषयों (पंचायती राज मंत्राालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित) के तहत ब्लॉक, जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की बहु–स्तरीय पिरामिड प्रतियोगिता होगी। सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के 9 विषय हैंः (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, (ii) स्वस्थ गांव, (iii) बाल हितैषी गांव, (iv) पर्याप्त जल वाले गांव, (v) स्वच्छ और हरित गांव, (अप) आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, (viii) सुशासन वाले गांव और (ix) महिला हितैषी गांव। इन विषयों के तहत पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके कार्य–निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2024 के लिए, ग्राम पंचायतों का चयन पंचायत विकास सूचकांक (पी0डी0आई0) संकेतकों के आधार पर किया जाएगा और पुरस्कारों के लिए आवेदन और मूल्यांकन के लिए कोई अलग प्रश्नावलियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इनमें से कुछ संकेतकों के लिए डाटा केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न डैशबोर्ड/पोर्टल/एम0आई0एस0 से ऑनलाइन माध्यम से पी0डी0आई0 पोर्टल पर स्वतः स्थानान्तरित (Auto Port) हो जाएगा और शेष संकेतकों के लिए डेटा को पी0डी0आई0 पोर्टल (http://pdi.gov.in) पर ग्राम पंचायतों द्वारा मैनूअल रूप से दर्ज करना होगा। पी0डी0आई0 पोर्टल से यह डाटा पुरस्कार चयन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर स्वतः पोर्ट हो जाएगा। तद्नुसार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।

पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 (Panchayat Advancement Index 2.0)

पंचायती संस्थाओं में स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति को मापने तथा वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय सतत् विकास एजेंडा प्राप्त किये जाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index) को परिवर्धित कर पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) को तैयार किया गया है।

PAI 1.0 से PAI 2.0 में संक्रमण स्थानीय संकेतक रूपरेखाओं (LIF) में सुधार को दर्शाता है और अधिक केंद्रित एवं व्यावहारिक डेटा बिंदुओं को उजागर करता है। PAI पोर्टल को डेटा प्रविष्टि के स्तर पर सहज पुष्टिकरण (Soft validation) जांचों को लागू करके और बेहतर बनाया गया है ताकि सटीक और गुणवत्तापूर्ण डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित की जा सके।

PAI 1.0 में कुल 794 डेटा बिंदु थे, जो 9 विषयों में समाहित 516 संकेतकों से संबंधित थे, जबकि PAI 2.0 में कुल 227 डेटा बिंदु हैं, जो 9 विषयों में समाहित 147 संकेतकों से संबंधित हैं। यह PAI 1.0 की तुलना में क्रमशः 71.41 % और 72 % की कमी को दर्शाता है, जो PAI 1.0 से प्राप्त सीख और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मिली प्रतिक्रिया पर आधारित था।

PAI 2.0 People's Plan Campaign 2025 और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के क्रियान्वयन के साथ संरेखित (Align) है।

उत्तराखण्ड में PAI 2.0 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर डाटा प्रविष्टि का कार्य तथा विकास खण्ड स्तर व जिला पंचायत स्तर पर डाटा का सत्यापन कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए डेटा प्रविष्टि एवं सत्यापन को और अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक बनाने हेतु प्रत्येक ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत का फील्ड–स्तरीय डेटा सत्यापन कार्य जिला/ब्लॉक स्तर पर तैनात जिला/ब्लॉक पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC/BPRC) के कार्मिक, जिला/ब्लॉक पंचायत प्रबंधन इकाई (DPMU/BPMU) के कार्मिक, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायती राज (SoEPR) हेतु नियुक्त कार्मिक, RGSA योजना के अंतर्गत उपलब्ध अन्य मानव संसाधन के माध्यम से कराया गया है।

अध्याय–19
शहरी विकास एवं आवास
Urban Development & Housing

19.1 भूमिका एवं पृष्ठभूमिः–

राज्य सरकार द्वारा ''सतत विकास लक्ष्य 2030 (SDGs)'' के अंतर्गत शहरी विकास से संबंधित कार्यक्रमों का सुव्यवस्थित एवं सतत क्रियान्वयन किया जा रहा है। विशेष रूप से ''सतत विकास लक्ष्य–11'' के अनुरूप शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला तथा पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ बनाने हेतु बहुआयामी योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विस्तार, आवास, स्वच्छता, हरित क्षेत्र, रैन बसेरे, स्मार्ट सिटी तथा अन्य सहायक कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

तालिका 19.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	2025–26 / वर्तमान
1	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	63	72	108
1.1	नगर निगम (संख्या)	01	06	11
1.2	नगर पालिका परिषद (संख्या)	31	28	46
1.3	नगर पंचायत (संख्या)	31	38	51
1.4	छावनी परिषद(संख्या)	09	09	09
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72 %	26.55 %	36.77 %
3	विकास प्राधिकरणों की संख्या	05	05	14
4	विनियमित क्षेत्रों की संख्या	21	21	**शून्य** (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण घोषित होने के कारण विनियमित क्षेत्र समाप्त हो गये।)
5	अन्य आवास एवं विकास परिषद् आदि की संख्या	01	01	01

x वित्तीय वर्ष 2025–26 में नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर एवं किच्छा की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सिरोलीकालां का गठन किया गया है।

राज्य में विगत दो दशकों के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष 2001 में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 63 थी, जो वर्ष 2011 में 72 तथा वर्ष 2025–26 में बढ़कर ''108'' हो गई है। यह प्रवृत्ति राज्य में नगरीकरण के निरंतर विस्तार को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिसे चार्ट–19.1 के माध्यम से दर्शाया गया हैः–

चार्ट–19.1

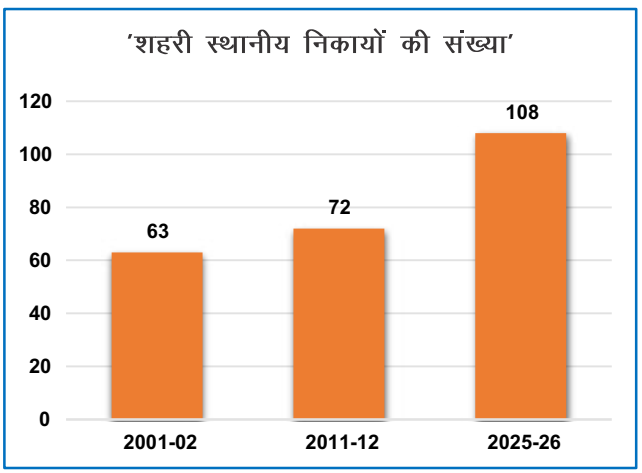

स्रोतः– शहरी विकास विभाग

तालिका 19.2

सीानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर (CAGR)

शहरी : आधारभूत सांख्यिकी		
वर्ष	**जनसंख्या**	**स्थानीय निकाय तथा सेसंस टाउन की संख्या (जनगणना के आधार पर)**
2018 (जनगणना 2001 के अनुसार)	21.79 लाख (25.70%)	**91**
2022(जनगणना 2011 के अनुसार)	36.30 लाख (34.19%)	**105**
2025(जनगणना 2011 के अनुसार)	36.77 लाख (34.19%)	**108**

स्रोतः– शहरी विकास विभाग

19.2 शहरी जनसंख्या की स्थितिः–राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2001 में 21.72 प्रतिशत, वर्ष 2011 में 26.55 प्रतिशत तथा वर्ष 2025–26 में ''36.77 प्रतिशत'' हो गया है, जो शहरीकरण की तीव्र गति को दर्शाता है, जिसे निम्न चार्ट–19.2 के माध्यम से दर्शाया गया है:–

चार्ट–19.2

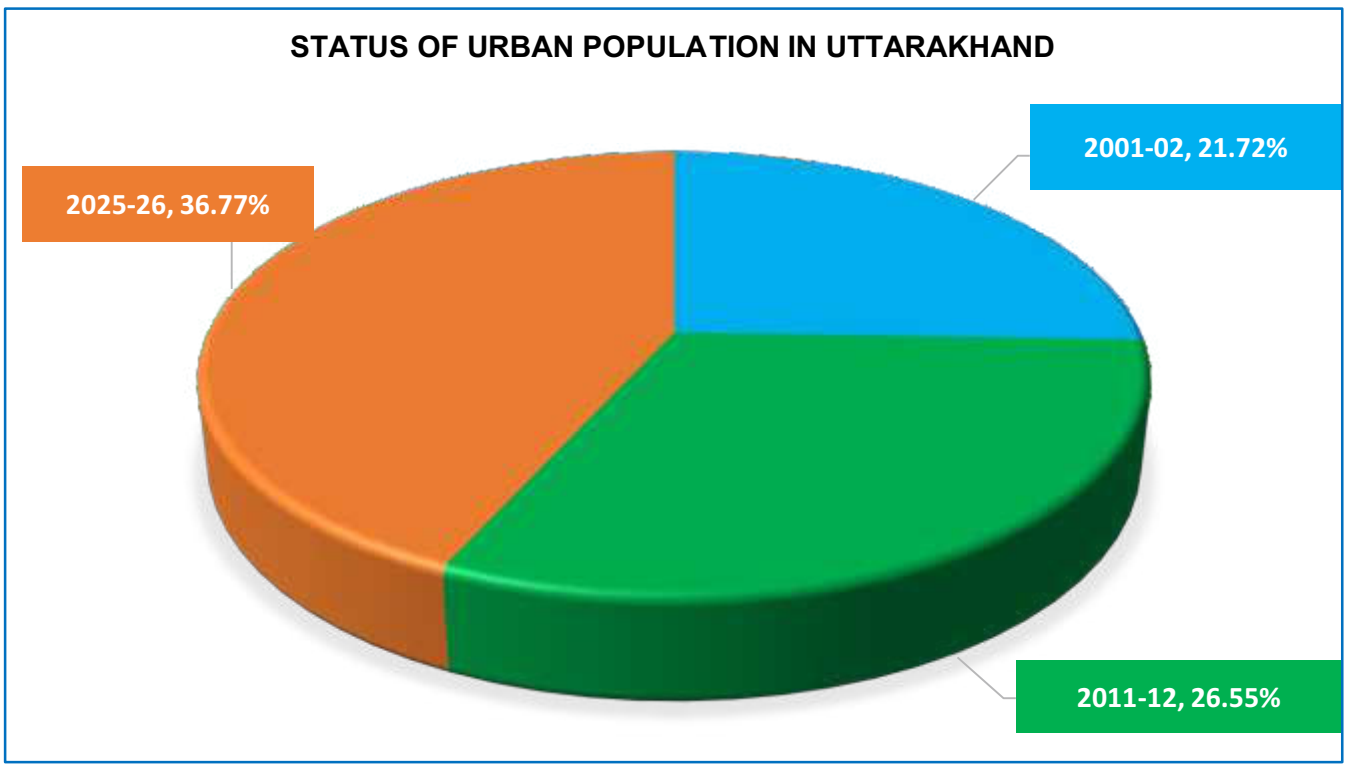

स्रोतः– शहरी विकास विभाग

19.3 जनसंख्या वृद्धि एवं प्रवासनः–

जनगणना 2011 के आधार पर शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) ''3.42 प्रतिशत'' दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर मात्र ''1.10 प्रतिशत'' रही है। यह अंतर मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते प्रवासन का परिणाम है। गत एक दशक में लगभग ''17.10 लाख'' व्यक्तियों द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025–26 में लगभग ''3 करोड़ पर्यटकों'' द्वारा राज्य का भ्रमण किया गया, जिससे शहरी सेवाओं एवं अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ। तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या,

पर्यटन गतिविधियों तथा आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आवास, परिवहन एवं पार्किंग जैसी शहरी सेवाओं पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य में केन्द्र पोषित, राज्य पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

19.4 शहरी विकास विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ (वर्ष 2025–26):–

19.4.1 मानव संसाधन एवं क्षमता संवर्धनः– शहरी विकास विभाग द्वारा मानव संसाधनों की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से ''शहरी विकास संस्थान (SIUD)'' की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से कार्मिकों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही पालिका केंद्रीकृत सेवा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है।

19.4.2 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणः– नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों (पर्यावरण मित्रों) को ''₹ 5.00 लाख'' की बीमा सुरक्षा प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु राज्य में गौशालाओं का संचालन एवं विस्तार किया गया है।

19.4.3 पशु नियंत्रण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यः– शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए 10 एबीसी (Animal Birth Control) केंद्रों के माध्यम से सितंबर 2025 तक ''1,00,904 आवारा श्वानों'' का बंध्याकरण किया गया है।

19.4.4 स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः– ''स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)'' के अंतर्गत राज्य में खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण तथा स्रोत पर कचरा पृथक्करण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य के अधिकांश वार्डों में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत एवं क्रियान्वित की जा रही हैं।

19.4.5 आवास एवं शहरी जीवन गुणवत्ताः– ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)'' के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों हेतु आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज तथा हरित क्षेत्रों के विकास से शहरी जीवन की समग्र गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

19.4.6 डिजिटल पहल एवं शहरी शासनः– शहरी शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 14 नगर निकायों में ''GIS आधारित मैपिंग'' कार्य प्रगति पर है, जिससे संपत्तियों का यथार्थ आकलन एवं संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है।

19.4.7 दीर्घकालिक दृष्टिकोण एवं भविष्य की दिशाः– राज्य गठन (वर्ष 2000) से वर्तमान तक शहरी विकास विभाग द्वारा अवसंरचना विकास, शहरी शासन सुधार एवं सेवा वितरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। भविष्य में विभाग का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों को ''स्वच्छ, समावेशी, आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ'' बनाना है, ताकि बढ़ती जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकताओं की प्रभावी पूर्ति की जा सके।

उत्तराखंड राज्य के गठन के समय जहां नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत थी, वहीं आज यह 36.12 प्रतिशत हो गई है। जहां स्थानीय निकायों की संख्या मात्र 63 थी, वह आज बढ़कर 108 तक पहुंच गई है। राज्य गठन के समय सिर्फ एक नगर निगम देहरादून में स्थापित था, जब कि आज 11 नगर निगम हैं। राज्य में शहरीकरण बहुत तीव्र गति से हुआ है। शहरी व्यवस्था को Sustainable करने हेतु जहां एक ओर सीवरेज की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है वही यातायात व्यवस्था को निर्बाध व नियंत्रित करने हेतु मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

राज्य गठन के समय नगरीय क्षेत्र में कुल 64,300 घरों में सीवर का संयोजन था, जो अब बढ़कर 1,56,459 हो गया है। जहां गठन के समय पूरे राज्य में सिर्फ तीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे, उनकी संख्या अब बढ़कर 63 हो गई है। इसी प्रकार जहां पूर्व में सीवर शोधन क्षमता 24 एमएलडी मात्रा थी, वह अब बढ़कर 416 एमएलडी हो गई है। GIS और मास्टर प्लान आधारित शहरी नियोजन के लिए राज्य के प्रमुख नगरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किए गए, जिनमें भूमि उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, यातायात प्रवाह, और जनसंख्या घनत्व का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार और नैनीताल में भूमि उपयोग नियंत्रण और हरित क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। शहरी शासन और वित्तीय सुधार के लिए नगर निकायों को ई–गवर्नेंस, टैक्स कलेक्शन, संपत्ति पंजीकरण और बजट प्रबंधन में डिजिटल सिस्टम से जोड़ा गया। नगर विकास विभाग ने ULBs की क्षमता वृद्धि (Capacity Building) के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय प्रबंधन सुधार लागू किए। इससे शहरी निकायों की आत्मनिर्भरता और सेवा–प्रदर्शन क्षमता बढ़ी।

उत्तराखण्ड राज्य के शहरी विकास को योजनाबद्ध और समावेशी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बीते वर्षों में कई महत्वपूर्ण संस्थानों का गठन किया गया है। गत 25 वर्षों में विकास प्राधिकरणों द्वारा ₹ **1343 करोड़ से अधिक** की लागत की अवस्थापना सुविधायें एवं विकास कार्य पूरे किये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल **15960 आवास** स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में ई–गवर्नेंस और सुशासन को बढ़ावा देने के लिये उठाये गये कई सुधारात्मक कदमों में से मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2013 में भवन मानचित्र स्वीकृति को ऑनलाइन किया, जिससे **भवन मानचित्र की ऑनलाइन स्वीकृति वाला यह देश का पहला प्राधिकरण** बना। अब सभी विकास प्राधिकरणों में ईज–ऐप के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति, पत्रावलियों का संचालन और शुल्क भुगतान पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है।

राज्य में विकास को गति देने के लिये वर्ष **लैंड पूलिंग नीति–2016, उत्तराखण्ड आवास नीति–2017** और **नियमावली–2018,** अधिसूचित की गई। भवनों के बाहरी स्वरूप को एकरूप बनाने हेतु फसाड नियंत्रण नीति–2019 लागू की गयी। पार्किंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये नियमावली 2022 बनायी गयी तथा दुर्बल, निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिये आवासीय सुविधा हेतु आवास नियमावली–2025 अधिसूचित की गयी है। उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को ईज–ऐप पोर्टल के लिये भारत सरकार द्वारा 2022 और 2024 में **''बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल''** का सम्मान मिला।

19.5 प्रमुख योजनाओं की प्रगतिः– केन्द्र पोषित

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में ₹ 486.18 करोड़ का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2025 तक ₹ 145.27 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसमें से ₹ 99.25 करोड़ (प्रारम्भिक अवशेष सहित) का उपयोग माह दिसम्बर, 2025 तक कर लिया गया है।

केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

19.5.1– दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) – भारत सरकार द्वारा डे0–एन0यू0एल0एम0 योजना की योजना अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप योजना को समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में नई योजना दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनकी आजीविका को मजबूत करना है। शहरी गरीबों की व्यावसायिक, सामाजिक और आवासीय मूलभूत कमियों को दूर कर, लाभार्थियों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि और सुधार किया जाना है।

मिशन के प्रमुख घटक

1–समुदाय आधारित संस्थागत विकास (CLID) – त्रिस्तरीय संरचना (स्वयं सहायता समूह–क्षेत्र स्तरीय संघ–नगर स्तरीय संघ) का निर्माण, (SHG –ALF- CLF) स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ को क्रमशः ₹ 25 हजार तथा ₹ 2.00 लाख की आवर्ती निधि (Revolving Fund) एवं नगर स्तरीय संघ को संचालन हेतु धनराशि ₹ 1.00 लाख का प्रावधान।

प्रगति– आतिथि तक 502 स्वयं सहायता समूहों को पायलट हेतु चयनित किया गया है।

2–वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास (FI&ED) – व्यक्तिगत् उद्यम हेतु (पुरूषों हेतु 5 प्रतिशत एवं महिलाओं हेतु 4 प्रतिशत) पर अधिकतम् ₹ 4.00 लाख ऋण तथा समूह उद्यम (अधिकतम् 5 सदस्य) हेतु अधिकतम् ₹ 20.00 लाख के तथा स्वयं सहायता समूहों को धनराशि ₹ 1.00 लाख के ऋण का प्रावधान। शहरी गरीब उद्यमियों हेतु उद्यमियता विकास प्रशिक्षण का प्रावधान।

प्रगति– आतिथि तक 255 बैंक मित्र, 827 व्यक्तिगत एवं 63 समूह ऋण के आवेदकों को चयनित किया गया है।

3– सामाजिक बुनियादी ढांचा (Social Infrastructure) – के अंतर्गत शहरी गरीबों एवं कमजोर असंगठित समूहों जैसे निर्माण श्रमिक, परिवहन श्रमिक, गिग श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा श्रमिक और केयर वर्कर हेतु शहरी बेघरों हेतु आश्रय, नगर आजीविका केन्द्र, लेबर चौक एवं केयर कलर्स्टस का निर्माण/संचालन किया जाता है।

प्रगति– आतिथि तक शहरी बेघरों हेतु आवास के लिये 08 स्थल, लेबर चौक हेतु 21 स्थल एवं केयर कलस्टर्स 07 स्थल को निकायों द्वारा चयनित किया गया है तथा नगर आजीविका केन्द्र हेतु 06 भवनों को भी चयनित किया गया है।

4–अभिसरण (Convergence) – के अंतर्गत शहरी गरीबों एवं कमजोर असंगठित समूहों जैसे निर्माण श्रमिक, परिवहन श्रमिक, गिग श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा श्रमिक और केयर वर्कर का आई0टी0 बेस्ड पोर्टल पर सोसियो–ईकोनॉमिक प्रोफाईलिंग करते हुये उन्हें भारत सरकार की 09 केन्द्र पोषित योजनाओं (पी0एम0जनधन योजना, पी0एम0 सुरक्षा बीमा योजना, पी0एम0 जीवन ज्योति योजना, पी0एम0 मातृत्व वन्दन योजना, पी0एम0 जननी सुरक्षा योजना, पी0एम0 श्रमयोगी मानधन योजना, बी0ओ0सी0डब्ल्यू, वन नेशन वन राशन कार्ड, पी0एम0 अटल आयुष्मान कार्ड) से आच्छादित करना इस हेतु निकायों में सुयोग सेन्टर की स्थापना।

प्रगति– अभिसरण के अंतर्गत 36168 शहरी गरीब, 6474 निर्माण श्रमिक, 5047 परिवहन श्रमिक, 943 गिग श्रमिक, 1994 घरेलू श्रमिक, 3780 कचरा श्रमिक और 987 केयर वर्कर को सर्वेक्षण कर निकायों द्वारा चिन्हित किया गया है।

19.5.2–स्वच्छ भारत मिशनः–स्वच्छ भारत मिशन 02 अक्टूबर 2014 को प्रारम्भ हुआ, जिसका **मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित हैः–

- ''खुले में शौच'' की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन।
- स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैः–

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों एंव मूत्रालयों का निर्माण।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सूचना शिक्षा एवं संचार (आई०ई०सी०) एवं जनजागरूकता।
- निकायों का क्षमता सम्वर्द्धन।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशिः– भारत सरकार द्वारा ₹ 10,800.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 1,200.00 कुल ₹ 12,000.00 प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (₹ में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39,200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 58,800.00 कुल ₹ 98,000.00 प्रति सीट अनुदान दिया जाता है।

1–व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27640 के सापेक्ष 27640 शौचालय के फोटो पोर्टल पर अद्यतन

2–सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के कुल लक्ष्य 2798 के सापेक्ष 2764 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय iw.kZ@fufeZrA

3–सार्वजनिक मूत्रालय के कुल लक्ष्य 1000 के सापेक्ष 998 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित

4–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid waste management)

- Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan (CSP) निर्मित की जा चुकी है।
- कुल 1242 वार्डों में से 1229 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ तथा 1174 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की 62 डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्राप्त है तथा 89 निकायों हेतु गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डी०पी०आर० भारत सरकार से स्वीकृत व धनराशि प्राप्त है।
- 16 प्लांट क्रियाशील है। 24 योजनाओं में कार्यगतिमान है तथा 22 योजनायें वन भूमि, जन विरोध अन्य भूमि प्रकरणों के कारण पूर्ण नहीं हो पायीं।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0–

- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत 5440 व्यक्तिगत घरेलु शौचालय (IHHL) प्रति इकाई ₹ 10,800.00 की दर से केन्द्रांश हेतु ₹ 583.20 लाख कि धनराशि की प्रथम किश्त तथा 218 सीटों के सार्वजानिक शौचालयों हेतु ₹ 1.35 लाख प्रति दर से ₹ 294.30 लाख एवं 105

सीटों के सार्वजनिक मूत्रालय हेतु ₹ 28,800.00 प्रति दर से ₹ 30.24 लाख के अनुसार कुल केन्द्रांश धनराशि ₹ 324.54 लाख की प्रथम किश्त भारत सरकार से अपेक्षित है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद में ₹ 1.14 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें 16 निकायों को 953 सीटों के लिए माह जून 2025 एवं अगस्त 2025 में धनराशि निर्गत की गई है। वर्तमान में कार्य गतिमान है।

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (लीगेसी वेस्ट)– प्राविधानित धनराशि (₹ –77.21 करोड़)

- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत 14 निकायों की 15 परियोजनों में लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा 17.51 लाख मीट्रिक टन के निस्तारण हेतु ₹ 86.78 करोड़ की DPR स्वीकृती हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी। जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में नगर निगम देहरादून कि ₹ 27.45 करोड़ की DPR, नगर निगम हरिद्वार कि ₹ 22.44 करोड़ की (दो) DPR, नगर निगम काशीपुर कि ₹ 3.41 की DPR, नगर निगम हल्द्वानी कि ₹ 11.39 करोड़ की DPR, नगर निगम रूडकी कि ₹ 7.17 करोड़ की DPR, नगर निगम ऋषिकेश कि ₹ 6.46 करोड़ की DPR, नगर निगम कोटद्वार कि ₹ 0.92 करोड़ की DPR, लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा 15.74 लाख मीट्रिक टन के निस्तारण हेतु स्वीकृत केन्द्रांश धनराशि के रूप में प्रथम किश्त कुल ₹ 24.38 करोड़ उक्त 7 निकायों को अवमुक्त कर दी गयी है।

- वर्तमान में 14 निकायों द्वारा लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा 17.51 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 10.39 मी०टन निस्तारित किया जा चूका है।

- आई.ई.सी. मद (2021–2026) पांच वर्षों हेतु स्वीकृत ₹ 27.70 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹ 3.08 करोड़ राज्यांश के सापेक्ष ₹ 30.78 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद में ₹ 3.46 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, ₹ 3.00 करोड़ 108 निकायों को निर्गत किया गया है।

- क्षमता अभिवृद्धि, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय मद (2021–2026) पांच वर्षों हेतु ₹ 13.90 करोड़ स्वीकृत केन्द्रांश एवं ₹ 1.54 करोड़ राज्यांश के सापेक्ष ₹ 15.44 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत है। कार्ययोजना के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में ₹ 2.02 करोड़ केन्द्रांश प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद में ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

19.5.3–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation, AMRUT):-1.0

सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर उक्त अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर) 01 नगर पालिका परिषद् (नैनीताल) में संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित जल सुलभ कराना एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान(अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थितिः–

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित जल सुलभ कराना।

- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।

- अमृत योजना 1.0 की कुल लागत ₹ 593.02 करोड़ के सापेक्ष कुल 151 योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष कुल ₹ 591.02 करोड़ केद्रांश व राज्यांश अवमुक्त किया जा

चुका है तथा वर्तमान तक कुल 147 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष प्रगति पर है।

- योजना प्रारम्भ सें मार्च 2024 तक अमृत योजना में अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 59,102.00 लाख (केन्द्रांश एवं राज्यांश) के सापेक्ष ₹ 53374.00 लाख व्यय किया गया।
- योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 47 के सापेक्ष 46 पूर्ण एवं 1 योजनायें पर कार्य प्रगति पर है।
- सीवरेज में लक्ष्य 44 के सापेक्ष 43 योजनायें पूर्ण एवं 1 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- ड्रेनेज में लक्ष्य 16 योजनाओं के सापेक्ष 15 योजनायें पूर्ण एवं 1 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- Green Space में पार्क की कुल 44 योजनाओं के सापेक्ष 43 पूर्ण एवं 1 योजनाओं पर योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- अमृत उपयोजना 7 अमृत नगरों का जी0आई0 एस0 मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिस हेतु स्वीकृत व्यय ₹ 3.58 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2.87 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है तथा मास्टर प्लान पूर्ण रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 0.71 करोड़ धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

अमृत 2.0– योजनान्तर्गत कुल ₹ 650.00 करोड़ (केन्द्रांश एवं राज्यांश) की धनराशि प्राविधानित है। जिसके सापेक्ष ₹ 141 करोड़ (केन्द्रांश एवं राज्यांश) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष ₹ 108.35 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थितिः–

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व नल से शुद्व जल सुलभ कराना।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।
- जल निकायों का पुनःद्वार कर तालाबों, नदियों जैंसे जल स्रोतों को प्रदूषण और गिरवट से बचाकर पारिस्थितिक
- बहाली के माध्यम से फिर से जीवंत और स्वस्थ बनाना, ताकि पानी को जमा करने, भूजल को रिचार्ज किया जा सके।
- जलापूर्ति योजनाऐं ट्रेन्च–1 स्वीकृत लागत ₹ 233.74 करोड़ लक्ष्य 19 के सापेक्ष 01 पूर्ण एवं 18 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
- जलापूर्ति योजनाऐं ट्रेन्च–2 स्वीकृत लागत ₹ 406.12 करोड़ लक्ष्य 08 के सापेक्ष 03 योजनाओं का कार्य प्रगति पर एवं 03 योजनाऐं टेण्डर प्रक्रिया में है।
- Green Space में पार्क स्वीकृत लागत ₹ 6.50 करोड़ लक्ष्य 06 के सापेक्ष 06 योजनाऐं टेण्डर प्रक्रिया में है।
- Rejuvenation of water bodies स्वीकृत लागत ₹ 26 करोड़ के सापेक्ष ₹ 9.81 करोड़ की स्वीकृत 05 योजनाओं के सापेक्ष 02 योजनाओं का कार्य प्रगति पर एवं 03 योजनाऐं टेण्डर प्रक्रिया में है।
- **जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान** के अन्तर्गत श्रेणी–2 के 10 शहर तथा श्रेणी 03 के 13 शहर चयनित किये गये है। जिसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त(20 प्रतिशत) ₹ 3.84 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है। श्रेणी–2 के जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस को चार शहरों जसपुर, सितारगंज, नगला, गदरपुर का कार्यादेश दिया जा चुका है।

19.5.4– प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी):– योजना (2015–दिसंबर 2025, जिसे सितम्बर 2026 तक विस्तारित किया गया है) तक, योजना में चार घटक में से किसी एक घटक में अभिलार्थी को लाभान्वित किया जाता है।

- **लाभार्थी आधारित निर्माण घटक** – ई०डब्यू०एस० श्रेणी का लाभार्थी स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण कर सकता है, जिस हेतु लाभार्थियों को ₹ 2.00 लाख का अनुदान (₹ 1.50 लाख केंद्रांश ₹ 0.50 लाख राज्यांश), भारत सरकार से कुल 25,190 आवास स्वीकृत है ₹ 389.35 करोड़ का अनुदान DBT के माध्यम से लाभार्थियों को निर्गत किया गया है, 17,299 आवासों को पूर्ण कराया गया है तथा शेष आवासों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **भागीदारी में किफायती आवास घटक** – भूमि न होने पर बहुमंजिला प्रकृति का आवास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है आवास निर्माण हेतु कुल अनुदान ₹ 3.00 लाख (₹ 1.50 लाख केंद्रांश ₹ 1.50 लाख राज्यांश) निर्माणकर्ता को आवंटित किया जाता है। भारत सरकार से 15,960 आवास स्वीकृत ₹ 432 करोड़ आवंटित किया गया है। प्रति आवास लागत ₹ 3.50 लाख की दर से लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। 7,684 आवास पूर्ण, शेष आवासों पर निर्माण कार्य प्रगति पर, आवासों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) 2.0

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 प्रारम्भ की गई, योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 2.25 लाख प्रति आवास अनुदान प्रदान किया जा रहा है, योजना के लभार्थी आधारित निर्माण घटक अंतर्गत प्रति आवास ₹ 0.50 लाख अनुदान प्राविधानित किया गया है। वर्तमान तक भारत सरकार द्वारा 2332 आवासों की स्वीकृति लाभार्थी आधारित निर्माण घटक अंतर्गत दी गई है, जिसकी प्रथम किस्त ₹ 2098.80 लाख की धनराशि मदर सेंक्शन के रुप में दी गई है, जिसे निकायों को लिमिट के रुप में दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

5.5– स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून नगर का चयन किया गया था। परियोजना के अर्न्तगत देहरादून नगर के चयनित वार्डो के सम्पूर्ण विकास के लिए ₹ 1,000.00 करोड़ प्राविधानित थे, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। वर्तमान मे परियोजना के अर्न्तगत केवल ग्रीन बिल्डिंग का कार्य प्रगतिशील है। परियोजना के अर्न्तगत इन्ट्रीग्रेटेड कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबन्धन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं यथा स्मार्ट स्कूल, वाटर ए0टी0एम0, स्मार्ट टायलेट, पेयजल आपूर्ति संवर्धन, परेड ग्राउण्ड जीर्णोद्वार, पलटन बाजार पैदल मार्ग का विकास, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट पोल, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक, इलैक्ट्रिक बस, क्रैच बिल्डिंगए इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टमए, स्मार्ट रोड़, इंटीग्रेटेड सीवेरज कार्य पूर्ण कर लिए गए है। ग्रीन बिल्डिंग का कार्य प्रगतिशील हैं जिसके अन्तर्गत 73 सरकारी विभागों को स्थान्तरित किया जाना प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप आम जनता को एक ही स्थान पर सभी कार्यालय होने से लाभ प्राप्त होगा। ग्रीन बिल्डिंग परियोजना की लागत ₹ 206.00 करोड है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

19.5.5 स्मार्ट सिटी CITIIS Project के अर्न्तगत फुटपाथों का निर्माण, रेलिंग, ओवरब्रिज, आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। **CITIIS** परियोजना कार्य कि लिए ₹ 58.00 करोड़ प्राविधानित है। **CITIIS** परियोजना का कार्य का 2 फेज में विभाजन किया गया है। फेज–1 में कुल विद्यालयों की संख्या 34 है एवं फेज–2 के अन्तर्गत 72 विद्यालयों को चयनित किया गया है। फेज–1 एवं फेज–2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

19.6 प्रमुख योजनाओं की प्रगतिः– राज्य पोषित

राज्य योजना के अर्न्तगत वर्ष 2025–26 में ₹ 19874.19 लाख धनराशि प्राविधानित की गई है दिसम्बर, 2025 तक ₹ 2101.77 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरणः–

19.6.1–उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIF):– इस योजना में अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम 09 स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 200.00 लाख का बजट के प्राविधान के क्रम में उक्त धनराशि नगर निकाय रूद्रपुर, पिथौरागढ़, कोटद्वार, मसूरी, डोईवाला, भीमताल, लालकुंआ, गूलरभोज, भिकियासैंण को अवमुक्त की गयी है।

19.6.2–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development)- इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय नकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधायें यथा –ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यो हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2025–26 में ₹ 6000.00 लाख का बजट में प्रावधान है, उक्त के क्रम में 21 नगर निकायों को ₹ 19.40 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 09.67 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

19.6.3 श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन (Animal Birth Control) योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में (एनिमल बर्थ कन्ट्रोल) ए0बी0सी0 कैम्पसों का निर्माण एवं उक्त कैम्पस में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वर्तमान में एबीसी कैंपस चार नगर निकायों देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, काशीपुर, रूद्रपुर, रूड़की पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में संचालित है तथा नगर निगम, श्रीनगर में ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। वर्ष 2025–26 में ₹ 600.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 10.00 लाख नगर निगम ऋषिकेश, रूद्रपुर एवं नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती–ढालवाला को अवमुक्त किया गया। योजनान्तर्गत आतिथि तक कुल 100904 श्वान पशुओं का बध्याकरण कर लिया गया है।

19.6.4– निराश्रित गोवंशों के लिए गौशाला निर्माण योजना अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में निराश्रित गोवंशों के रख रखाव एवं पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 15.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई।

19.6.5–रैन बसेरों का निर्माण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठण्ड से सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2025–26 में ₹ 100.00 लाख का बजट में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 01 निकाय नगर निगम, हरिद्वार को तृतीय किश्त के रूप में ₹ 28.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

19.6.6–नगर पालिकाओं में पार्को की स्थापना योजना के अर्न्तगत नगर निकायों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 500.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 22 पार्क, जिसमें अतिक्रमण मुक्त कराए गए 21 स्थलों व सचिवालय कॉलोनी, केदारपुरम में 01

पार्क निर्माण किया जाना है, हेतु नगर निगम, देहरादून को कुल ₹ 4.72 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

19.6.7–सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वाले सपेरा आदि को राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार सड़क पर फेरी व रेड़ी लगाने वाले दुकानदारों के लिए एक स्थान निर्धारित करते हुए स्थल विकास किया जाना है।

19.6.8–हाईटेक शौचालयों का निर्माण– यात्रामार्ग एवं पर्यटक स्थलों पर स्थापित नगर निकायों में यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष नगर पंचायत, दिनेशपुर व लम्बगांव को द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 33.31 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

19.6.9–सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से सम्बन्धी सामग्री व स्वास्थ्य जाचं आदि कराना है।

19.6.10–सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को नगर की सफाई व्यवस्था में सर्वोच्च योगदान देने पर पुरस्कृत किया जाना है।

19.6.11 सफाई कर्मचारियों का बीमा योजना– नगर निकायों में सफाई कर्मचारी नगरों की सफाई व्यवस्था, नालियों सीवरेज आदि की सफाई व्यवस्था का कार्य करते हैं। कोविड समय में भी सफाई कर्मचारियों द्वारा शहरों तथा कोविड सेंटरों की सफाई में विशेष योगदान दिया है। सफाई कर्मचारी कठिन परिस्थियों में भी सफाई व्यवस्था का कार्य करते हैं, जिसके कारण इनके स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमित करने का प्रस्ताव है। शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों का ₹ 5.00 लाख प्रति कार्मिक बीमा अनुमन्य किया गया है।

19.7 प्रमुख योजनाओं की प्रगतिः– बाह्य पोषित

19.7.1– उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) का गठन वर्ष 2008 में शहरी विकास विभाग के अधीन किया गया। विगत एक वर्ष में UUSDA द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत कुल **₹ 897981.00 लाख** की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

Uttarakhand Integrated & Resilient Urban Development Project (UIRUDP) Loan 4148-IND एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2021 में किया गया। जिसके माध्यम से देहरादून तथा नैनीताल नगरों में **₹ 118481.00** लाख की लागत से पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में परियोजना के अन्तर्गत ₹ 22000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन से माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 10550.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 7564.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत ए0डी0बी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है जिसमें ए0डी0बी ऋण 4148-IND हेतु प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान के उपरान्त माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 60213.94 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित की जा चुकी है एवं ₹ 2921.56 लाख के दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन में है।

UIRUDP परियोजना के द्वितीय चरण UIRUDP- Additional Financing ऋण 4407-IND हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित लगभग **₹ 203200.00 लाख** की लागत से हल्द्वानी, देहरादून तथा टनकपुर नगर में पेयजल,

सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जाने गतिमान हैं। DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध माह दिसम्बर, 2023 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। हल्द्वानी, देहरादून तथा टनकपुर नगर में 05 सब प्रोजेक्ट्स में 04 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य किये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में परियोजना के अन्तर्गत ₹ 17900.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन से ₹ 16960.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 16160.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत ए0डी0बी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है एवं ए0डी0बी ऋण 4407-IND हेतु प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान के उपरान्त माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 38040.55 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित की जा चुकी है एवं ₹ 1647.76 लाख के दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन में है।

Uttarakhand Liveability Improvement Project- ULIP परियोजना हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित लगभग लगभग ₹ **229600.00** लाख़ की लागत से हल्द्वानी, विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में पेयजल, बहुउद्देशीय भवन निर्माण एवं सड़क यातायात प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किया जाना प्रगति पर हैं। उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध वर्ष 2024 में किया जा चुका है। विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में परियोजना हेतु कार्य आवंटन किया जा चुका है एवं एवं नवीन पैकेज IUF/HDW-02 Haldwani- Storm Water Drainage & Road Development Project भी अवार्ड किया जा चुका है तथा पैकेज Haldwani-ACBT Building cum ITMS Project) & Haldwani- Storm Water Drainage & Road Development Project) अवार्ड किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 19100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन से ₹ 16488.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं, एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 12680.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान परियोजना के अन्तर्गत गतिमान पैकेजों में किये गये भुगतान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 31363.36 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित की जा चुकी है तथा ₹ 2894.69 लाख के दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन में है।

Uttarakhand Livability Improvement Project (ULIP-EIB) (Proposed) पेयजल सीवर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अर्बन रिफॉर्मर्स वित्तपोषण एजेंसी (Funding Agency)- यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (EIB) Loan No-96585 परियोजना हेतु यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) सहायतित लगभग लगभग ₹ 176700.00 लाख की लागत से सितारगंज, पिथौरागढ़, रूद्रपुर व काशीपुर आदि नगरों में पेयजल व सीवरेज सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध माह जुलाई, 2025 को किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 वर्तमान में में ₹ 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में परियोजना में Development of Water Supply Scheme With 05 Years O&M, at Sitarganj Town, Kashipur Town, Rudrapur Town and Pithoragarh Town की डी0पी0आर0 शासन के नियोजन विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी है, जिसके उपरान्त उक्त डी0पी0आर0 की टी0एस0सी0 द्वारा संस्तुति के पश्चात हाई पावर कॅमेटी में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी है, जिसके उपरान्त ही निविदा की प्रक्रिया की जानी प्रस्तावित है,

Integrated Urban Infrastructure Development

in Rishikesh (IUIDH) ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास के लिए के एफडब्ल्यू परियोजना परियोजना हेतु लगभग **₹ 170000.00 लाख (फेज–1 ₹ 70000.00 लाख़ एवं फेज–2 ₹ 100000.00 लाख़)** की लागत के अन्तर्गत यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा ऋषिकेश में पेयजल, सीवर, सड़क एवं परिवहन, जल निकासी, भू–निर्माण, अर्बन रिफोर्म सेक्टरों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ऋषिकेश नगर परिक्षेत्र में उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार एवं KfW के मध्य फेज–1 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2022 एवं फेज–2 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2023 किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में शासन द्वारा ₹ 4100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन से ₹ 1000.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं, एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 910.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत Rehabiliation of Major and Secondary Drains, Water Supply Schemes (18 Wards), Existing Sewer/ New HSC, sub projects under climate Resilient infra, urban transformation and mobility एवं तत्सम्बन्धित कार्य किये जाने है।

19.8 निष्कर्षः– प्रमुख मुद्दे (Issues) एवं भावी कार्यदिशा (Way Forward)

19.8.1 प्रमुख मुद्देः–

- तीव्र शहरीकरण के कारण शहरी अवसंरचना एवं मूलभूत सेवाओं पर बढ़ता दबाव।
- शहरी क्षेत्रों में आवास, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं परिवहन सुविधाओं की बढ़ती मांग।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय एवं संस्थागत क्षमता में असमानता।
- पर्यावरणीय संतुलन, जल संसाधन प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण से जुड़ी चुनौतियाँ।

19.8.2 भावी कार्यदिशा (Way Forward):-

- समेकित एवं दीर्घकालिक शहरी नियोजन को प्रोत्साहन देते हुए GIS आधारित मास्टर प्लान का विस्तार।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु कर आधार का सुदृढ़ीकरण एवं डिजिटल प्रणालियों का विस्तार।
- स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नवीन तकनीकों एवं सार्वजनिक–निजी सहभागिता को बढ़ावा।
- किफायती आवास, हरित क्षेत्रों एवं जलवायु अनुकूल अवसंरचना के माध्यम से सतत एवं समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करना।
- मानव संसाधन विकास, क्षमता संवर्धन एवं ई–गवर्नेंस के माध्यम से शहरी शासन को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाना।
- शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं राज्य में तीव्र शहरीकरण को संतुलित एवं सतत दिशा प्रदान कर रही हैं। योजनाबद्ध निवेश, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से आगामी वर्षों में शहरी विकास को और अधिक प्रभावी, समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड आवास विभाग (UHUDA)

1. गत 25 वर्षों में राज्य के विकास प्राधिकरणों द्वारा शहरी अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण एवं विकास हेतु ₹ 1343 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय की गई है। इस अवधि में राज्य के लगभग सभी नगरों में सुनियोजित एवं संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित किया गया है। प्रमुख विकास प्राधिकरणों द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार हैः

- हरिद्वार– रुड़की विकास प्राधिकरण:- ₹ 238.22 करोड़

- मसूरी– देहरादून विकास प्राधिकरण:- ₹ 826. 18 करोड़
- नैनीताल स्थानीय विकास प्राधिकरण:- ₹ 102. 12 करोड़
- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर:- ₹ 102.72 करोड़

2. प्रमुख अवस्थापना परियोजनाएँ

- **ट्रांसपोर्ट नगर योजना (फेज–1 एवं फेज–2), देहरादूनः** देहरादून–दिल्ली–सहारनपुर मार्ग पर कुल 19.81 हेक्टेयर भूमि पर 639 भूखंड/संपत्तियाँ विकसित कर यातायात एवं व्यावसायिक गतिविधियों को संगठित स्वरूप प्रदान किया गया।
- **आईएसबीटी एवं सिटी जंक्शन मॉल परियोजना:-** वर्ष 2010 में पूर्ण इस परियोजना से आधुनिक यातायात सुविधा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला।
- **चकराता रोड विस्तारीकरण एवं हेमवती नंदन बहुगुणा कॉम्प्लेक्स:-** सड़क चौड़ीकरण (24 मीटर) से यातायात सुधार हुआ तथा 296 आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों का सृजन हुआ।
- **राजीव गांधी बहुउद्देशीय भवन, देहरादून:-** ₹ 16.18 करोड़ की लागत से निर्मित, जिसमें तहसील कार्यालय संचालित है।
- **रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजनाए:-** नदी तटों पर पाथवे, ग्रीन बेल्ट एवं वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण।
- **इंदिरा मार्केट पुनर्विकास, देहरादून:-** 16,558 वर्गमीटर क्षेत्र में बहुमंजिला बाजार, 400 से अधिक दुकानदार लाभान्वित एवं 1050 वाहनों की पार्किंग।
- **मसूरी टाउन हॉल:-** ₹ 18.20 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम एवं पार्किंग सुविधा।
- **इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना:-** प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुविधा।
- **बस अड्डा परियोजनाएँ:-** हरबर्टपुर, किच्छा, खटीमा आदि में आधुनिक बस अड्डों का निर्माण।
- **खेल एवं सामुदायिक अवस्थापना:-** हरिद्वार क्रिकेट स्टेडियम, सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजकीय विद्यालयों में खेल सुविधाएँ।
- **शहरी परिवहन एवं रोपवे परियोजनाएँ:-** देहरादून मेट्रो नियो, पीआरटी कॉरिडोर, हरिद्वार–ऋषिकेश एवं धार्मिक स्थलों हेतु रोपवे परियोजनाएँ। यातायात व्यवस्था को संगठित रूप मिला।
- हरबंस कपूर मेमोरियल सामुदायिक केन्द्र का निर्माण वर्ष 2025 में किया गया, जो सामाजिक कार्यक्रमों और सामुदायिक विकास के लिए समर्पित है।
- गैरसैंण विकास परिशद के अन्तर्गत कुल 222 कार्य यथा टैक्सी स्टेण्ड निर्माण, मार्ग सुदृढ़ीकरण, शौचालय निर्माण, सौन्दर्यीकरण आदि स्वीकृत किये गये हैं। **2. वाहन पार्किंग परियोजनाओं का निर्माणः**– राज्य में बढ़ती वाहन संख्या के दृष्टिगत 191 स्थलों पर पार्किंग परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं। इनमें 112 परियोजनाओं हेतु ₹ 173.35 करोड़ स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में 49 पार्किंग परियोजनाएँ पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं, जबकि शेष पर कार्य प्रगति पर है। स्मार्ट पार्किंग एवं मल्टीलेवल पार्किंग को प्राथमिकता दी गई है।

नैनीताल विकास प्राधिकरण ने सूखाताल क्षेत्र में 108 वाहनों की सरफेस पार्किंग का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त श्रीकैंची धाम में 70 वाहनों की पार्किंग निर्माण कार्य भी पूर्ण किया गया है।

3. आवासीय परियोजनाओं का निर्माणः–

आवासीय परियोजनाएँ–

राज्य में विकास प्राधिकरणों एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से व्यापक स्तर पर आवासीय परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं।

- **मसूरी–देहरादून** विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में गत वर्षो में हजारों आवासीय इकाइयों का निर्माण।
- **हरिद्वार–रुड़की** विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रलोक एवं अन्य आवासीय योजनाओं का विकास।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना** (शहरी) के अंतर्गत 15,960 आवास स्वीकृत, जिनमें से अधिकांश का निर्माण/आवंटन पूर्ण।

4. हरित पार्क, प्रमुख सौन्दर्यीकरण व पर्यावरणीय सुरक्षा के कार्यः– शहरी पर्यावरण को सुदृढ़ करने हेतु पार्क, सिटी फॉरेस्ट, झील संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण परियोजनाएँ संचालित की गई हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं अन्य नगरों में हरित क्षेत्रों के विकास से नागरिकों को बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

- राजपुर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का पुनः सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है। तथा नेचर गार्डन, लेक गार्डन, चिल्ड्रन गार्डन और राज्य के प्रतीक चिन्हों की टोपेरी एवं लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया गया है।
- ऊधमसिंह नगर विकास प्राधिकरण ने काशीपुर में पार्क का सौंदर्यीकरण तथा खटीमा स्थित दीनदयाल पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है।
- सितारगंज में पार्क और पार्किंग का निर्माण हो रहा है।
- देहरादून में सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण, उद्यान, मुक्ताकाश मंच, कैफेटरिया और साइकिल ट्रैक जैसी सुविधाएँ हैं।
- रायपुर विधानसभा क्षेत्र में गौरा देवी पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक, योगा डेक और ओपन जिम जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

5. महायोजना निर्माण के कार्यः– राज्य के सुनियोजित विकास हेतु 19 नगरों की महायोजनाएँ स्वीकृत एवं प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त AMRUT - 2.0 के अंतर्गत 07 नगरों की महायोजना 2041 निर्माणाधीन एवं इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस योजना अंतर्गत 68 नगरों की महायोजना निर्माणाधीन।

6. ईज आफ लीविंग व ई–गवर्नेंस के कार्यः– भवन मानचित्र स्वीकृति, शुल्क भुगतान, एनओसी एवं अन्य सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की गई है। नवाचारों जैसे सेल्फ–सर्टिफिकेशन, डीम्ड अप्रूवल एवं मोबाइल एप आधारित सेवाओं से नागरिकों को सुविधा प्राप्त हुई है।

7. इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत निवेशः–

इन्वेस्टर समिट 2023–24 के तहत आवास विभाग को 122 अनुबंधों का प्रस्ताव मिले, जिनमें से 91 अनुबंधों का सफल क्रियान्वयन हो चुका है। इनसे लगभग ₹ 10,054 करोड़ का निवेश और 17,050 रोजगार सृजन की संभावना है। शेष 31 अनुबंधों पर कार्य तेजी से जारी है।

8. अधिसूचित नीतियांः– शहरी विकास को गति देने हेतु लैंड पूलिंग नीति, आवास नीति, फसाड नियंत्रण नीति, पार्किंग नियमावली एवं आवास नियमावली जैसी महत्वपूर्ण नीतियाँ अधिसूचित की गई हैं।

9. भविष्य हेतु अवस्थापना के प्रस्तावित कार्यः– हरिद्वार में प्रधानमंत्री एकता मॉल, देहरादून में मल्टीलेवल पार्किंग, मसूरी में ईको पार्क, हल्द्वानी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नैनीताल में ग्रुप हाउसिंग एवं देहरादून मे शहरी मोबिलिटी परियोजनाएँ प्रस्तावित/प्रगतिरत हैं, जिनसे शहरी सुविधाओं में गुणात्मक सुधार होगा।

10. प्रस्तावित नीतियां / नियमावलियाः– टाउनशिप विकास, लैंड पूलिंग, पुनर्विकास, सीनियर सिटीजन लिविंग, किराया आधारित आवास एवं ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित नीतियाँ प्रक्रियाधीन हैं।

11. पुरस्कार व सम्मानः– शहरी विकास एवं ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो विभागीय पहलों की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।

- उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को ईज ऐप पोर्टल के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 और 2024 में 'बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल' का सम्मान मिला तथा 2025 मे SKOCH प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवास परिषद को भी SKOCH प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया।

उत्तराखण्ड मेट्रो रेल परियोजनाओं का विवरण

सी०एम०पी० (CMP) - 2024

उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हरिद्वार ऋषिकेश–देहरादून मेट्रो पॉलिटन से विश्व स्तरीय मॉस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (एम०आर०टी०एस०) की स्थापना किया जाना है। भारत सरकार की मैट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुरूप उपरोक्त परियोजना हेतु कान्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी०एम०पी०) ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (ए०ए०आर०) तैयार चुकी हैं। एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त रिपोर्ट पर अनुमोदान भी प्राप्त किया जा चुका है। तत्क्रम में काम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी०एम० पी०)–2024 तैयार की गयी है जो सी०एम०पी० 2019 का अपडेट है। वर्तमान में सी०एम०पी०–2024 के सम्बन्ध में निगम द्वारा शासन एवं सम्बन्धित हितधारकों के साथ बैठक की गयी है एवं हितधारकों के सुझावों को रिपोर्ट में सम्मिलित कर, अधिसूचित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।

मेट्रो परियोजना

मेट्रो नियो परियोजना देहरादून का कैबिनेट प्रस्ताव पारित होने के पश्चात तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने e-bus/BRTS अथवा अन्य परिवहन हेतु सुझाव दिया है। वर्तमान में देहरादून के मॉस रैपिड प्रणाली हेतु ई०आर०टी० (इलैक्ट्रिक बस सेवा) जो डेडीकेटेड एलिवेटेड पॉथ पर चल सकती है, कि योजना तैयार की गयी है एवं उसे निगम की आगामी निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

रोपवे परियोजना

(अ) ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे परियोजना– प्रथम चरण में त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर, 4.1 कि०मी० का कार्य कराया जायेगा। इस हेतु वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति तथा राजकीय भूमि की हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उत्तराखण्ड मेट्रो निदेशक मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। निजी भूमि एवं वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया साथ–साथ गतिमान है। इस परियोजना के निर्माण से ऋषिकेश में आने वाले पर्यटकों, धार्मिक श्रद्धालुओं तथा यमकेश्वर (पौडी) क्षेत्र के निवासियों को लाभ होगा।

(ब) हरिद्वार में हर–की–पौड़ी, मनसा देवी एवं चण्डी देवी श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों हेतु इन्टीग्रेटेड रोपवे का फिजिबिलिटी कार्य गतिमान है और रोपवे को मल्टी मॉडल हब से भी जोड़ा जायेगा। इस रोपवे से हरिद्वार में हर की पौड़ी पुल तथा बिजनौर रोड पर आये दिन लगने वाले जाम की समस्या का भी समाधान होगा।

(स) मसूरी तथा नैनीताल. शहर के आस–पास

परिवहन व्यवस्था के सुधार हेतु फिजिबिलिटी अध्ययन के कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है एवं Field Survey के अन्तर्गत मसूरी में 11 कि०मी० तथा नैनीताल में 20.5 कि0मी० रोपवे फिजिबिलिटी का कार्य गतिमान है।

पी०आर०टी० परियोजना

इस परियोजना के अन्तर्गत हरिद्वार शहर में द्वितीय आर्डर कॉरिडोर पर फीडर सिस्टम के स में पर्सनलाईज्ड रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (पॉड टैक्सी) को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी०पी०प मोड पर निर्माण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इन अतिरिक्त देहरादून शहर में पी०आर०टी० परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डी०पी०आर० किये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं इसका मै० मैकेन्जी द्वारा तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।